खण्ड-354, अंक-8
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1903
(12 फरवरी, 1982 ई0)

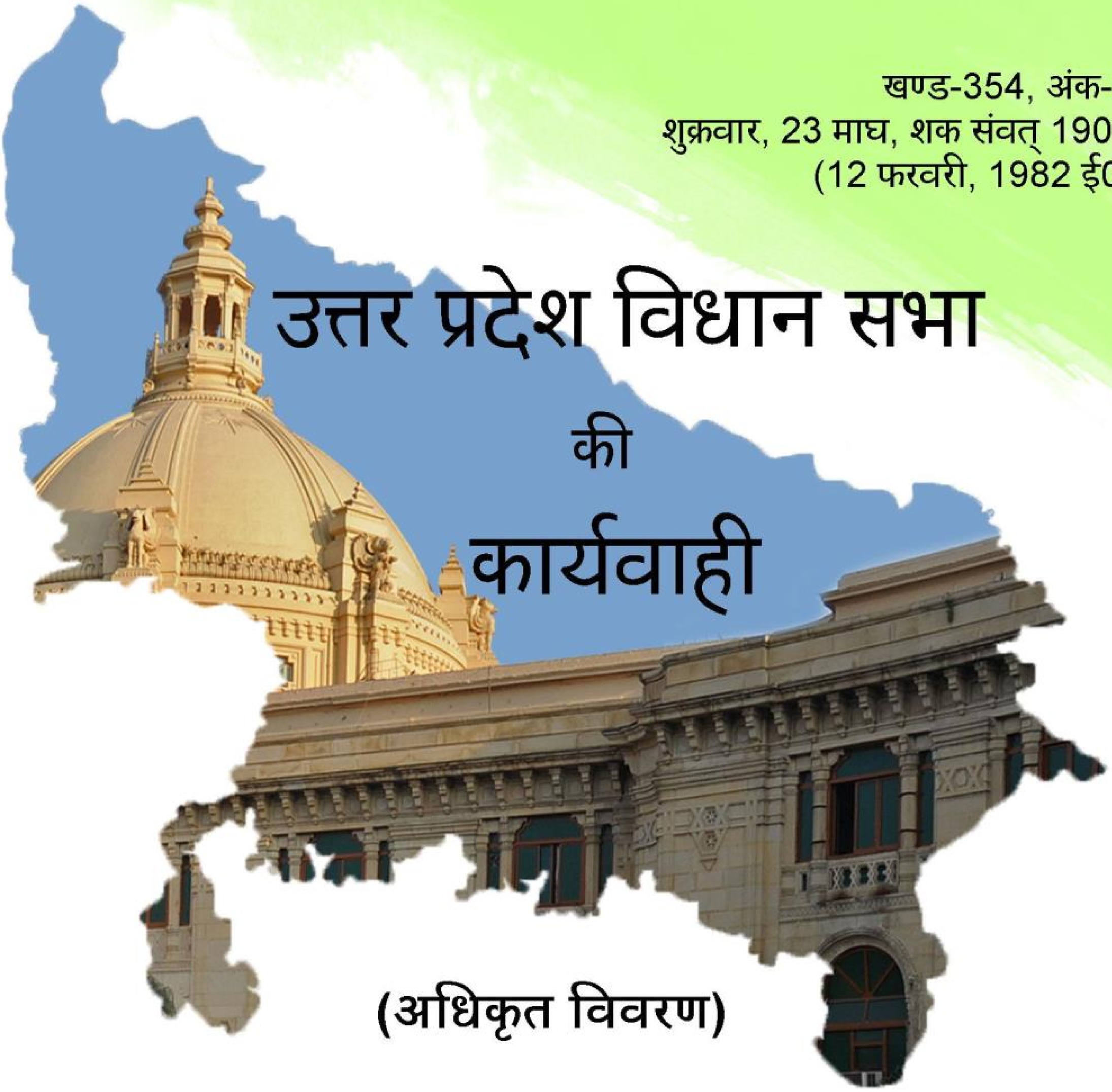

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पस्थित सदस्य	1211-1214
न स्थगित न किये जाने की मांग	1215
नोत्तर	1215-1264
नों के उत्तरों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. .	1265-1267
तपूर्व विधायक, श्री बाबू नन्दन के निधन पर शोकोद्गार . .	1268-1270
पूर्व विधायक, श्री उमा शंकर शुक्ल के निधन पर शोकोद्गार ..	1270-1273
पुर जनपद में शारदा नहर के मड़ियाहू केराकत रजबहा की जल निकासी से भूमि का कटान व राष्ट्रीय इन्टर कालेज के खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1273
जनपद में मोरंग व पत्थर चारी पहाड़ों एवं खानों की नीलामी क दिये जाने से मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति के संबंध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1274
म गढ़, जिला प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा बजरंग महाविद्यालय, कुण्डा के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री राम विलास मिश्र की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1274-1275
पद फैजाबाद के पत्रकारों पर पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा ला के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1275
दायक खण्ड 23, आजमगढ़ की ठेकमा मेहनगर रजबहा का बेलाखास माइनर में छोड़ दिये जाने से कतिपय ग्रामों की ल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1276
र प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 ..	1276
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	
नजूल विधेयक, 1982 .... (पुरः स्थापित किया गया) क 3 फरवरी, 1982 को श्री रघुवीर सिंह यादव पर लगाये य आरोपों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण	1276-1277
जला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा आयोजित बैठकों की सूचना सरकार को दिये जाने के संबंध में मुख्य मन्त्री व नगर विकास मन्त्री के वक्तव्य में विरोधाभास के संबंध में औचित्य का प्रश्न..	1278-1279
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	1279-1281
विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावो के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किये जाने के संबंध में संकल्प. . . . (अस्वीकृत)	1281-1305

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में गरीबी की जीवन रेखा के नीचे बसर कर रहे तीन सौ रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को शासन द्वारा आरक्षित वर्ग को सुविधायें दिये जाने के संबंध में संकल्प (जारी) ..	1305–1326
उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 ....(अस्वीकृत) ..	1306–1326
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1326
विधान सभा के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की रहस्यमय ढंग से मौत तथा पोस्टमार्टम के बाद बिना छानबीन के पुलिस द्वारा शवदाह किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1326–1331
दिनांक 15 फरवरी, 1982 के कार्यक्रम के संबंध में सूचना ..	1331
नत्थियां	1333–1339

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 1982 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 316

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खोरी) (उर्फ सुल्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (बनारसी)
ए0 सी0 प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)

छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नराधन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृजकिशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धना, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्यामलाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र झड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

सदन स्थगित न किये जाने की मांग

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृपया आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शासन यह कोशिश कर रहा है कि वह हाउस को एडजर्न करा दे। आप हमें प्रोटेक्शन दें, जिससे इनकी साजिश कामयाब न होने पाए।

श्री अध्यक्ष--

बैठिए।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 12 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गोरखपुर, गांव सभा भोपा बाजार के भूखण्ड संख्या 35 में अवैध कब्जा हटाने का निर्णय

*1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के एस0 के0 सकिल सरदार नगर के ग्राम भोपा बाजार के प्लाट नं0 35 बंजर की भूमि में 5 डिसमिल भूमि प्रश्नकर्त्ता के नाम पट्टे पर दे दी गयी है जिसके कुछ भाग को अवैध कब्जे के रूप में करने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों पर 122-बी का मुकदमा चला कर अवैध कब्जा हटाने का निर्णय हुआ जिसके सन्दर्भ में पैमाइश करने व कब्जा दिलाने से सम्बन्धित कितनी सूचनाएं शासन व स्थानीय अधिकारियों (तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी को माह जनवरी, 1981 से माह मई, 28, 1981 तक दी गयी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद सरोज)--

जी हां।

माननीय विधायक का एक शिकायती-पत्र दिनांक 17-3-1981 इस विषय में प्राप्त हुआ था जिस पर जांच कराने पर यह पाया गया कि गांव सभा भोपा बाजार के भूखण्ड संख्या 35 मि0 की 5 डिसमिल जो भूमि उन्हें आवास स्थल हेतु आवंटित की गई थी उस पर मौके पर प्रधान तथा विधायक महोदय की उपस्थिति में नाप कर निशान देही करा दी गई तथा उन्हें उसका कब्जा दिला दिया गया। इसकी सूचना जिलाधिकारी ने अपने 30-7-1981 के पृष्ठांकन में भी माननीय विधायक को दे दी थी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

इससे सम्बन्धित भूमि के पट्टे की पुष्टि उस समय के मैजिस्ट्रेट सदर, गोरखपुर, श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय ने 21-1-77 में की थी और जैसा मेरे प्रश्न के प्रथम भाग में हैं, उस प्लाट के हिस्से पर एक आदमी का अवैध कब्जा था, जिसकी एक नायब तहसीलदार, श्री लालसा प्रसाद ने रिपोर्ट करके तहसीलदार को सूचित किया था और उस पर एक मुकदमा 122 में चला था, तो क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उस सम्बन्धित भूमि पर क्या किसी का अब भी अवैध कब्जा नहीं है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

कब्जा दिला दिया गया है । किसी का अवैध कब्जा नहीं है, वैध कब्जा विधायक जी का है ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के पुनः प्रश्न करने हेतु खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

यों तो आप प्रश्न करें, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे कक्ष में आ जाएं, मैं मंत्री जी को बुलाकर प्रश्न कर लूंगा, क्योंकि यह आपसे सम्बन्धित प्रश्न है । अब आप बैठ जाएं और मेरे कक्ष में आ जाएं । मैं मंत्री जी को बुला लूंगा ।

*2--श्री किरनपाल सिंह--

[24 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न-संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोंडा जिले में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को गेहूं तथा मिट्टी के तेल का वितरण

*3--श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, 81 में गोण्डा, बस्ती तथा गोरखपुर जनपदों में राप्ती नदी से जो बाढ़ आई उससे प्रभावित गोन्डा जनपद में (केवल कठेर गांव सभा को छोड़कर) 2 1/2 एकड़ भूमि से नीचे के लोगों को प्रति परिवार 20 किलोग्राम गेहूं तथा मिट्टी का तेल दिया गया जबकि बस्ती जनपद में सभी प्रभावित ग्राम के सभी परिवार को चाहे जितनी भूमि उनके पास हो 47 कि0 ग्राम गेहूं आदि दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस दोहरी नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

गोण्डा जिले में वर्ष 1981 में बाढ़ से प्रभावित 2 1/2 एकड़ से कम भूमि वालों को 20 किलोग्राम गेहूं तथा 2 लीटर मिट्टी का तेल एवं अन्य सामग्री वितरित की गई । अन्य पात्र व्यक्तियों को भी सहायता दी गई ।

बस्ती जिले में किसी एक परिवार को 47 किलोग्राम गेहूं नहीं वितरित किया गया ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 3 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा, गोंडा और बस्ती की परिस्थितियां एक जैसी थीं। बस्ती में एक परिवार को 45 कि0 ग्रा0 दिया गया, उसी प्रकार की परिस्थिति गोंडा में, तो वहां कौन सा आधार निर्धारित किया गया था कि वहां के लोगों को केवल 20 कि0 ग्रा0 दिया गया ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, तीन तरीके से बंटवारा होता है। जहां 2,400 रु0 से कम आमदनी हो और 1·6 एकड़ से कम भूमि हो और 2·5 एकड़ से कम जिसके पास भूमि होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त वह भी आधार माना जाता है कि जिसके पास चाहे कितनी सम्पत्ति हो या बाढ़ से वह चाहे जितना ग्रस्त हो, जिलाधिकारी और अधिकारी अपने विवेक से जितना चाहे आवश्यकतानुसार दे सकते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से हम लोगों ने कहा और जनता पार्टी और लोकदल की सरकार को उदाहरण रखा कि एक परिवार को 90 कि0 ग्रा0 मैक्सीमम दिया जाता था। माननीय मुख्य मंत्री जी की समझ में बात आयी और उन्होंने कहा कि 90 कि0 ग्रा0 नहीं दे सकते तो 45 कि0 ग्रा0 हर ऐसे परिवार को जो मैरुन गांव हैं, उनको दिया जाता है। आदेश सचिवालय से भी निर्गत हुए। जब यहां से निर्देश गये तो वह हमारे यहां बंटा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के निर्देश गोंडा के अधिकारियों को नहीं भेजे गये थे ? यदि भेजा गया था तो उसका प्रतिपालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी खतरा उठा कर के उस समय पानी से घिरे हुए एरिया में पहुंचे थे और उन्होंने जो पात्र व्यक्तियों की इस अर्थ में हमारी परिभाषा है, उसके तहत आदेश दिया था कि कोई भुखमरी का शिकार न होने पावे और सबको गल्ला व मिट्टी का तेल वितरित किया जावे। गोंडा और उतरौला में मैं स्वयं गया था और मैंने भी वहां पर आवश्यकतानुसार निर्देश दिये थे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने यह जो मैरुन विलेज बाढ़ से 80 प्रतिशत या 50 प्रतिशत प्रभावित गांवों की लिस्ट बना करके दी और फिर उनको गल्ला नहीं दिया गया, तो क्या मंत्री जी उनको दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय सदस्य जरा अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि जिस अधिकारी ने ऐसे निर्देश की उपेक्षा की है, क्या आप उसे दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय सदस्य यदि ऐसी कोई सूचना देंगे तो उसे अवश्य दण्डित किया जायेगा यदि वह दोषी पाया गया तो ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

गल्ला नहीं वितरित किया, यह तो मालूम ही है इसमें मेरे कहने का क्या सवाल है ।

श्री मसरूर जाफरी—

जिन गांवों में गोंडा में 45 किलोग्राम गल्ला नहीं मिला है क्या आप उन्हें फिर से 45 किलोग्राम गल्ला बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग से प्रश्न है, इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 16—नत्थी (ख) पुकारे जाने पर ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, प्रश्न संख्या 1 को ले लें, मेरी उसमें बहुत रुचि है ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये नत्थी (ख) में 1 प्रश्न थे और प्रश्नकर्ताओं में से 6 लोग अनुपस्थित थे । नम्बर आने पर उसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी कि उसे मैं ले लूं । मैं ऐसी परिपाटी बिलकुल नहीं डालना चाहता हूं कि प्रश्न करके आप अनुपस्थित रहें और फिर बाद में प्रश्न लेने के लिए आग्रह करें ।

*4—श्री मुईद अहमद—

[5 फरवरी, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित] ।

[शुक्रवार, 12 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न] ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा एवं अहिरोरी में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

*1—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में ग्रामीण विद्युत् योजना के अन्तर्गत हरदोई जनपद के ब्लाक सुरसा एवं अहिरोरी पूर्व विद्युतीकरण के लिए मंजूर हुए थे और उसका लाखों रुपया निकाल कर इस योजना पर लगाकर कहीं और खर्च कर दिया जिससे योजना आज तक अधूरी है ? यदि हां, तो रुपया किस नियम के अन्तर्गत और किस मद में खर्च किया गया तथा योजना कब पूरी होगी ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी हां । जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा एवं अहिरोरी के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (एम0एन0पी0) हरदोई—द्वितीय स्वीकृत

हुई । योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर होने वाला व्यय ही योजना को चार्ज किया गया है, अब शेष आपके उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है । योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को 31 मार्च, 1983 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

*2--श्री राम असरे वर्मा--

[5 फरवरी, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित ।]

*3--श्री रियासत हुसैन--

[17वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*4--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[दिनांक 19 जनवरी, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 16 द्वारा उत्तरित ।]

रामपुर जनपद के गन्ना उत्पादकों को सबसिडी का भुगतान

*5--श्री बलबीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद के गन्ना बीज उत्पादकों को पिछले वर्ष की सबसिडी अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

रामपुर जनपद में गतवर्ष (1980-81) में गन्ना बीज पौधशालायें रखने वाले उत्पादकों को देय राजकीय सबसिडी का भुगतान कर दिया गया है ।

गन्ना बीज वितरण पर चीनी मिल तथा गन्ना विकास परिषद् द्वारा सम्मिलित रूप से जो सबसिडी प्रस्तावित थी, उसका रामपुर चीनी मिल क्षेत्र के कृषकों को भुगतान कर दिया गया है, परन्तु रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना बीज उत्पादकों को इस सबसिडी का भुगतान, सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् और चीनी मिल से उनका अंशदान न मिलने के कारण, नहीं किया जा सका है ।

बुन्देलखंड क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति

*6--श्री शंकर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने बुन्देलखंड क्षेत्र में 4 घंटे बिजली देने के आदेश अभी हाल में दिये हैं ? यदि हां, तो इस आदेश का पालन न होने का क्या कारण है ? बुन्देलखंड में नलकूपों को कितने घंटे बिजली दी जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

बुन्देलखंड क्षेत्र में चौबीस घंटे विद्युत् आपूर्ति की जा रही है । केवल आपातकालीन परिस्थितियों अथवा स्थानीय लाइनों में ब्रेकडाउन इत्यादि के समय को छोड़कर अतिरिक्त शेष सभी समय उक्त क्षेत्र के सभी नलकूपों को निरन्तर विद्युत् दी जा रही है ।

श्री शंकर सिंह--

मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा कब की थी ? क्योंकि इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया है, तो मुख्य मंत्री जी ने कब यह घोषणा की थी कि बुन्देलखण्ड को 24 घंटे बिजली दी जायेगी ? और जो आंकड़े आपने दिये हैं कि वहां 24 घंटे बिजली दी जा रही है तो इनका सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है ? क्योंकि हम तो वहां बराबर रहते हैं, जिस दिन से घोषणा हुई थी, उसके बाद से एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 24 घंटे बुन्देलखण्ड को बिजली मिली हो ?

श्री सुनील शास्त्री--

14 अक्तूबर, 1981 को इसकी घोषणा हुई थी और उस समय से लगातार अब तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आप के द्वारा मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो आपके विभागीय मंत्री सरोज जी हैं उनकी उपस्थिति में अधिकारियों की जब मीटिंग हुई थी तो आपके बिजली अधिकारियों ने उसमें यह बताया था कि केवल 14 घंटे बिजली दी जाये। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बावजूद अधिकारियों ने यह कहा तो इन दोनों में क्या बात सही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है, 14 अक्तूबर, 1981 को इसका आदेश दिया गया है, और उसके बाद यदि कोई ब्रेक-डाउन आदि उस क्षेत्र में हो जाता है तो बिजली की कटौती की जाती है, अन्यथा 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय सदस्य ने अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर यह कहा है कि वहां पर 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है और इस संबंध में उन्होंने एक मंत्री जी का भी हवाला दिया कि उनकी उपस्थिति में बिजली अधिकारियों ने यह कहा कि 14 घंटे बिजली दी जाये, तो क्या इस सारी बात को स्पष्ट कराने के लिए मंत्री जी माननीय विधायकों की एक कमेटी का गठन करने की कृपा करेंगे जो इसकी जांच करें ?

श्री सुनील शास्त्री--

जिस अधिकारी ने ऐसी गलत जानकारी दी है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश हैं और वहां 24 घंटे दी जा रही है, ऐसा आपने कहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि हर नलकूप का एक रोस्टर बनता है, तो क्या वह किसी भी एक नलकूप का रोस्टर देखकर वह यह बताने की कृपा करेंगे कि उस नलकूप को कितने घंटे बिजली दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

यह प्रश्न नलकूप के सम्बन्ध में नहीं है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सम्बन्ध में है। सरकार के आदेश हैं कि वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जाए और माननीय सदस्य ने कहा कि किसी अधिकारी ने बताया कि 14 घंटे ही आती है तो अब इसको सुनिश्चित किया जाएगा। यों 24 घंटे बिजली रहनी है तो हर जगह 24 घंटे ही बिजली चाहिए, चाहे नलकूप हो, बशर्ते कोई ब्रेक-डाउन न हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, राज्य मंत्री जी उत्तर देने जा रहे थे, लेकिन केबिनेट मंत्री जी उनको प्रोटक्ट करने के लिए खड़े हो गये। लेकिन उन्होंने प्रश्न देखने की चेष्ठा ही नहीं की। इसमें प्रश्न साफ है, बुन्देलखण्ड में नलकूपों को कितने घंटे बिजली दी जा रही है। इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है, शासन कुछ भी कहे, लेकिन हमें तो व्यवहार में देखना है किसानों को बिजली कितनी मिलती है। पूरे नलकूपों का रोस्टर बनता है और उत्तर में भी कहा गया है कि सभी नलकूपों को निरन्तर बिजली दी जा रही है। तो जिसके बारे में वह शतप्रतिशत आश्वस्त हों, उसकी जानकारी दे दें, रोस्टर देखकर ?

श्री ब्रह्मदत्त—

पुनः निवेदन है कि जब उस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने के आदेश हैं, तो हर नलकूप को 24 घंटे बिजली मिलेगी। यदि किसी नलकूप की विशेष शिकायत हो तो उसकी जांच की जा सकती है कि उसको बिजली क्यों नहीं मिली ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सवाल दूसरा है, इसमें विसंगति है।

श्री अध्यक्ष—

आपके कथनानुसार अगर 24 घंटे वहाँ पर बिजली दी जा रही है तो नलकूप पर हर घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो आप किसी एक नलकूप का रोस्टर देखकर बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रोस्टर तो इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन अगर किसी ट्यूबवेल की शिकायत हो तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

अभी माननीय शंकर सिंह जी ने माननीय मंत्री जी, जो इस समय सदन में हैं, का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे उस मीटिंग में उपस्थित थे और उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे बताने की कृपा करेंगे उनके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली मिल रही है ताकि मंत्री जी के उत्तर का अनुमान लगाया जा सके कि वह कितना सही है ?

श्री अध्यक्ष—

ये उस क्षेत्र के नहीं हैं। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

कहा गया कि ये उस मीटिंग में उपस्थित थे तो उनकी जानकारी से इसकी सत्यता पर प्रकाश पड़ेगा। तो मंत्री जी बता दें कि वास्तव में स्थिति यह है ?

श्री ऊधल—

मान्यवर, ये मंत्री जी बुन्देलखण्ड के इन्चार्ज हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी उन्होंने कहा था कि अगर किसी अधिकारी ने यह सूचना दी है कि 24 घंटे बिजली देने के नहीं 14 घंटे के ही आदेश हैं, तो उसकी जांच करायेंगे और उनको दंडित करेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय शंकर सिंह जी ने कहा कि वे उस मीटिंग में उपस्थित थे तो उनकी क्या जानकारी है ?

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी इसको इन्कार भी नहीं कर रहे ।

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय मंत्री जी को जो जानकारी है, वह उन्होंने सरकार को दे दी है और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

श्री हुकम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो जानकारी मंत्री जी ने सरकार को दी है, वह क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

हमारे जो मंडलीय मंत्री हैं वे एक ही बात की जानकारी नहीं देते हैं बल्कि जहां पर जो कठिनाइयां होती हैं या शासन के आदेशों का पालन नहीं होता है, हर बात का ब्योरा देते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उन पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हैं। उसी प्रक्रिया में यह बात भी पूरी तरह से देख ली जायेगी और कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकम सिंह—

एक बैठक विशेष के बारे में यह बात उठायी गयी कि वहां पर यह शिकायत की गयी। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्होंने जानकारी भी दी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह जानकारी क्या है, जो उन्होंने आपको दी ? मान्यवर, ये शब्दों को घुमाने और सदन को भी घुमाने में माहिर हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि मंत्री ने सरकार को क्या जानकारी दी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उस बैठक के सिलसिले में वह पर्टिकुलर जानकारी नहीं बल्कि तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है ताकि सरकार उन पर कार्यवाही कर सके और कार्यवाही की भी जाती है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जो नम्बर 2 के मुख्य मंत्री भी हैं जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों को रात दिन नलकूपों के बीच में रहना होता है। पूरे बुन्देलखण्ड में नहीं, तिदवारी में ही बता दें कि जहां पर किसी नलकूप पर 14 अक्तूबर, 1981 से लगातार बिजली गयी हो। यह भी कहा गया कि आपातकालीन स्थिति और ब्रेक डाउन्स में यह हुआ होगा तो क्या एक दिन भी सामान्य स्थिति नहीं रही? या तो वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो मंत्री जी द्वारा जानबूझकर सदन को गुमराह किया जा रहा है और मैं इसके लिए विशेषाधिकार की सूचना देता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई जानकारी नलकूप विभाग से भी प्राप्त की है जिसकी बेसिस पर उत्तर दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सदन में माननीय सदस्यों ने जो शिकायत की है उसकी जानकारी प्राप्त करके उचित व्यवस्था की जायेगी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह बात स्पष्ट आ गई कि एक मंत्री जी की मौजूदगी में वह बात कही गयी और वह मंत्री यहां पर मौजूद हैं, तो जो सूचना उन्होंने दी हो उसे वे बता दें?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे, जो भी कमी है, उसकी जांच करके उचित व्यवस्था करेंगे। अब माननीय मंत्री जी की जहां तक बात है, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी कहा कि उनके बैठे रहने से ही बात स्पष्ट हो जाती है।

ग्राम समाज, विशुनपुरा मटियरा, जिला गोरखपुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग को लेकर ग्राम प्रधान पर आरोप

*7. --श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम समाज, विशुनपुरा मटियरा, तहसील सदर, जिला गोरखपुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग को लेकर ग्राम प्रधान पर कुछ ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाकर परगनाधिकारी, सदर को माह मई, 1981 के माह अक्तूबर 10, 1981 तक अनेक शिकायतें दी है? यदि हां, तो कब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सिवलर, जनपद लखनऊ में हरिजनों हेतु कब्रिस्तान तथा शमशान के लिए आरक्षित भूमि को जुतवाने का औचित्य

*8—श्री सन्त बक्स रावत तथा श्री रामस्वरूप निम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सिवलर, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की भूमि नं0 519 सवा दो बीघा जो हरिजनों के लिए कब्रिस्तान एवं शमशान के लिए आरक्षित थी, को अक्तूबर, 1981 में सामाजिक बानकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रेक्टरों द्वारा जोत डाला गया था ? यदि हां, तो दफन किये गये मुर्दों के कब्रों को जुतवाने का क्या औचित्य था ? क्या यह भी सही है कि हरिजनों के भारी असंतोष के कारण दिनांक 16 नवम्बर, 1981 को मौके पर जाकर परगनाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ ने प्रश्नकर्त्ता के समक्ष ग्रामीणों के हित में पूर्ववत् जमीन छोड़ने का आश्वासन दिया था ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, उस भूमि पर हरिजनों का कब्रिस्तान था और वहां पर सैकड़ों मुर्दे गड़े हुये थे। तो जब माननीय मन्त्री जी उत्तर दें तो इसकी जानकारी भी करा दें कि वहां के खंड विकास अधिकारी ने उस भूमि का चयन क्यों किया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम देवारावास राजा के निवासियों को सीरदारी दिये जाने सम्बन्धित-पत्र

*9—श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम बरडीहा (नई बस्ती) के आराजी नं0 378 को ग्राम देवारा खास राजा के उन निवासियों को जिनका घर घाघरा नदी के 1974 की बाढ़ में नदी में विलीन हो गया है, को सीरदारी दिये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1981 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव सभा ग्वली खेड़ा, जिला मेरठ में उच्च वर्ग के व्यक्तियों को भूमि आवंटन के निरस्त करने हेतु कार्यवाही

*10—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि गांव सभा ग्वली खेड़ा, तहसील बागपत, जिला मेरठ ने गांव के हरिजनों को पहले से आवंटित भूमि को पुनः माह जून 1981 में गैर कानूनी ढंग से उच्च वर्ग के व्यक्तियों को तत्कालीन परगनाधिकारी की सहमति से आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि आवंटन को निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*11—श्री कुबेर भन्डारी—

[17वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली के नियम 84 तथा 441 में संशोधन हेतु पत्र

*12—श्री केदारनाथ सिंह तथा श्री अकबाल हुसैन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री जगदीश पान्डेय आदि सात सदस्य ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली के नियम 84 व 441 में संशोधन हेतु कोई पत्र गन्ना मन्त्री व मुख्य मन्त्री को माह अगस्त, 1979 में प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली के नियम 84 में आवश्यक संशोधन शासकीय अधिसूचना संख्या 3723/12सी-1-81-7(3)-77, दिनांक 7 नवम्बर, 1981 द्वारा किया जा चुका है । नियम 441 में संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, जो यह नियम था यह पचासों वर्ष से चला आ रहा था । उसके अनुसार डेलीगेटों के माध्यम से चुनाव होता था । तो पचासों साल से जो नियम चला आ रहा था उसमें 24 दिसम्बर, 1977 को संशोधन कर दिया गया और अब यह कर दिया गया कि चुनाव गांव के साधारण सदस्यों के द्वारा होगा और सभी को मत देने का अधिकार होगा और सभी लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं । तो जो पचासों वर्षों से जो कानून डिफेक्टिव बना हुआ था, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन इसी सरकार ने किया, तो फिर उसको पुराने लाइन पर क्यों लाया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा गया, वही संशोधन किया गया ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, 50–50 वर्षों से जो यह कानून चला आ रहा है और कुछ लोगों ने गन्ना समितियों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया है और वे शोषण कर रहे हैं और उसमें एक और अमेंडमेंट हुआ कि दो टर्म से ज्यादा कोई नहीं रहेगा । उसके बाद फिर दूसरा अमेंडमेंट यह हुआ कि डेलीगेट गांव में एक ही दो होंगे, तो वह डेलीगेट जो होता है, वह डेलीगेट के जरिये खरीद लेता है या दबा लेता है । इसलिए उसमें दिसम्बर, 1977 में परिवर्तन किये गये और फिर उसमें शासन ने परिवर्तन कर दिया । तो अब क्या गन्ना समितियों पर कुछ लोगों का फिर एकाधिकार प्राप्त नहीं हो जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, शासन ने जो आवश्यकता समझी वह उसने संशोधन किया । यह चुनाव की प्रक्रिया बड़ी व्यापक थी । इसीलिए डेलीगेट के आधार पर यह प्राक्रिया की गयी । मान्यवर, अब उसमें पुनः किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो 1977 में अमेंडमेंट किया गया, उस आधार पर चुनाव भी एक बार गन्ने की सोसायटी में हो गया । तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसको दुबारा अमेंडमेंट करके पुराने ढांचे पर ले जाने की जो बात है, उसके बारे में क्या यह मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या–क्या डिफिकल्टीज शासन के सामने आयी, जिसकी वजह से 1977 वाली नीति में दुबारा फिर अमेंडमेंट करना पड़ा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

कोई ऐसी बात नहीं थी, मान्यवर ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, जो हमारे विधान सभा के 7 माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव देकर बात कही है, जिन कठिनाइयों के कारण शासन ने अमेंडमेंट किया, उसके अनुरूप वह एक अच्छा प्रस्ताव था । क्या माननीय मन्त्री जी उस प्रस्ताव से सदन को अवगत करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, वह प्रस्ताव नहीं है, पत्र है । यदि चाहें तो वह पत्र पढ़कर, सुना दूं ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, यह जो कठिनाई शासन के सामने आई कि 20–20 किलोमीटर की दूरी पर अगर दो सौ सदस्य हैं, तो 200 लोगों को भाग लेना पड़ता था,

अगर उस कठिनाई को दूर करना है और पुराने कानूनों को लागू करना है, तो उन्हीं के क्षेत्र में मतदान केन्द्र क्यों नहीं बनवाते, जिससे वह कठिनाई रिमूव हो जाती ? अब मान्यवर, चुनाव प्रत्येक गांव में करा रहे हैं। अगर 20 चुनाव क्षेत्र हैं, तो 20 मतदान केन्द्र बनाने पड़ेंगे। अगर एक मतदान केन्द्र पर चुनाव करा दिया जाय, तो शासन को ज्यादा मतदान केन्द्र भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मान्यवर, शासन ने इस सुझाव को क्यों नहीं माना ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उत्तर दे दिया कि उसको शासन ने नहीं माना।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से उसमें संशोधन कर दिया। मैं यह माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, 1977 में जो व्यवस्था थी, उसमें क्यों परिवर्तन किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, जो गन्ने की समितियां होती हैं, उसमें 10 हजार से 40 हजार व्यक्ति तक होते हैं, 40 हजार व्यक्तियों की एक जगह मतदान की व्यवस्था कराना कठिन होता है। इसलिए प्रत्येक गांव में डेलीगेट चुन लिया जाता है और उन्हीं के द्वारा समितियों का चुनाव होता है।

मान्यवर, 40 हजार आदमियों को 25 मील बुलाना व्यवहारिक नहीं था।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि एक जगह इकठ्ठा करने में कठिनाई होती थी। इसलिये हर गांव में डेलीगेट का चुनाव होगा। मान्यवर, जो पत्र दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र बना दिया जाय ताकि 40 हजार को इकट्ठा न होना पड़े। फिर सरकार को यह प्रस्ताव क्यों रुचिकर नहीं लगा क्यों हर गांव में चुनाव कराना चाहते हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पत्र में लिखा है कि प्रत्येक गन्ना समिति का कार्यक्षेत्र 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

स्व0 श्री चन्द्र भूषण सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सेमरा, फैजाबाद के आश्रितों को स्वीकृत धनराशि

*13—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रभूषण सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, सेमरा (हरिगटनगंज) निवासी ग्राम अहरन सुवंश, विकास खण्ड हरिगटनगंज, थाना इनायतू गंज, फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 20 जून, 81 को बिजली का तार छू जाने से हो गई है ? यदि हां, तो उनके आश्रित परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां ।

मृतक के आश्रितों को 1,000 रुपये की तदर्थ अनुग्रह धनराशि दिनांक 29-1-82 को स्वीकृत कर दी गई है ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मंत्री ने स्वीकार किया है कि चन्द्रभूषण, सहायक अध्यापक प्राइमरी की उम्र 28 साल थी और तार छू जाने से उनकी मृत्यु हो गई । उनको एक हजार रुपया दिया गया है । मान्यवर, इनके 4 बच्चियां और दो बच्चे नाबालिग हैं। मान्यवर, विभागीय गलती से 3 दिन तक तार टूट कर गिरा रहा और जून के महीने में वह जा रहे थे तार छूने से उनकी मृत्यु हो गई । अगर विभागीय गलती से तार छू जाने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक हजार रुपया किस काम का ? मंत्री जी अधिक से अधिक धनराशि दिलाने पर विचार कर रहे हैं या नहीं और इनकी नीति क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे यहां क्षतिपूर्ति समिति बनी है वह विचार कर रही है और जितना अधिक से अधिक धनराशि हो सकेगा, दिलाई जायेगी ।

श्री ऊदल--

क्या ऐसे मृत लोगों के सम्बन्ध में शासन ने निश्चय किया है कि 10 हजार की सहायता ऐसे लोगों को दी जाय ? यदि हां, तो क्या उस पर विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, विद्युत परिषद की विभागीय समिति है वह प्रमाण-पत्र चिकित्सक के और पंचनामा वगैरह देखती है । जितनी अधिक धनराशि दी जा सकती है, दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसके दो पहलू हैं । एक तो मान्यवर, तार टूट कर तीन दिन तक पड़ा रहा । नियम यह है कि लाइन मैन देखता है कि कहीं तार टूटा है या नहीं टूटा है और वह रिपोर्ट करता है । तो मान्यवर, जो विभागीय शिथिलता की गई क्या इस पहलू से भी इसकी जांच करायेंगे कि कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? दूसरा जहां तक मेरी जानकारी है विद्युत परिषद में यह नियम है कि 10 हजार की धनराशि दी जाती है । एक जून को मृत्यु हुई इतने दिन हो गये उस कमेटी ने सब तथ्यों की जानकारी करके अन्तिम निर्णय क्यों नहीं दिया क्या उस कमेटी के खिलाफ भी इस विलम्ब के लिए कार्यवाही करेंगे और क्या, कोई निश्चित अवधि बताने का कष्ट करेंगे कि इतने समय में फैसला हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री---

मुख्य विद्युत निरीक्षक रिपोर्ट देता है उनकी रिपोर्ट में विलम्ब हुआ, जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हुई एक हजार रुपया दे दिया गया। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसे दण्डित किया जायेगा। जहां तक विभागीय समिति की बात है तो रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर समिति निर्णय लेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

तीन दिन तक तार टूटा पड़ा रहा, तो इसलिए विभागीय शिथिलता के कारण एक व्यक्ति मरा, कई मर सकते थे, इसलिए इस संबंध में कोई जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री---

मान्यवर, विद्युत मुख्य निरीक्षक की रिपोर्ट जो है उस पर विचार करके दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा।

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, हमारे घर के नजदीक का मामला है, मौके पर मैं गया था, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी औरत 30 वर्ष की है, उसके 6 बच्चे हैं और कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों का परिवार है उसके खेत भी नहीं हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो धनराशि विद्युत परिषद की समिति स्वीकृत करेगी उसको कितनी जल्दी भुगतान मंत्री जी करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, एक पहलू जांच करने का है तो उसके संबंध में मंत्री जी बता चुके हैं कि दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा। दूसरे पहलू में अधिकतम धनराशि 10 हजार रुपये है, तो उसको एक महीने में भुगतान कर दिया जायेगा।

*14---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[6ठें शुक्रवार के लिए स्थगित]।

प्रदेश में एल्कोहल के दो पावर प्लान्ट की स्थापना पर विचार

*15---श्री रामस्वरूप वर्मा---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक का पत्र दिनांक 31-7-81 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र सरकार दो मिलें पावर एल्कोहल बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अपने प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में गन्ने की अधिकता देखते हुए कितनी मिलें लगाने के बारे में सोचा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, हमारे प्रश्न में दो पावर प्लान्ट शब्द और जोड़ दिये जायं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

ठीक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें सूचना एकत्र करने की क्या बात है। प्रश्न नीतिगत है। प्रश्न है कि सरकार क्या दो पावर प्लान्ट लगाने की बात कर रही है। इसमें मंत्रि मंडल और सचिव स्तर पर फैसला होना है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए केन्द्र सरकार से लाइसेंस मांगा जायेगा। इसलिए किस बिन्दु पर सूचना एकत्र की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना इस बात की कि यदि प्लान्ट लगाये जायं तो जनहित में क्या वह कारगर सिद्ध होंगे कि नहीं, इसको देखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मद्रास में गन्ने का उत्पादन 2 प्रतिशत है लेकिन वह गैसो होल प्लान्ट लगाने पर विचार कर रहे हैं चूंकि वह 75 पैसे लीटर में पड़ेगा जो पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग होगा। यह जनहित का मामला है इसलिए क्या इस संबंध में कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बनायी है, जो यह देख रही है कि पेट्रोल से सस्ता होगा कि नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें उन्हीं तमाम सारी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक विभाग को जो जानकारी है उसके अनुसार वह पेट्रोल से मंहगा होगा, यदि सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, जब हमने सूचना दे दिया है तो यह महाराष्ट्र की सरकार से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। घाटे नफे का कहां सवाल है। इसमें कौन एक्सपर्ट है किसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, वह बता दें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इन्हीं बातो की जानकारी के लिए लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

एक्पर्ट्स किसको नियुक्त किया है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी यह बता दें कि क्या विशेषज्ञों की कोई कमेटी इस पर नियुक्त हुई है कि नहीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, हमारा विभाग एक्सपर्ट है वह देख रहा है और अध्ययन कर रहा है ।

हरदोई चीनी मिल पर गन्ने का बकाया मूल्य

*16--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर काश्तकारों के गन्ने की कीमत का कितना धन बकाया है ? क्या उपरोक्त मिल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य देने के लिए बाध्य है ? यदि हां, तो काश्तकारों का बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हरदोई चीनी मिल पर वर्ष 1977-78 का 99.76 लाख रु0 तथा वर्ष 1976-77 का 2.20 लाख रु0 गन्ना मूल्य का बकाया है । उसके बाद के वर्षों का कोई बकाया नहीं है । वर्ष 1981-82 के लिए 6-2-82 तक की स्थिति के आधार पर 203 लाख रु0 गन्ना मूल्य देय है, जिसमें से 169 लाख रु0 का भुगतान किया जा चुका है और केवल 34 लाख रु0 बकाया है । इस प्रकार विवादित बकाया मुख्यतः वर्ष 1977-78 से ही संबन्धित है । चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य का निर्धारण प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है । ईख (नियन्त्रण) आदेश 1966 के अन्तर्गत न्यूनतम गन्ना मूल्य भारत सरकार से ही निर्धारित किया जाता है । कृषकों द्वारा जिस दर के आधार पर उस वर्ष की आपूर्ति की गई उसके अनुसार उपरोक्त बकाया बनता है और उस बकाया, उससे संबन्धित ब्याज तथा कमीशन की वसूली के लिए रु0148.40 लाख का वसूली प्रमाण पत्र गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किया गया था । मिल का कथन है कि न्यूनतम गन्ना मूल्य के अतिरिक्त, ईख (नियन्त्रण) आदेश 1966 के कलाज 5 (अ) के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी रूप में मिल द्वारा कोई अन्य मूल्य नहीं दिया जाना है और इस प्रकरण में मिल ने याचिकायें दायर की हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं । यह तो न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा कि इस बकाया मूल्य के भुगतान करने के लिए मिल विधिक रूप से बाध्य है या नहीं । न्यायालय ने स्थगन आदेश भी पारित किये हैं और याचिकाओं के निर्णय होने के पश्चात ही तदनुसार वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का काफी गन्ना इसी सन्दर्भित मिल को जाता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 1976-77 का भी बकाया है और और उसके बाद से बकाया है । सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिया गया कि बकाया दिलाया जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराने बकाये को दिलाने के लिये सरकार क्या कारगर कार्यवाही कर रही है और इस समय जो खरीदा जा रहा है उसका भी भुगतान नकद नहीं किया जा रहा है ? जो न्यायालय में मामले हैं, उनमें 3 में स्थगनादेश नहीं मिला है, तो उनको भुगतान न कराने का क्या कारण है ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 16 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस वर्ष जो गन्ना का मूल्य है, वह बराबर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष में जो नहीं दिया था उनके खिलाफ शासन द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जैसा हमने प्रश्नोत्तर में स्पष्ट किया है कि केस हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के विचाराधीन है क्योंकि जो सरकार का न्यूनतम मूल्य है, उससे अधिक मूल्य के लिए स्थगनादेश लिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि 1976-77 और 1977-78 का जो विवाद है, उसके बाद की बात है। जिस मामले में विवाद नहीं है, उसमें देरी लगा रहे हैं, भुगतान में। मान्यवर, मामला कोर्ट में चला गया और वहां स्टे नहीं मिला, तब तो भुगतान कर दिया जाना चाहिये। तो उस भुगतान को कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

शासन प्रयत्नशील है कि पैसा दिया जाय। आज भी कोर्ट में जाने के बावजूद हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने साफ पूछा है कि इस मामले में कौन-कौन से प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

लिखत-पढ़त का जो भी आवश्यक प्रयास है, इसमें शासन जागरूक है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी, मेरी जानकारी को सत्य मान करके कि सुप्रीम-कोर्ट ने कस्टोडियन नियुक्त किया और तत्कालीन श्री हरी लाल, शुगर मिल मालिकों से मिल गये और एक एफीडेविट दाखिल किया कि इस मिल में कोई पैसा बकाया नहीं है और इसके आधार पर उनको सुप्रीमकोर्ट ने स्टे दिया और शासन ने उसके खिलाफ कोई एफीडेविट दाखिल नहीं किया। तो क्या शासन कोई दूसरा पैरोकार नियुक्त कर के मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसको भारत सरकार देख रही है और वही देखता है। हमारे क्षेत्र अधिकार में जहां तक आता है, हम देखते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, कस्टोडियन इन्हीं का है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

नियुक्त भारत सरकार ने किया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

हम पूंछ रहे हैं कि शासन जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी कर रहा है और कस्टोडियन. . . .

श्री अध्यक्ष—

कह तो दिया इन्होंने ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश शासन ने भारत सरकार को लिखा है कि कस्टोडियन बदल दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

जो किसान गन्ना देता है, वह राज्य सरकार जो कीमत निर्धारित करती है जैसे इस वक्त साढ़े 20 और साढ़े 21 के ऊपर किसान सप्लाई कर रहा है और उसके आधार पर जो डिस्प्यूट चल रहा है, वह राज्य सरकार और फैक्ट्री ओनर के बीच में चल रहा है । किसान के लिए 1.48 लाख, जिसका एक करोड़ 48 लाख रुपये हुआ तो इसको देने में क्या परेशानी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि किसान का पैसा राज्य सरकार अदा करे और मुकदमा राज्य सरकार फैक्ट्री ओनर से लड़ती रहे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, न्यूनतम मूल्य भारत सरकार तय करेगी । हम सहमत मूल्य दिलाते हैं । जो अधिक रुपया है इसी को लेकर वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं । हम आज भी प्रयत्नशील हैं कि हम किसानों का रुपया दिलायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि हम प्रयत्नशील हैं किसानों को रुपया दिलाने के लिए । मेरा प्रश्न यह है कि किसान ने जो गन्ना दिया है, वह राज्य सरकार ने जो कीमत मुकर्रर की है तो किसान को रुपया दिलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । राज्य सरकार अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को लेकर किसान को रुपया अदा कर दे ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

राज्य सरकार अपनी जगह जागरुक है किसानों को पैसा दिलाने के लिए । जो न्यूनतम मूल्य है और इसका जो सहमत मूल्य निर्धारित है उसे ही उत्तर प्रदेश सरकार अधिक दिलाना चाहती है ।

श्री परमाई लाल—

किसान का जो बकाया है उसके सम्बन्ध में उन मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिससे कि उनको जल्द से जल्द रुपया दिलवाया जाय ? क्या मन्त्री जी उन मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मैं प्रश्न समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न क्या है आपका ?

(श्री परमाई लाल फिर खड़े नहीं हुये ।)

श्री हुक्म सिंह—

मेरा प्रश्न किसानों के उस रुपये से सम्बन्धित है जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं चल रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस लिखा-पढ़ी के अलावा आपने कोई ऐसा प्रभावी कदम उठाया है जिससे कि किसानों को उनका पैसा दिलाया जा सके ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, शासन प्रयत्नशील है इसके लिये । इस वक्त जो मिल चल रही है इससे जो पैसा बढ़ेगा उसका 50 प्रतिशत किसानों को दिला दें और 50 प्रतिशत मिल मालिक को दिला दें ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कुछ ऐसा मालूम होता है कि मन्त्री जी बिल्कुल असहाय स्थिति में हैं । क्या उस मिल का सारा गन्ना किसी दूसरी फैक्ट्री को देंगे ताकि वह महसूस कर सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार केवल उनकी उदासीनता पर निर्भर नहीं रहेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, यह आदेश मैंने किया था । उसमें भी विवाद उठ खड़ा हुआ और वहां के किसान कहने लगे कि उस मिल को क्यों दे दिया गया इसलिये मजबूरन हमें दुबारा उसी फैक्ट्री को देना पड़ा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब शुगर मिल शुरू हुई तो इसी शर्त पर चालू हुई कि मिल मालिकों से किसानों को पैसा दिलवाया जायेगा ? यदि हां, तो माननीय मन्त्री जी ने जब मिल चलवाई तो वह पैसा आज तक नहीं वसूल हुआ ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसके लिए वह कोर्ट में चले गये । अब कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत ऐरा गन्ना समिति में क्रय की गई सीमेन्ट

*17—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत ऐरा गन्ना समिति में सन् 1977 से 1980 के बीच 2 लाख रुपये की सीमेन्ट क्रय

की गई जो जम गई ? यदि हां, तो यह किसके आदेश से खरीदा गया तथा खरीदने का कारण क्या था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु कतिपय ग्रामों की अध्याप्त की गई भूमि तथा मुआवजा

*18—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु 10 गांवों की हजारों एकड़ जमीन बिना बजार रेट के मुआवजे के ली जा रही है और तारीख 30 नवम्बर, 1981 से किसान (महिलायें बच्चे, पुरुष) क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो बाजार रेट से मुआवजा न देने तथा उनको कहीं न बसाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम निरंजनपुर, फरीदपुर, पुखारा, खुर्रमपुर, खानपुर, मीरापुर, दमगाना, बिसई, बम्हनपुर, सराय सहजन व ऊंचाहार में 1069 बीघा 19 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि अध्याप्त की गयी है । उक्त कथित भूमि का अर्जन भूमि अध्यप्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिनिधि विक्रय पत्र के भूमि के मूल्य की दर पर मुआवजा देकर किया जा रहा है । दिनांक 30 नवम्बर, 1981 से 30 दिसम्बर, 1981 तक कुछ ग्रामवासियों ने क्रमिक अनशन किया था । किन्तु उसके बाद से स्थिति शान्त है ।

चूंकि इस परियोजना में किसी व्यक्ति का घर भूमि अर्जन के फलस्वरूप नहीं लिया गया है और न ही कोई व्यक्ति विस्थापित हुआ है । अतएव उनके बसाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि निरंजनपुर, फरीदपुर ,पुखारा, खुर्रमपुर, खानपुर, मीरापुर, दमगाना, बिसई बम्हनपुर, सराय सहजन व ऊंचाहार में 1059 बीघा 19 बिसवां 14 बिसवांसी जमीन ली गयी है तो किस तारीख को जमीन अध्यप्ति की गयी और कितना रुपया मुआवजे के रूप में दिया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इसके लिये 54 लाख 40 हजार रुपया जिलाधिकारी, रायबरेली के पास जमा कर दिया गया है । 27 जून, 1981 के बाद जमीन का अधिग्रहण हुआ है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, किसानों ने दिनांक 30 नवम्बर, 1981 से 30 दिसम्बर, 1981 तक क्रमिक अनशन इसलिये किया था कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया था । आपने बताया है कि रुपया जमा कर दिया गया है । तो सरकार ने जमीन पर

कब्जा भी कर लिया और रुपया भी नहीं दिया। तो अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? दूसरी बात ऐसे दोषी अधिकारियों के प्रति, जिन्होंने रुपया नहीं बांटा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और रुपया तुरन्त सरकार बंटवा देगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, पुखारा गांव की जो जमीन ली गयी है, उसका पूरा मुआवजा दे दिया गया है। इसके मुआवजे की धनराशि 20 हजार 430 रुपये है। इसके अतिरिक्त 18 लाख 21 हजार 225 रुपये 49 पैसे की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। अन्य धनराशि जैसे-जैसे तय हो जाती है वैसे बांटी जा रही है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भूमि का अर्जन भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिनिधि विक्रय पत्र के भूमि के मूल्य की दर पर मुआवजा देकर किया जा रहा है। उनकी यह मांग थी कि बाजार रेट के मुताबिक मुआवजा नहीं मिला। यह भी उनके मांग-पत्र में था, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि मुआवजा बाजार रेट के मुताबिक नहीं था ? और क्या मुआवजे में संशोधन करके उसको देगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

जो जमीन की बिक्री की धनराशि देय है, जो साधारण तौर से जिस दर पर बेची जा रही है, उस दर को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कहा गया 54 लाख रु0 जून में जमा कर दिया, उसमें से केवल 18 लाख अभी बंट पाया है, 36 लाख रु0 अभी तक 6 महीने से जमा पड़ा है, तो इसका क्या कारण है कि जब आपने जमीन पर कब्जा कर लिया, 36 लाख रु0 आप एक्वीजीशन डिपार्टमेन्ट को दे चुके तो फिर उसको बांटे जाने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

इसमें विभाग की तरफ से कोई दोष नहीं है, वहां के कृषकों द्वारा ही जो मांग वे प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है और जैसे-जैसे वे अपनी बात कहते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है।

*19--श्री राम आसरे पासवान--

[23वें मगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय में कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण

*20—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेक विधायकों की शिकायतों (1980-81 में) के बावजूद वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0 प्र0 में एक ही स्थान पर 8 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय में इस समय केवल एक अधिकारी ऐसे हैं जो लगभग 8 वर्षों से कार्यरत हैं । इसका स्थानान्तरण किया गया था किन्तु विशेष परिस्थितियों में 31 अक्तूबर, 1981 तक स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखे गये थे । इन्हें कार्यमुक्त करने के लिए आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई

**1—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जितने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये हैं वहां पर 18 घंटे प्रति दिन विद्युत् सप्लाई की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों को, जो स्वतंत्र लाइनों से जुड़ी हैं और अविरल प्रक्रिया (कन्टीन्यूअस प्रोसेस) वाली इकाई हैं, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति करने की व्यवस्था है और की जा रही है । केवल विरल प्रक्रिया (नान कन्टीन्यूअस प्रोसेस) वाले उद्योगों पर सायंकाल चार घंटे की विद्युत् कटौती की जाती है । अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को उनसे क्षेत्र के अनुसार विद्युत् आपूर्ति की जाती है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां 4 घंटे कटौती की जाती है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जो नान कन्टीन्यूअस प्रोसेस हैं जितने भी पूरे प्रदेश में, उनकी 5·00 बजे से 9·00 बजे रात्रि तक विद्युत् कटौती की जाती है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मेरे क्षेत्र में गौरी बाजार औद्योगिक क्षेत्र घोषित है और वहां पर आज तक 4 घंटे बिजली दी जाती है तो क्या इसकी कोई निश्चित जानकारी मंत्री जी देंगे कि वहां पर और अधिक बिजली दी जाय ?

श्री सुनील शास्त्री--

जो कारपोरेशन हैं, वहां पर विद्युत् कटौती 2 घंटे की होती है। इसी प्रकार जिला मुख्यालयों पर 6 घंटे जिसमें यदि उद्योगों को बिजली नहीं मिलती तो वहां भी 4 घंटे की कटौती की जाती है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन में ही इनके उद्योग विभाग ने छोटे-छोटे कस्बों को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है और शासन से अनुदान लेकर छोटे-छोटे उद्यमियों ने तमाम उद्योग लगाये हैं और उन्हें 18 घंटे बिजली मिलेगी। इस तरह से जो इन्डस्ट्रियल एरिया आपने आबादी के हिसाब से बनाया है, जैसे 20 हजार की आबादी वालों को 4 घंटे और कवाल टाउन्स को 22 घंटे तो इस तरह से छोटे कस्बों में जो लोगों ने उद्योग मुकर्रर किया है, उनके उद्योगों के लिए अलग से फीडर लगाकर कम से कम 18 घंटे तो उनको विद्युत् सप्लाई करने की व्यवस्था की जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, अभी वहां पर शेड्यूल रूप में हमने इसको किया है और जो माननीय सदस्य ने बात कही वह शासन के विचार में है कि इन्डस्ट्रियल फीडर को सेपरेट किया जाय।

नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के चुनाव

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो उत्तर में कहा गया, यह बात तो हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि मामला शासन के विचाराधीन है। आप जिला पंचायतों के चुनाव कराने जा रहे हैं। चुनाव कार्यालयों में नागर क्षेत्रों की मतदान सूची तैयार हो गई। अब वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार बार-बार टाल रही है और अब भी यह कह दिया गया कि मामला शासन के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष --

बताया तो उन्होंने कि विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसी का मैं कारण जानना चाहता हूं कि जब यह तय हो गया था कि दिसम्बर, 82 में चुनाव होंगे तो अब मामला विचाराधीन कहने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अभी मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था जो माननीय सदन ने पारित किया है। वह विधान परिषद् के सामने लम्बित है जब वहां से पारित हो जायेगा उसके बाद चुनाव कराने की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने जो बात अभी बताई कि यह एक विधेयक यहां पेश हुआ तो यह 10-15 दिन के अन्दर पास हो जायेगा तो क्या माननीय मंत्री जी दो महीने के भीतर चुनाव करा देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, आगे की बात के बारे में कैसे कहा जाय। पहले विधान परिषद् में पारित हो जाय, अधिनियम बन जाय उसके बाद सरकार चुनाव कराने की कोशिश में है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदन को यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कब तक इस पर विचार पूरा कर लेगी। विचार करने का कोई तिथि है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बता चुके।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जितने दिन जनता शासन ने इस प्रश्न को विचाराधीन रखा है, क्या उतने समय तक हमारा भी शासन इसको विचाराधीन रखने की बात सोच रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि अप्रैल और मई, 80 में आपकी वोटर लिस्ट 18 साल की उम्र के आधार पर मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ उसका रिवाइज होना बाकी है तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि 30 जून तक आप यह चुनाव करा देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, महीना और तिथि बताना मुश्किल है, लेकिन शासन यह चाहता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिये जायं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

सरकार के विचाराधीन कौन सी बात है जिसकी वजह से वह चुनाव नहीं कराना चाहती ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बता दिया उन्होंने ।

अतारांकित प्रश्न

पट्टेदारों के नाम खाता खतौनी से हटाने के आदेश

1--श्री राम आसरे वर्मा--

द्वितीय सत्र 81 के प्रथम शुक्रवार (18-9-81) के अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो पट्टे निरस्त किए गये हैं उनके नाम अभी भी तहसील के अभिलेखों (खाता खतौनी) में दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निरस्त पट्टेदारों के नाम खाता खतौनी से हटाने का आदेश देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सब रजिस्ट्रार कार्यालय, लखनऊ में हुये गलत बैनामों के संबन्ध में शिकायती-पत्र

2--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, लखनऊ में हुए गलत बैनामों के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र गुलशन भसीन, एडवोकेट का जनवरी के पहले सप्ताह 1982 में आई0 जी0 रजिस्ट्रेशन, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है ।

कलेक्ट्रेट, उन्नाव जनपद में लिपिक पद हेतु साक्षात्कार तथा विकलांग व हरिजनों की नियुक्तियां

3--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 21-9-81 को कलेक्ट्रेट उन्नाव जनपद उन्नाव में लिपिक पद हेतु साक्षात्कार हुआ था जिसमें विकलांगों तथा हरिजनों ने साक्षात्कार दिया था ? यदि हां, तो आरक्षण के आधार पर इसमें कितने विकलांगों व हरिजनों की नियुक्तियां हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कलेक्ट्रेट उन्नाव में लिपिकीय वर्ग में चयन हेतु दिनांक 21-9-81 को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था । वास्तव में यह साक्षात्कार दिनांक 21 व 23 अगस्त, 1981 को हुआ था जिसमें 19 हरिजनों तथा 2 विकलांगों एवं 232 अन्य अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हुए थे । आरक्षण के आधार पर कुल

नोट--प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्न समाप्त हो गये ।

15 चयनित अभ्यर्थियों में 5 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चुने गये परन्तु शैक्षिक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन समिति ने किसी विकलांग को चयन किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया ।

गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के गाड़ी नम्बर यू0 आर0 एल0 7090 में खर्च हुआ पेट्रोल

4—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ के गाड़ी यू0 आर0 एल0 7090 में 30 जून, 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच कितना पेट्रोल खर्च हुआ ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नगत गाड़ी में 30 जून, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कुल 1548 लिटर पेट्रोल खर्च हुआ ।

गन्ना संघ, लखनऊ, में नब्बे दिवसीय लिपिकों की नियुक्ति का आधार

5—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ में कितने 90 दिवसीय लिपिकों की नियुक्ति जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में की गई ? नियुक्ति का आधार क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ में जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में केवल एक 90 दिवस तक की अल्पकालीन लिपिक की नियुक्ति की गयी है । यह पद कृषि उत्पादन आयुक्त के मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना के सम्बन्ध में है ।

प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के अतिरिक्त सचिव डा0 एस0एन0 राय को विभिन्न मदों में भुगतान

6—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ के अतिरिक्त सचिव (एस0 एन0 राय) को 1-7-81 से 31-12-81 के बीच कितना धन प्रतिमास बोनस, आनरेरिया, जोपकार, टेलीफोन, चपरासी, मकान किराया, डबल ड्यूटी एलाउन्स, डेपुटेशन एलाउन्स, नकदीकरण, एक्सग्रेसिया हाउस एलाउन्स आदि मिला है ? ये सुविधायें उन्हें किस आधार पर दी गयी हैं ? क्या कार्मिक विभाग से जांच कराकर रुपया वापस करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के अतिरिक्त सचिव (डा0 एस0 एन0 राय) को दिनांक 1-7-81 से 31-12-81 के बीच प्रश्न में उल्लिखित मदों के भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :—

1—बोनस 2—आनरेरिया	इन मदों पर कोई भुगतान नहीं किया गया ।
3—जीप/कार 4—टेलीफोन 5—चपरासी	ये सुविधायें उक्त अधिकारी को कार्य-हित में दी गयी हैं, पर इन मदों पर उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है ।
6—डबल ड्यूटी एलाउन्स 7—नकदीकरण 8—एक्सग्रेसिया	कोई भुगतान नहीं किया गया ।
9—डेपुटेशन एलाउन्स 10—हाउस रेन्ट एलाउन्स	निम्नवत्

माह	डेपुटेशन एलाउन्स	हाउस एलाउन्स
जुलाई, 1981	148.00	133.20
अगस्त, 1981	148.00	133.20
सितम्बर, 1981	148.00	133.20
अक्तूबर, 1981	148.00	133.20
	8.00	7.20
नवम्बर, 1981	156.00	140.40
दिसम्बर, 1981	156.00	140.40
योग ..	912.00	820.80

उपर्युक्त में से उक्त अधिकारी को प्राप्त सुविधायें कार्य के हित में सामान्य व्यवस्था और नियमों के अन्तर्गत दी गयी हैं । जहां तक हाउस रेन्ट एलाउन्स की उपयुक्तता का प्रश्न है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है । अतः इस समय कोई रुपया वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितनी हरिजन बस्तियों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण किया जायगा ? विकास क्षेत्रानुसार गाँवों के नाम (उक्त अनुसार) क्या हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद झांसी में गांवों का विद्युतीकरण

8—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में वर्ष 1978 से 1979 तक तथा वर्ष 1979 से 1980 में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है ? शासन की और कितने गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद झांसी में वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में क्रमशः 11 (ग्यारह) तथा 7 (सात) ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1980-81 में 6 (छः) तथा वर्ष 1981-82 में 31-1-82 तक 2 (दो) अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया गया है। इन ग्रामों के अतिरिक्त 216 (दो सौ सोलह) और ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बस्ती के ग्राम गिदही बुजुर्ग व खुर्द के कृषकों की विद्युत् उप केन्द्र के निर्माणार्थ ली गई भूमि तथा प्रतिकर का निर्धारण

9—कुमारी अलमेलु अम्माल—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के ग्राम गिदही बुजुर्ग के कितने कृषकों के खेत विद्युत् विभाग द्वारा लिये गये हैं । क्या उन्हें मुआवजा दे दिया गया तथा क्या उनके आश्रितों को नौकरी दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद बस्ती के ग्राम गिदही बुजुर्ग व खुर्द के तेरह कृषकों की 6·374 एकड़ भूमि की विद्युत् उप केन्द्र के निर्माण हेतु अध्याप्ति हेतु कार्यवाही की गयी । अभी उन कृषकों को देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनके आश्रितों को नौकरी दिलाये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही राज्य विद्युत् परिषद द्वारा उचित समय पर की जायगी । कतिपय कृषकों ने भूमि अध्याप्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है जिसके कारण प्रतिकर का निर्धारण एवं वितरण अभी सम्भव नहीं है ।

जनरल मैनेजर, रामपुर फैक्ट्री के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10--श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-1-82 का कोई पत्र जिसमें जनरल मैनेजर, रामपुर फैक्ट्री के विरुद्ध कुछ शिकायत की गयी है, का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, शिकायती-पत्र प्राप्त हो गया है । शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

गाजीपुर जनपद में जल विद्युत् वितरण के केन्द्र, उप केन्द्रों के रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि

11--श्री राम नारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जल विद्युत् वितरण के कितने केन्द्र, उप केन्द्र हैं तथा इनकी निर्धारित क्षमता कितनी है और वर्ष 1980 से अब तक इनके रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा किन-किन मदों पर तथा यह भी बतावें कि जनवरी, 1981 से अब तक कितने मेगावाट विद्युत् इन केन्द्रों, उप केन्द्रों द्वारा उद्योग, कृषि को अलग-अलग दी गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

12--श्री हरिवंश सहाय--

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

पन्नी शुगर मिल, बलन्दशहर में बी0 आई0 एस0 एस0 की बनी चीनी

13--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पन्नी शुगर मिल, बलन्दशहर में दिनांक 25 अप्रैल, 1980 से 10 जनवरी, 1981 के बीच कितनी चीनी बी0 आई0 एस0 एस0 की बनी ? तथा इसी शुगर फैक्ट्री में 25 अप्रैल, 1980 को कितनी चीनी बी0 आई0 एस0 एस0 की स्टाक में मौजूद थी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर में दिनांक 25 अप्रैल, 1980 से 10 जनवरी, 1981 के बीच कोई चीनी बी0 आई0 एस0 एस0 की नहीं बनीतथा इसी शुगर फैक्ट्री में 25 अप्रैल, 1980 को 10,005 कुन्टल चीनी बी0 आई0 एस0 एस0 की स्टाक में मौजूद थी जो वर्ष 1979-80 में बनी थी ।

14--श्री बाबूराम--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गन्ना सोसायटी, मुरादाबाद में बकाया धनराशि

15—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना सोसायटी, मुरादाबाद में किन-किन लोगों पर रु0 5,000 से अधिक बकाया है और कितने वर्षों से और उसके वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

साहू शुगर वर्क्स, हजरतनगर गढ़ी, मुरादाबाद का लाइसेन्स

16—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री को विदित है कि साहू शुगर वर्क्स, हजरतनगर गढ़ी, मुरादाबाद का लाइसेन्स समाप्त हो चुका है परन्तु उसके बाद भी यह शुगर फैक्ट्री चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

साहू शुगर वर्क्स, हजरतनगर गढ़ी, मुरादाबाद के लिए कोई लाइसेंस नहीं जारी किया गया था और न इस नाम से कोई भी खाण्डसारी इकाई इस ग्राम में चलाई जा रही है । अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला सीतापुर, विकास खंड, हरगांव में बिजली के तार से व्यक्तियों की मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17-3-81 को सीतापुर जिले के विकास खंड, हरगांव के ग्राम कटेसर में बिजली के तार जो टूट कर जमीन पर गिरे पड़े थे, उससे छू जाने के कारण 2 व्यक्तियों (हरिजनों) की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो मृतकों के आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । मृतकों के आश्रितों को एक-एक हजार रुपया की तदर्थ आर्थिक सहायता दे दी गई है ।

18—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

19—श्री राम आसरे वर्मा—

[5-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 52 द्वारा उत्तरित ।]

गाजीपुर जनपद में बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वादों का निस्तारण

20—श्री राम नारायण सिंह—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1979 से वर्ष 1981 में कितने वाद बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुये हैं तथा कितने वादों का निस्तारण हो चुका है तथा इनमें कितने वादों का निस्तारण निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1979 से वर्ष 1981 तक 5021 वाद बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुये तथा 3271 वादों का निस्तारण हो चुका है। इनमें से कोई ऐसा वाद नहीं है जिसका निस्तारण निर्धारित अवधि के अन्दर न किया गया हो।

21—श्री जंगबहादुर—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गन्ना चीनी मिल, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष में कटौती का आधार

22—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना चीनी मिल खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गन्ना ग्राम सेवक, श्री शिव शंकर पान्डेय की सेवा समाप्ति तथा पुनर्नियुक्ति पर विचार

23—श्री जंगबहादुर—

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि शिवशंकर पान्डेय की नियुक्ति गन्ना ग्राम सेवक के पद पर वाराणसी में 12-10-77 को की गयी थी तथा 30-12-81 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो सेवा समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार पुनः नियुक्ति किए जाने के लिए विचार करेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम भाटाडी तिलौरा, जनपद जौनपुर का विद्युतीकरण

24—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम सिंह, ग्राम भाटाडी तिलौरा, जनपद जौनपुर का उक्त गांव के विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1981 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सठियांव, आजमगढ़ के निर्माणार्थ ली गई भूमि तथा प्रतिकर का निर्धारण

25—श्री पंचानन राय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राम शब्द पुत्र स्व० श्री झूरी यादव, निवासी ग्राम सुराई, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ की जमीन किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सठियांव, आजमगढ़ के निर्माणार्थ ली गयी है ? क्या शासन की तरफ से आदेश है कि जिनकी भूमि मिल के निर्माणार्थ ली गयी है उन्हें स्थायी सेवा में रखा जायेगा ? यदि हां, तो राम शब्द को तीन वर्षों से अधिक तक दैनिक मजदूरी पर रखने का क्या औचित्य है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26—श्री यदुनाथ सिंह—

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

जनपद हरदोई के ब्लाक अहिरोरी एवं टंडियावां में ट्यूबवेलों को विद्युत् कनेक्शन

27—श्री परमाई लाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक अहिरोरी एवं टंडियावां में 1980-81 में कितने ट्यूबवेलों को विद्युत् कनेक्शन दे दिया गया है और कितनों को नहीं ? जिन ट्यूबवेलों को विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद हरदोई के विकास खंड अहिरोरी के दो व्यक्तियों द्वारा नलकूप कनेक्शनों हेतु समस्त औपचारिकतायें वर्ष 1980-81 में पूरी की गयी थीं तथा उनको वर्ष 1980-81 में ही कनेक्शन दे दिया गया था । विकास खंड टंडियावां के किसी भी व्यक्ति द्वारा नलकूप कनेक्शन हेतु वर्ष 1980-81 में समस्त औपचारिकतायें पूरी नहीं की गयीं, अतः कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लालकुंआं जनपद नैनीताल में भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत

28—श्री बलवीर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 4-12-81 जिसमें लालकुंआं जनपद नैनीताल में भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की गयी है, उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । मूल पत्र को जिलाधिकारी नैनीताल को जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । साथ ही, यह भी कह दिया गया है कि कृत कार्यवाही से माननीय विधायक को भी अवगत करायें । इस बात की सूचना माननीय विधायक को दिनांक 27-1-82 के पत्र द्वारा भेजी गई है ।

सर शादी लाल शुगर मिल, मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फर नगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष के लिए की गई कटौती का आधार

29—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सर शादी लाल शुगर मिल मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गन्ना सहकारी समिति, शामली में किसानों के वेतन से की गई कटौती

30—श्री हुकम सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों से अल्प बचत योजना व राष्ट्रीय बचत कोष के लिए किस आधार पर कटौती की जा रही है एवं कटौती किया गया धन क्या किसानों के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जा रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अहिबरन सिंह, ड्राईवर, जनपद मैनपुरी की सेवा निवृत्ति तथा पुनः उसी पद पर पुनर्नियुक्ति

31—श्री रामधनी—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि श्री अहिबरन सिंह, ड्राईवर, जो तहसील करहल, जनपद मैनपुरी से वर्ष 1981 में सेवा निवृत्त हुए थे, को पुनः उसी पद पर वहां नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री अहिबरन सिंह, दिनांक 30-6-81 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं और इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की गई है। जनपद में बाढ़ एवं विशेष अपराधिक परिस्थितियों के कारण कार्य अधिक हो जाने तथा अन्य योग्य ड्राईवर उपलब्ध न होने के फलस्वरूप श्री अहिबरन सिंह को परगनाधिकारी, करहल द्वारा केवल दैनिक मजदूरी पर कार्य हित में रख लिया गया है। चुनाव समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने पर नियमित नियुक्ति की जायेगी।

जनपद मैनपुरी की तहसील करहल में प्रशिक्षित लेखपाल होते हुए अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति

32—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत तहसील करहल में प्रशिक्षित लेखपाल होते हुए अप्रशिक्षित लेखपालों को 1981 में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो जांच कराकर ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? साथ ही क्या मन्त्री जी अप्रशिक्षित लेखपालों को हटा कर प्रशिक्षित लेखपालों को नियुक्त करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1981 में जनपद मैनपुरी की तहसील करहल में 3 अप्रशिक्षित लेखपाल रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये थे, परन्तु उनकी नियुक्ति के समय प्रशिक्षित लेखपालों की सूची उक्त जनपद में प्राप्त नहीं हुई थी और कार्य के हित में पद रिक्त नहीं रखे जा सकते थे। उन तीनों में से एक लेखपाल की नियुक्ति उसके मृतक पिता जो सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो थे के आश्रित होने के कारण की गई थी।

प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध होने पर अवशेष दो अप्रशिक्षित लेखपालों के स्थान पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है।

ब्लाक बिल्हौर व ककवन, जनपद कानपुर में अतिवृष्टि से गृह अनुदान का वितरण

33—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मन्त्री प्रश्नकर्ता के दिनांक 20 फरवरी, 81 की कार्यसूची में अता0 प्र0 सं0 47 के दिए गये उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संलग्न कर-गृह अनुदान सम्बन्धी ग्रामीणों की जो दरख्वास्तें जिलाधिकारी, कानपुर व परगनाधिकारी तथा तहसीलदार, बिल्हौर को प्राप्त होना स्वीकार की गयीं उनमें से किस-किस को गृह अनुदान दिया गया और जो लोग अपात्र मान कर गृह अनुदान से वंचित किए गये उनकी अपात्रता के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी, कानपुर, परगनाधिकारी तथा तहसीलदार बिल्हौर की प्राप्त गृह अनुदान सम्बन्धी कुल 201 दरख्वास्तों में से 98 आवेदकों को गृह अनुदान दिया गया जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। शेष व्यक्तियों को गांव में रहने, सीमा से अधिक भूमि या मासिक आय होने अथवा मकान न क्षतिग्रस्त होने या मकान को क्षति सीमा से कम होने के कारण गृह अनुदान नहीं दिया गया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1333 पर।)

मेला मकनपुर स्मारिका में विज्ञापनों के प्रकाशनों से कोष में जमा की गई धनराशि

34—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगनाधिकारी, बिल्हौर जनपद कानपुर की अध्यक्षता वाली मेला मकनपुर की जो स्मारिका वर्ष 1981 में प्रकाशित हुई है, उसमें कितने विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और उन विज्ञापनों से मेला कमेटी मकनपुर के कोष में कितना धन जमा किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1981 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत परगनाधिकारी बिलहौर की अध्यक्षता वाली मेला मकनपुर की जो स्मारिका प्रकाशित हुई है, उसमें निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और उन विज्ञापनों से फर्म के नाम के सामने इंगित धनराशि जमा कराई गयी :—

1—सोसाइटी ज्वैलर्स, बिरहाना रोड	100
2—एग्रो एजेन्सी डीलर, बिल्हौर	200
3—सलूजा आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज बिल्हौर	200
4—एम0 पी0 आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, बिल्हौर	200
5—जमुना आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, बिल्हौर	200
6—सीताराम आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, बिल्हौर	200
7—हरी ट्रेडर्स, बिल्हौर	100
8—मेसर्स अजय कुमार रामचन्द्र, कटरा बिल्हौर	200
9—बिल्हौर फिलिंग स्टेशन, बिल्हौर	200
10—साधन सरकारी समिति, मरियानी	050
11—मेसर्स इण्डियन पेट्रोलियम	200
12—साधन सहकारी समिति, खरकपुर	050
13—यू0 पी0 हैण्डलूम, कानपुर (इनसे विज्ञापन शुल्क अप्राप्त है)	
कुलयोग	1,900

इस 1,900 की धनराशि का भुगतान कानपुर के टिप-टाप प्रेस को दिनांक 19-3-81 को किया गया। वसूल की गई धनराशि का अवशेष न होने के कारण कोई धनराशि मेला कमेटी मकनपुर के कोष में जमा नहीं की गई।

मेला मकनपुर स्मारिका हेतु छपवाई गई चन्दे की रसीदें तथा अध्यक्ष, मेला कमेटी के विरुद्ध गबन का आरोप

35—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत मेला मकनपुर की स्मारिका छपवाने हेतु चन्दे की कई हजार रसीदें वर्ष 1980-81 में बिना प्रेस नाम के फर्जी छपवाकर उन्हीं रसीदों द्वारा चन्दा व विज्ञापन का धन वसूल किया गया तथा उस धन का कई हजार रुपया मेला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा गबन किया गया ? यदि हां, तो प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1981 को तत्सम्बन्धी पत्र मा0 मुख्य मन्त्री को देने के उपरान्त मेला कमेटी मकनपुर के अध्यक्ष अर्थात् परगनाधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह सही है कि वर्ष 1980-81 में जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत मेला मकनपुर की स्मारिका छपवाने हेतु चन्दा की 40 रसीद बुक (प्रत्येक में 25 रसीदें) छपवाई गई। यह रसीद बुकें शेरवानी प्रिन्टर्स से छपवाई गयी, जिनमें प्रेस का नाम नहीं दिया गया है किन्तु रसीदें रिकार्ड में उपलब्ध हैं। इसमें से केवल एक रसीद बही का उपयोग हुआ और उसमें से 13 रसीदें काटी गई जो स्मारिका में दिए गए विज्ञापनों से सम्बन्धित थी। कुल 1,900 की रसीदें काटी गई और उक्त धनराशि का भुगतान स्मारिका छपाने हेतु कानपुर के टिप-टाप प्रिन्टर्स को दिया गया। इस प्रकार से अध्यक्ष, मेला कमेटी द्वारा वसूल की गई धनराशि का गबन किया जाना नहीं पाया गया और माननीय विधायक द्वारा दिनांक 24-3-1981 के पत्र में लगाए गए आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण मेला कमेटी के अध्यक्ष अर्थात परगनाधिकारी बिल्हौर के विरुद्ध इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बाढ़ एवं वर्षा से हुई क्षति से तहसील सलेमपुर के ग्रामों में वितरित की गई अहेतुक सहायता

36—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में जुलाई-अगस्त-सितम्बर, 1980 की बाढ़ एवं वर्षा से हुई क्षति में कितना राहत किन-किन मदों में किस-किस गांव में किसे-किसे 1 जुलाई, 1980 से 21 दिसम्बर, 80 के बीच दी गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाढ़ एवं वर्षा से हुई क्षति के कारण तहसील सलेमपुर के कुल 704 ग्रामों में 1-7-80 से 31-12-80 तक अहेतुक सहायता के रूप में 19,800 परिवारों के 96,000 व्यक्तियों को 2930 कुन्तल चावल, 3350 कुन्तल गेहूं, 117 कुन्तल नमक, 1131 बर्तन दियासलाई तथा 10565 लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त 704 ग्रामों में से 17 ग्रामों के 1720 परिवारों को 1720 बोरी गेहूं की दलिया व 688 टिन खाद्य तेल, 139 ग्रामों के 970 व्यक्तियों को 660 धोती एवं 110 साड़ी और 92 ग्राम-

के 1229 परिवारों को कुल 1,09,650 रु0 गृह अनुदान के मद में वितरित किया गया ।

लाभान्वित व्यक्तियों की ग्रामवार सूची पूर्व सूचना के उपरान्त मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

ग्राम नन्दपुर, जनपद फैजाबाद में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

37—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम नन्दपुर, तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20—9—81 को कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जांच कराई गई तथा अवैध कब्जा ग्राम सभा भूमि से हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं ।

कोषागार कार्यालय गोरखपुर के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु पदों के सृजन पर विचार

38—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कोषाधिकारी ने अपने पत्रांक 5898/कोष अधि0, दिनांक 30—9—81 द्वारा उप सचिव वित्त सेवाएं अनुभाग उ0 प्र0, लखनऊ को कार्यालय के कार्य को सुचारु रूप से संचालन हेतु कुछ सृजित पदों की भर्ती व स्वीकृति हेतु लिखा है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और इसकी स्वीकृति कब तक भेज दी जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कोषाधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक 5898/कोष /अधि0 दिनांक 30-9-81 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है वरन् जिलाधिकारी गोरखपुर का पत्र संख्या 5998/कोष/अधि0, दिनांक 30—9—81 प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

रिकार्ड आपरेशन का मुख्यालय, फैजाबाद किए जाने हेतु संस्तुति

39—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि टांडा तहसील, जनपद फैजाबाद के करीब 28 गांवों के रिकार्ड आपरेशन तहसील मुख्यालय के बजाय फैजाबाद मुख्यालय पर किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 30 सितम्बर, 1981, 5 अगस्त, 1981 का कोई शिकायती—पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराई गई तथा पुनः रिकार्ड आपरेशन मुख्यालय, टाण्डा में किए जाने हेतु आदेश दिया गया तथा दोषी अधिकारी को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

केवल 5 अगस्त, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ था । चूंकि उक्त पत्र के प्राप्त होने के पूर्व एक अन्य विधायक का उक्त वर्णित तथ्यों पर आधारित पत्र प्राप्त हो चुका था जिस पर जांच करायी जा रही थी अतः प्रश्नकर्ता के पत्र पर अलग से जांच नहीं करायी गयी । मामले में की गयी जांच से विदित हुआ कि रिकार्ड आपरेशन का मुख्यालय टाण्डा में स्थापित करना कार्य के हित में नहीं है क्योंकि तहसील के सभी ग्रामों का कब्जा परिवर्तन का कार्य समाप्त हो चुका है और अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य चल रहा है । टाण्डा में कृषकों द्वारा भीड़-भाड़ एवं अभिलेखों में अनियमित हेर-फेर के प्रयासों के कारण अभिलेखों की तैयारी का कार्य बहुत मन्द गति से चल रहा था । कार्य की गति में प्रगति लाने हेतु कार्यालय को फैजाबाद स्थानान्तरित करना आवश्यक पाया गया । कार्यालय को पुनः टान्डा ले जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री नियाज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध अवैध कब्जे की बेदखली हेतु वाद तथा क्षेत्रीय लेखपाल के स्थानान्तरण की कार्यवाही

40—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री नियाज, निवासी सहसेमऊ, मौजा रानीपुर, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद ने उक्त मौजा की ग्राम समाज की ढाई बीघा जरीबी भूमि पर अनधिकारी स्थायी बाग लगवा कर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री नियाज के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि अवैधानिक रूप से कब्जा करने के लिए मुकदमा कायम करके कार्यवाही करेगी तथा क्षेत्रीय लेखपाल का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, श्री नियाज पुत्र गुलाम निवासी रानीपुर मजरे सहसेमऊ, तहसील बीकापुर ने गांव सभा भूमि नम्बर 1078, तीन बीघा, आठ बिस्वा चार धूर पर अवैध तरीके से कब्जा कर आम के पेड़ लगभग एक वर्ष हुआ लगा लिये हैं ।

गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जे की जानकारी होने पर तहसीलदार बीकापुर के न्यायालय में श्री नियाज के विरुद्ध अवैध कब्जे की बेदखली हेतु वाद अन्तर्गत धारा 122-बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कायम हुआ जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय लेखपाल के स्थानान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार बीकापुर के स्तर पर की जा रही है । आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

तहसील खलीलाबाद, बस्ती में स्थायी रूप से नियुक्त संग्रह अमीन तथा अस्थायी एवं सीजनल रूप से नियुक्त किये जाने हेतु व्यक्तियों की ज्येष्ठता क्रम सूची

41—श्री रूपराम —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद (बस्ती) में स्थाई एवं सीजनल रूप से खपाए गये अमीनों (छटनी एवं गैर-छटनी शुदा) में

वरिष्ठता क्रम में आरम्भ से 20 तक के लोगों का नाम, शैक्षिक योग्यता एवं कुल सेवा अनुभव क्या है ? उक्त तहसील में सेवा निवृत्ति से कुल कितनी जगहें रिक्त हैं तथा इस समय कौन-कौन कार्यरत हैं ? क्या सरकार वरिष्ठता-क्रम से नियुक्ति कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील खलीलाबाद बस्ती में स्थायी रूप से नियुक्त 20 संग्रह अमीनों का नाम शैक्षिक योग्यता एवं कुल सेवा अनुभव का विवरण संलग्न सूची (क) में और समय-समय पर सीजनल एवं अस्थायी रूप से नियुक्ति किये जाने हेतु 20 व्यक्तियों का ज्येष्ठता क्रम में विवरण संलग्न सूची (ख) में है। उक्त तहसील में सेवा निवृत्ति से संग्रह अमीनों के कुल 6 स्थान रिक्त हुये जिन पर संप्रति अस्थायी रूप से सर्वश्री गोपाल प्रसाद, वशिष्ठ प्रसाद, हरीराम, रामाज्ञा प्रसाद, मोहर अली और रमाकान्त कार्यरत हैं। उ0 प्र0 कनेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत शीघ्र नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जायगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1337 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् में अपने गृहजनपदों में कार्यरत सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता

42--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राज्य विद्युत् परिषद् के कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता तथा समकक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऐसे स्थानों पर तैनात हैं, जो उनके गृह जनपद है, गृह जनपद के निकट है अथवा गृह जनपद उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है ?

श्री सुनील शास्त्री--

वांछित सूचना इस प्रकार है :--

क्रम सं0	पद नाम	गृह जनपद में नियुक्त अधिकारियों की संख्या	गृह जनपद के निकट नियुक्त अधिकारियों की संख्या	जिनके कार्य-क्षेत्र में उनका गृह जनपद आता है अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	सहायक अभियता	160	431	60
2	अधिशासी अभियन्ता	36	61	12

1	2	3	4	5
3	अधीक्षण अभियन्ता	9	9	8
4	मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	3	1	4
5	अन्य वरिष्ठ अधिकारी इनमें कार्मिक अधिकारी, कल्याण अधिकारी तथा लेखा शाखा के अधिकारी सम्मिलित हैं	14	19	5
	योग ..	222	521	89

शारदा सहायक नहर से प्रभावित ग्रामों की पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

43—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभावित ग्रामों की कुल संख्या कितनी है और उनका सर्वेक्षण कब प्रारम्भ किया गया तथा कब तक पूरा होने की सम्भावना है ? क्या शासन प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-10-80 के अनुसार पुनः चकबन्दी कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रभावित ग्रामों की संख्या 80 है । शारदा सहायक नहर से प्रभावित ग्रामों की पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-10-80 के प्राप्ति के बाद इन ग्रामों का आवश्यक सर्वेक्षण/तथ्यों की जांच कराई गई । 80 ग्रामों में से 77 ग्रामों में नहर विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति की जा चुकी है तथा प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है । सभी ग्रामों में कब्जा परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है तथा 53 ग्रामों में धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन हो चुका है तथा शेष ग्रामों में धारा 52 की विज्ञप्ति जारी कराने की कार्यवाही चल रही है क्योंकि किसी भी ग्राम में धारा 52 (1) की विज्ञप्ति का प्रख्यापन हुये 10 वर्ष नहीं हुआ है अतः नियमानुसार दुबारा चकबन्दी नहीं कराई जा सकती ।

प्रधान, चितवसांव के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण

44—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमित कार्य करने के लिए प्रधान के विरुद्ध 5-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रधान चितवसाव के विरुद्ध दिनांक 5-11-81 तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है । प्रधान पर लगाए गए आरोप का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ।

बस्ती जिले की समस्त तहसीलों में जलभराव, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकान तथा विद्यालय भवन

45--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के डुमरियागंज, बांसी, नौगढ़, बस्ती, हरैया तथा खलीलाबाद तहसीलों में जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1981 तक पानी इकट्ठा होने तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि व कटान से कितने मकान तथा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए और किन-किन को कितनी-कितनी सहायता दी गयी है और कितने गांव सहायता से वंचित हैं ? क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक श्री सुखपाल पाण्डेय ने कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बस्ती जनपद की समस्त तहसीलों में जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1981 तक जल भराव, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से 82,591 मकान तथा 8 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए । क्षतिग्रस्त मकानों के गृह स्वामियों को सहायता वितरण कार्य हेतु शासन से 58.50 लाख रु0 का आबंटन कर दिया गया है । वितरण कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है । इसके लिए जिलाधिकारी से कहा जा रहा है । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व विधायक श्री सुखपाल पान्डेय द्वारा की गई शिकायत की जानकारी की जा रही है ।

ग्राम रेहुंटा जनपद बांदा के ग्राम प्रधान श्री शिवरतन द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में निलम्बन

46--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करबी तहसील में ग्राम रेहुंटा के निवासी राजराम पुत्र केदार सिंह आदि ने 30-9-81 को डिवीजन कमिश्नर झांसी के पास प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि रेहुंटा गांव के ग्राम प्रधान श्री शिवरतन ने अपने सगे भतीजों के नाम सीलिंग की जमीन के पट्टे अवैधानिक रूप से कर लिए हैं और इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो अवैधानिक पट्टों को खारिज करने एवं पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । ग्राम रेहुंटा, तहसील कर्वी, जनपद बांदा के सीलिंग से छः अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने के मामले अतिरिक्त आयुक्त झांसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं । इस बीच एक और मामला अनियमित पट्टे की जांच में पाया गया है जिसको निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त अनियमित पट्टों के लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री शिवरतन तथा लेखपाल श्री राम सजीवन सिंह को निलम्बित कर दिया गया है । सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर की तहसीलों में सुपरवाइजर कानूनगो व सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति

47—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की किन-किन तहसीलों में कितने सुपरवाइजार कानूनगों सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों पदों पर वित्तीय वर्ष 1979-80, 1981-82 में अनुसूचित जाति के कोटे में पदोन्नति की गयी ? क्या अब भी निर्धारित कोटा कम है, क्या इसकी पूर्ति हेतु तत्काल कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सुपरवाइजर कानूनगो का सम्वर्ग राज्य स्तर का है तथा राजस्व परिषद्, उ० प्र० द्वारा जिलों की आवंटित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से इन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं । जनपद गोरखपुर में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव में प्रश्नगत अवधि में क्रमशः 18, 15 तथा 13 पदों के लिये स्थानापन्न/अस्थायी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर चयन किया गया था । इस चयन के फलस्वरूप तहसील बांसगांव में वर्ष 1979-80 में दो, 1980-81 व 1981-82 में तीन-तीन पदों पर तथा तहसील सदर में वर्ष 1981-82 में एक पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की प्रोन्नति की गई । इस प्रकार जिला स्तर पर सुपरवाइजर कानूनगो सम्वर्ग में अस्थायी प्रोन्नति में/अनुसूचित जाति के आरक्षण का निर्धारित कोटा पूरा कर लिया गया । सम्वर्ग राज्य स्तर का होने के कारण जिला अथवा तहसील स्तर पर निर्धारित कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का सम्वर्ग जिला स्तर का है तथा जिले में इस सम्वर्ग में कुल 27 पद स्वीकृत हैं । वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में पद रिक्त न होने के कारण किसी की प्रोन्नति नहीं की गयी । 1981-82 में एक कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने के कारण उस पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रोन्नत कर उसकी नियुक्ति सदर तहसील में की गयी । पदों के भविष्य में रिक्त होने पर शनैः-शनैः इस सम्वर्ग में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूरा किया जायगा ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में धोबीघाट व कपड़ा सुखाने वाली जमीन पर अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

48—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील बांस गांव के ग्राम माहोपार, पुरुषौली (गगहा,) गजपुर, जिगिना, चबरिया बधराई, बांसगांव खाल में धोबियों की आबादी, धोबीघाट व कपड़ों को सुखाने वाली जमीन

पर कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती से अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या ऐसे कब्जे को हटाते हुए उल्लिखित गांवों की इस प्रकार की जमीनों की पैमाइश कराकर पत्थर नशब करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शंकर शुगर इंडस्ट्रीज, कप्तानगंज, देवरिया की सीलिंग की भूमि का भूमिहीन हरिजनों में वितरण की मांग

49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गांव बड़हर उर्फ महावनखोर, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में शंकर शुगर इंडस्ट्रीज कप्तानगंज (देवरिया) की सीलिंग की करीब 60 एकड़ भूमि है, जिस पर आज तक उक्त संस्थान का ही कब्जा है ? यदि हां, तो इसे भूमिहीन हरिजनों में न बटवाये जाने के क्या कारण हैं ? और इसका वितरण कब तक हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मामला अभी नियत प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम परशुरामपुर, जिला बस्ती में बंजर एवं परती भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

50—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परशुरामपुर, तप्पा बनगवां, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती में कुल कितनी भूमि 1974 में बंजर एवं परती थी ? कितनी जमीन पर कौन-कौन लोग वर्ग-4 तथा अन्य प्रकार के काबिज लिखे हैं उनमें से कितने के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके अक्तूबर, 1981 तक कितनी जमीन खाली कराई गयी, कितने के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में दिये गये नए लाइट व फैन तथा पावर कनेक्शन

51—श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कुल कितने नए लाईट व फैन तथा पावर कनेक्शन दिए गये हैं ? क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं को इस्तेमाल की गई बिजली का बिल विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो यह कितने उपभोक्ताओं का है तथा ऐसा क्यों हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री--

नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में नए लाइट व फैन तथा पावर के निम्नलिखित कनेक्शन दिये गये :

वर्ष	लाईट व फैन	पावर
1979-80	25	10
1980-81	62	13

विगत 3 वर्षों में से वर्ष 1978-79, 1979-80 में सभी उपभोक्ताओं के बिल जारी किए गये हैं, परन्तु वर्ष 1980-81 में 7092 उपभोक्ताओं में से 6477 उपभोक्ताओं के बिल जारी किये गये हैं। शेष 615 उपभोक्ताओं के बिल शीघ्र ही जारी हो जाने की आशा है।

मनोरंजन अधिकारी के विरुद्ध जिलाधीश, फैजाबाद को दिया गया शिकायती-पत्र

52--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1981 के बाद 19-11-81 तक जिलाधीश, फैजाबाद को प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ श्री शरीफ भू0 पू0 टूरिंग टाकीज लाइसेन्सी के साथ जनपद के मनोरंजन अधिकारी के विरुद्ध जालसाजी के आरोपों के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

मामले में जांच की जा रही है।

ग्राम मझौआ, तथा पाण्डेयपुर के नागरिकों का ताल के फर्जी पट्टे से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

53--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझौआ तथा पाण्डेयपुर के नागरिकों का ताल फर्जी पट्टे से सम्बन्धित पत्र दिनांक 17-11-80 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 21-11-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम जमुवारी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का अतिवृष्टि से मकानों के गिरने से अनुदान वितरण में अनियमितताओं की जांच

54—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमुवारी, पो० रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का अतिवृष्टि के कारण मकानों के गिरने के अनुदान वितरण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1981 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किससे करायी गयी ? जांच के समय शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बलीदपुर, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच

55—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलीदपुर, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के 10 हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायत प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उप कोषागार, ऊषीमठ, जोशीमठ, जनपद चमोली में कार्यरत बिल पारण लिपिक

57—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कोषागार अधिष्ठान, जिला कार्यालय अधिष्ठान से अलग संवर्ग है तो किन परिस्थितियों में उप कोषागार, ऊखीमठ व उप कोषागार जोशीमठ, जनपद चमोली के बिल पारण लिपिकों व अन्य लिपिकों के पदों पर जिला कार्यालय अधिष्ठान के कर्मचारी कार्यरत हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उपकोषागार जोशीमठ में एक बिल पारण लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक तथा उपकोषागार ऊखीमठ के एक बिल पारण लिपिक के पद का सृजन जिला अधिष्ठान के संवर्ग में हुआ है, इसी कारण इन पदों पर जिला कार्यालय अधिष्ठान के कर्मचारी कार्यरत हैं ।

ग्राम चमियानी, विकास खंड पुरवा, जिला उन्नाव के किसानों का नलकूपों तथा घरेलू प्रयोग हेतु विद्युत् कनेक्शन

58—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चमियानी, विकास खंड पुरवा, जिला उन्नाव के किसानों का पिछले 6 वर्षों से रुपया जमा होने पर भी उनके नलकूपों तथा घरेलू प्रयोग हेतु बिजली के कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? और यह कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

उन्नाव जनपद के अन्तर्गत ग्राम चमियानी के जिन व्यक्तियों ने नलकूप तथा बत्ती-पंखा कनेक्शन हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं, उनमें से एक मामले को छोड़कर अन्य सभी को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

अवशेष एक मामले में कनेक्शन न दिये जा सकने का कारण यह है कि उनको कनेक्शन देने के पूर्व बीच में पड़ने वाले एक औद्योगिक संस्थान को कनेक्शन के लिये अनुबन्ध करना था जो नहीं किया गया था। यह अनुबन्ध भी अब हो गया है और अब अवशेष एक मामले में भी इस माह के अन्त तक कनेक्शन दिये जाने की आशा है।

गोंडा जनपद के विकास खंड करनैलगंज व परसपुर में बाढ़ से प्रभावित भूमि तथा अनुदान का विवरण

59—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जनपद के विकास खंड करनैलगंज व परसपुर में कितने हेक्टर भूमि इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुई तथा अनुदान एवं सहायता के रूप में कितना खाद्यान्न ग्राम सभावार को बांटा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोंडा जनपद के विकास खंड करनैलगंज व परसपुर में वर्ष 1981 को बाढ़ से 57,676 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई। इन दोनों विकास खंडों में अनुदान एवं सहायता का वितरण निम्न प्रकार किया गया :—

	गेहूं (कुन्तल में)	मिट्टी का तेल (लीटर में)	तकावी (रुपये में)	गृह अनुदान (रुपये में)
विकास खंड करनैलगंज	6,032	35,302	54,000	6,34,000
विकास खंड परसपुर	1,253	9,000	77,400	4,26,800

उपरोक्त वितरित सामग्रियों एवं अनुदान का ग्राम समाचार विवरण मेरे कार्यालय में पूर्व सूचना के उपरान्त देखा जा सकता है।

नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या

60—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय, नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के यहां मुकदमा नं0 453 व 454 व पकरीकलां व मु0 नं0 800, मु0 नं0 1349, 1372, 1373, 1374, 1375 गांव सभा किसुनापुर व मु0 नं0 94 व 305 गांव सभा चकहरकेश का फैसला सन् 1974 व 1975 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब तक उपरोक्त दाखिल खारिज के मुकदमें सन् 1979 से पुनः नायब तहसीलदार, तहसील ज्ञानपुर के यहां विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के न्यायालय में ग्राम पकरीकलां के मु0 नं0 453 और 454 तथा ग्राम चकहरकेश के मुकदमा नंबर 94, 305 विचाराधीन थे जिसका निर्णय 1974–75 में होकर खतौनी में अमलदरामद भी करा दिया गया है। प्रश्न में इंगित कोई भी वाद नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर के न्यायालय में वर्ष 1970 से लम्बित नहीं है।

आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी के समक्ष वादों पर कृत कार्यवाही

61—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि उपरोक्त मुकदमें एस0 डी0 एम0, ज्ञानपुर तथा कुछ कमिश्नर, वाराणसी के यहां भी चले थे और उनका फैसला सन् 1974 व 1975 में ही हो गया था ? यदि हां, तो उक्त फैसलों के मुताबिक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न संख्या 60 में ग्राम किसुनापुर के इंगित वाद संख्या 800 और 1349 उक्त गांव के नहीं हैं।

ग्राम किसुनापुर के मुकदमे सं0 840, 1381 1372, 1373, 1374 और 1375 एस0 डी0 ओ0, ज्ञानपुर के न्यायालय में चले और उनका निर्णय वर्ष 1975 में हो गया है, जिसका अमलदरामद भी राजस्व अभिलेखों में करा दिया गया है।

आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी के समक्ष चले वादों की स्थिति की सूचना प्राप्त की जा रही है।

राज्य विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ विद्युत् गृहों की अधिष्ठापित क्षमता

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर 1981 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् की अधिष्ठापित बिजली पैदा करने की क्षमता क्या थी ? उसी माह में प्रतिदिन का औसत वास्तविक जेनरेशन क्या रहा ? बिजली की कुल मांग क्या है तथा कितनी प्रतिशत बिजली की छीजन रही ?

श्री सुनील शास्त्री--

नवम्बर, 1981 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् से अधीनस्थ विद्युत्गृहों की अधिष्ठापित क्षमता 3494 मे0वा0 थी। इस माह में प्रतिदिन औसत वास्तविक उत्पादन 30 प्रतिशत मि0 यू0 रहा। माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 1981 में बिजली की दैनिक औसत मांग क्रमशः 47·3 व 51·6 मि0 यू0 रही है। वर्ष की प्रथम छमाही अप्रैल-सितम्बर, 1981 में बिजली की अनुमानित छीजन 21·4 प्रतिशत रही है।

ग्राम खालिसपुर, जनपद आजमगढ़ में चकों का कब्जा परिवर्तन तथा अन्तिम अभिलेख

63--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खालिसपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की चकबन्दी प्रारम्भ हुए 5 वर्ष से अधिक हो गया किन्तु अभी तक पूरी नहीं हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस गांव के आकार पत्र 23 भाग 3 तथा गांव में स्थित पेड़ों की मालियत का पर्चा 26 बांटा गया है, क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की सम्पत्ति का कोई पर्चा नहीं दिया गया है ? धारा 52 का प्रकाशन किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां।

ग्राम खालिसपुर में चकों का कब्जा परिवर्तन दिनांक 30-4-72 को हुआ तथा अन्तिम अभिलेख तैयार हो चुके हैं। जहां तक पर्चा बांटने का प्रश्न है ग्राम के बस्ते में कुछ कागजात उपलब्ध नहीं हैं, सम्बन्धित लेखपाल के निलम्बित होने के कारण इस कार्य में देरी हो रही है। इसे शीघ्र पूरा कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त ग्राम का चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु जिले से प्रस्ताव पास हुआ है परन्तु निर्धारित प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने के कारण ग्राम को उक्त प्रख्यापन से रोक कर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ को वांछित प्रमाण-पत्र भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं निर्धारित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उक्त प्रख्यापन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त जिलाधिकारी, फैजाबाद के न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या

64--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद के अन्तर्गत न्यायालय, अतिरिक्त जिलाधिकारी, फैजाबाद के यहां कितने मुकदमें (वाद) ग्राम समाज की भूमि जो हरिजनों को आवंटित है, से सम्बन्धित विचाराधीन हैं ? वे कितने पुराने हैं उनके अभी तक निस्तारण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न का प्रथम भाग--53 वाद।

प्रश्न का द्वितीय भाग—उक्त वाद की वर्षवार स्थिति इस प्रकार है—

वर्ष	लम्बित वादों की संख्या
1977	1
1978	2
1979	14
1980	20
1981	16
कुल ..	53

पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण उनका निस्तारण सम्भव नहीं हो सका ।

मृतक कुन्हू को आवास हेतु आवंटित भूमि पर उनके पुत्रों का कब्जा

65—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम शुक्रवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में मृतक कुन्हू के तीनों पुत्रों ने 6 बिस्वे से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है ? उस भूमि से उनको बेदखल करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मृतक कुन्हू को भूमि संख्या 1954 से 6 बिस्वा भूमि आवास हेतु आवंटित की गई थी लेकिन उनका मकान उसके सन्निकट भूमि सं0 974 पर बना हुआ पाया गया एवं उनके पुत्रों का कब्जा कुल 4 बिस्वा 17 बिस्वांसी 1 कचवांसी भूमि पर है । इस प्रकार अधिक भूमि पर कब्जा नहीं है और बेदखल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा बगईकपुर तथा छपरा बनहरा के नागरिकों का ताल के पानी के जमाव के कारण फसल को क्षति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

66—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बगईकपुर तथा ग्राम सभा छपरा बनहरा के नागरिकों का ताल के पानी के जमाव के कारण फसल को क्षति से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-9-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ को नहीं प्राप्त हुआ है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बज कर 5 मिनट]

श्री मोहन सिंह--

प्रश्नों के बारे में एक मिनट सुन लें, मान्यवर ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 (2) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आप उसे देखने की कृपा करें । (2) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो । यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मन्त्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे ।

प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग--(1) प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।

इसमें दिया गया है कि प्रश्नों का उत्तर किस ढंग से देना चाहिये । सारे प्रश्नों के उत्तर कार्य सूची में सूचीबद्ध होने पर भी इस प्रकार के उत्तर दे दिये जाते हैं कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । इसमें दिया हुआ है कि यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर देने के लिए कोई तिथि नियत कर देंगे । लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर थोड़े दिनों से ऐसी प्रक्रिया अपनायी गयी है कि हर प्रश्न के उत्तर में कह दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अब आज ही की कार्य सूची में नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 17 को देखें । लखीमपुर का ही मामला है, जिसमें पूछा गया है, क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिलान्तर्गत ऐरा गन्ना समिति में सन् 1977 से 1980 के बीच 2 लाख रुपये की सीमेंट क्रय की गयी जो जब्त गयी ? यदि हां, तो वह किसके आदेश से खरीदी गयी तथा उसके खरीदने का कारण क्या था ? यह सूचना दिये हुए दो महीने हो गये। अगर शासन चाहता तो रेडियोग्राम से या टेलीफोन से इतनी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी कि सीमेंट किसके आदेश से खरीदी गयी, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले को भी इस तरह से दबाने की कोशिश है कि मंत्री जी के पास अभी तक इसकी कोई सूचना ही नहीं आयी है । जब कि नियम यह है कि पहली सूचना न मिलने पर 15 दिन का समय और दिया जाता है । हमारा निवेदन यह है कि प्रतिपक्ष के प्रश्न पूछने का अधिकार सुरक्षित है आपके हाथ में । जब मंत्री जी कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो आप उसके तथ्यों को देख लें कि उसके लिये समय देने की जरूरत है या नहीं और तत्काल उत्तर देने के लिए दो दिन या 4 दिन का समय बढ़ा दें । क्योंकि 15 दिन का समय देने से सदन का समय भी बर्बाद होता है और जनता का पैसा भी खर्च होता है और विधान मंडल का जो अधिकार है नियन्त्रण रखने का, वह भी तिरोहित हो रहा है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अभी गुप्त जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसी सम्बन्ध में मुझे भी कहना है। सदन में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि प्रश्नों के उत्तर के लिये शासन की ओर से कह दिया जाता है कि यह विचाराधीन है, यह गोपनीय है, जनहित में नहीं है या सूचना एकत्र की जा रही है। मैंने खुद एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा था जिसके लिये कहा गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और 15 दिन के बाद जब वह फिर आया तो यही उत्तर दोहराया गया। जब कि 4--5 दिन के अन्दर उसका उत्तर मिल सकता था। तो प्रश्न यह है कि हम लोगों का प्रश्नोत्तर का जो अधिकार है वह निरन्तर संकुचित होता जा रहा है। प्रश्नों का उत्तर जब आपके कार्यालय में आ जाता है और पूरी जानकारी कार्यालय को हो जाती है तब उसको एजेंडे पर रखा जाता है। एजेंडे पर भी 20 ही ऐसे तारांकित प्रश्न आते हैं जिस पर सदन में प्रश्नोत्तर हो सकता है। बाकी सब प्रश्न अतारांकित हो जाते हैं। उन 20 प्रश्नों में से भी आधे प्रश्नों के ही सही उत्तर मिल पाते हैं। इस तरह से प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शासन का अंकुश निरन्तर सिकुड़ता जा रहा है। जैसे लखनऊ से सम्बन्धित सवाल है या लखनऊ जिले से सम्बन्धित सवाल है और उसके लिये भी कह दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसलिये आपसे निवेदन है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न····

(श्री विद्या सागर नौटियाल के खड़े होने पर)

माननीय नौटियाल जी, यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है····

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इजाजत दे दीजिए, मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष--

किस बारे में कहना चाहते हैं····

श्री विद्या सागर नौटियाल--

इजाजत दे दीजिए, मान्यवर,····

श्री अध्यक्ष--

कहिए····

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैंने फरवरी, 1981 में एक सवाल पूछा था कि टिहरी जिले में हाई स्कूल और इन्टर कालेजों में कितनी सीटें खाली हैं अध्यापकों की। सितम्बर, 1981 में उसका जवाब आया सूचना एकत्र की जा रही है। जनवरी, 1982 में उसका जवाब आया सूचना एकत्र की जा रही है और फरवरी, 1982 में उसका उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। 19-1-82 को, मान्यवर, माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में हाई

स्कूल, इन्टर कालेज और महाविद्यालयों में कितनी रिक्तियां अध्यापकों की हैं, इसकी पूरी सूचना सदन में दी गई थी। यह चिन्ता से ग्रस्त सरकार, ये मुसीबतजदा मंत्री क्या इनको मालूम नहीं है कि कौन सी सूचना है····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं····

श्री विद्या सागर नौटियाल—

पूरे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सदन को सूचना दे सकते हैं एक जिले के बारे में नहीं दे सकते····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये····

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैं बैठता हूं, मान्यवर,····

श्री अध्यक्ष—

निःसंदेह जो प्रश्नों का नियम है वह अत्यन्त सशक्त है जिसके द्वारा सदन शासन के कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करता है और जनता के सामने उसको रखा जाता है। उसी के साथ-साथ शासन के लिए भी एक वह अवसर है जब वह अपने शासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करता है और अगर यह ऐसा समझे कि ठीक ढंग से कोई बात नहीं हो रही है तो उसे ठीक करने का उसको अवसर मिलता है। इसलिए प्रश्नों को महत्वपूर्ण ढंग से लेना शासन के लिए भी और सदस्यों के लिए भी एक अत्यन्त आवश्यक बात है।

पिछली बार यहां सूचना एकत्र करने के सम्बन्ध में जब बात पैदा हुई उस समय मैंने स्वयं इस पीठ से कहा था कि सूचना एकत्र करने के लिए हर ऐसे प्रश्न जिसमें विस्तृत जानकारी की बात हो, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जानकारी लेनी हो, जिसमें समय लगना वास्तविक रूप से आवश्यक हो, ऐसे प्रश्नों में जितना समय लगेगा उनमें समय लगने में कोई हर्ज नहीं है और किसी सदस्य को भी इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्न जो स्थानीय हैं, ऐसे प्रश्न जो नीतिगत हैं, जिनमें अधिक विस्तृत जानकारी या विस्तृत क्षेत्र से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है उनमें केवल सूचना एकत्र की जा रही है, लिख देना उपयुक्त नहीं है। इसीलिए नेताओं की एक बैठक 9 तारीख को मेरे कक्ष में हुई थी जिसमें माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी दलों के नेता उपस्थित थे। उसमें इस बात का जिक्र भी आया, आपस में बात हुई। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। माननीय नेता सदन ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखा जायगा। जिन प्रश्नों में वास्तविक रूप से समय लगता हो उनमें ऐसा किया जायेगा अन्यथा ऐसी बात नहीं होगी। इस तरह की चर्चा हो चुकी है, बात हो चुकी है, 9 तारीख को। आज 12 तारीख है। इस वार्ता का, नेताओं के बीच हुई बातचीत का प्रभाव आप देख लें। अगर इसका प्रभावकारी असर नहीं हुआ तो फिर आप सदन में इस बात को उठायेंगे और जो आप और सदन स्वीकार करेंगा उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।

(तालियां)

भूतपूर्व विधायक, श्री बाबू नन्दन के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

एक दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है । इस सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री बाबू नन्दन का 30 दिसम्बर, 1981 को देहान्त हो गया । स्वर्गीय बाबू नन्दन जी का जन्म ग्राम बन्श गोपालपुर (पाण्डेपुर), जिला जौनपुर के एक साधारण परिवार में हुआ था । उन्होंने अपनी शिक्षा जनपद जौनपुर में ही ग्रहण की थी । 1952 के प्रथम सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस दल के टिकट पर चुन कर वे इस सम्मानित सदन में आये थे और सन् 1957 तक सदस्य रहे । शिक्षा समाप्ति के उपरान्त उन्होंने जौनपुर म्युनिसिपल बोर्ड में लिपिक के पद पर कार्य किया और बाद में राजनीति में आकर जनसेवा करने लगे । मान्यवर, हम सब स्वर्गीय बाबू नन्दन जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी यह शोक सम्वेदना आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

*श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने स्वर्गीय बाबू नन्दन जी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और दुखी स्वर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरे और मेरे दल की ये सम्वेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय उप नेता सदन, उप नेता विरोधी दल ने श्री बाबू नन्दन जी के आकस्मिक निधन के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है एक साधारण परिवार से आने के बावजूद भी उन्होंने सन् 1952 से 57 तक इस माननीय सदन के अन्दर रहकर जो भी कार्य किये हैं, तथा जो कुछ भी गरीबों और मानवता की सेवा की है, वह प्रशंसनीय रही है । ऐसे व्यक्ति के निधन से स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को दुख पहुंचे । मान्यवर, आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारी और हमारे दल की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय बाबू नन्दन जी के निधन के सम्बन्ध में उप-नेता सदन, उप-नेता विरोधी दल तथा नेता, कांग्रेस दल ने भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ में स्वयं को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री बाबू नन्दन जी एक सामान्य परिवार में जन्मे और जनसेवा और लगन के बल पर ही वे इस सम्मानित सदन के सदस्य हुये और जनसेवा आखिरी समय तक करते रहे । मैं उनके प्रति अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री फखरे आलम—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बाबूनन्दन जी के देहान्त पर जो विचार माननीय उप नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय बाबू नन्दन जी ने एक छोटी हैसियत से तरक्की की और वे आखिरी वक्त तक इस मुल्क और कौम की खिदमत करते रहे। उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड, जौनपुर में लिपिक की हैसियत से अपनी जिन्दगी शुरू की थी और बड़ी लगन और जजबे के साथ काम करने के नतीजे से ही वे इस माननीय सदन में आये। हमें उनके उठ जाने का बहुत दुख है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी ओर से दुखी परिवार को कंडोलेंस पहुंचा दें।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, स्वर्गीय बाबू नन्दन जी के बारे में जो विचार माननीय वित्त मन्त्री जी ने तथा अन्य लोगों ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। वे हमारे पड़ोसी थे। वे एक बहुत अच्छे और ईमानदार कार्य-कर्त्ताओं में से थे। इसीलिये उन्होंने प्रथम महा निर्वाचन में जीतकर इस माननीय सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वे बहुत ही कर्मनिष्ठ, ईमानदार और त्यागी व्यक्ति थे। उनके उठ जाने से सचमुच में जौनपुर में एक स्थान रिक्त हुआ जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं स्व0 बाबू नन्दन जी के सम्बन्ध में जो उप-नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवार को हमारी संवेदना भेजने का कष्ट करें।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्व0 बाबू नन्दन जी के बारे में जो शोकोद्गार सदन में विभिन्न दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और प्रगतिशील विधायक दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेताओं द्वारा स्व0 बाबू नन्दन जी के प्रति जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री बाबू नन्दन जी जौनपुर जिले के निवासी थे और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित था। वे एक कर्मठ व्यक्ति थे और सदा अपने काम से सम्बन्ध रखते थे, राजनीतिक दांव पेच या राजनीतिक लड़ाई से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता था। खासतौर से वे जनता की सेवा से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

अपने को सम्बद्ध रखते थे और इस तरह से एक आदर्श कार्यकर्त्ता की हैसियत से उन्होंने जिन्दगी भर कार्य किया । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी श्रद्धांजलि और सम्वेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाऊंगा । कृपया आप दो मिनट उनके सम्मान में मौन खड़े हो जायं ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये ।)

भूतपूर्व विधायक, श्री उमाशंकर शुक्ल के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री उमाशंकर शुक्ल का 9 फरवरी, 1982 को अपने शाहजहांपुर स्थित निवास पर निधन हो गया । वह लगभग 72 वर्ष के थे ।

स्वर्गीय शुक्ल जी का जन्म सन् 1910 में बरेली जनपद के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ । उन्होंने डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर तथा लखनऊ विश्व-विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी । 1969 के मध्यावधि चुनाव में वे जनसंघ के टिकट पर शाहजहांपुर नगर सीट से विजयी होकर आये थे और सन् 74 तक इसी सम्मानित सदन के सदस्य रहे । उन्होंने एल-एल0 बी0 की उपाधि प्राप्त करने के बाद शाहजहांपुर में वर्ष 1955 में वकालत करनी प्रारम्भ की । वर्ष 1955-57 में वे नगरपालिका शाहजहांपुर के अध्यक्ष रहे । पोस्टमैन यूनियन, आर्डिनेंस फैक्ट्री, शाहजहांपुर मजदूर संघ, नगर जनसंघ तथा ए0 के0 पी0 कालेज के उपाध्यक्ष के पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया । हिन्दू कालेज, शाहजहांपुर की कार्यकारिणी के वे सदस्य रहे । अपने जनपद में वह बहुत लोकप्रिय थे । उनके निधन से जनपद की अनेकों संस्थाओं को गहरा धक्का पहुंचा है । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सबकी सम्वेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय वित्त मन्त्री जी ने स्व0 उमाशंकर शुक्ल के देहावसान पर जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्व0 उमा शंकर जी शुक्ल ने कई संस्थाओं में अच्छे पदों पर कार्य किये । मान्यवर, कई जनपदों से उनका सम्बन्ध रहा और हर जगह वह लोकप्रिय रहे । जाहिर है कि उनके निधन से हम सब लोगों को एक आघात पहुंचा है । मैं समझता हूं कि जो रिक्तता उनके निधन से आई है, उसका शीघ्र पूरा होना दुर्लभ है । मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे दल की शोक श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा उप-नेता सदन और उप नेता विरोधी दल ने श्री उमाशंकर शुक्ल के बारे में सदन को अवगत कराया है, सन् 1969 में वह यहां चुनकर आये थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और 1974 तक रहे। शाहजहांपुर और उसके आसपास के जनपदों में कार्य करते, सेवा करते तथा तमाम यूनियनों में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हुए सतत् प्रयत्नशील रहे। जैसा देहलवी साहब ने बताया है उनके अकस्मिक निधन से जो रिक्तता हुई है, वह आसानी से भरी नहीं जा सकती। मान्यवर, धीरे-धीरे एक-एक करके वह लोग जिनका बहुत बड़ा कान्ट्रीब्यूशन इस सदन में रहा है, हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं और उनके उठ जाने से स्वाभाविक है कि हम इस सदन में उन सारी परम्पराओं और मान्यताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह सदन बहुत बड़ा प्रभाव जमाये हुए था। ऐसे लोगों और उनकी परम्पराओं के उठ जाने से धीरे धीरे हम उनसे वंचित होते जा रहे हैं। उनके उठ जाने से बड़ा असर पड़ता है। मान्यवर, मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके दुखी परिवार तक शोक संवेदना पहुंचाने का आपसे आग्रह करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्व0 उमाशंकर शुक्ल के बारे में अभी वित्त मन्त्री, उपनेता सदन और उप नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री उमाशंकर शुक्ल मेरे दल, भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध थे। मैं शाहजहांपुर भी गया था, उनके जीवन को जो जानते हैं वह स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि आज उनके रूप में शाहजहांपुर का समाज सेवक और राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख स्तम्भ ढह गया है। वह अपने जीवन के आखिरी क्षण तक समाज सेवा में लगे रहे। अभी 19 जनवरी को जब 'भारत बन्द' का आयोजन हुआ था, तो उसमें भी सरकार ने उनको जेल भेजा था। वह अपने नगर में इतने लोकप्रिय थे कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों सभी सायंकाल, जब वह एक स्थान पर आकर बैठते थे, उनसे आकर मिलते थे। शायद ही कोई दल हो जिसके लोग उनसे मिलने के लिए न जाते हों और प्रतिपक्ष के तो वह सर्वमान्य नेता थे। उनके न रहने से उस जिले में सर्वाधिक रिक्तता आ गई है, जिसकी पूर्ति कर सकना असम्भव है। इसके साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके उठ जाने से जो रिक्तता आई है, उसको पूरा करने के लिए सबको ताकत दें। इसके साथ में आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी और मेरे दल की शोक सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, पंडित उमाशंकर शुक्ल के देहान्त से पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, रुहेलखण्ड को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचा है। शुक्ल जी न सिर्फ एक अच्छे सदस्य इस विधान सभा के रहे, बल्कि वह बहुत बड़े वकील भी थे। उनका जन्म 1910 में बरेली जिले में एक बड़े ब्राह्मण कान्यकुब्ज खानदान में हुआ था और उन्होंने सन् 1935 में जनपद शाहजहांपुर में वकालत शुरू की और उसमें वह बहुत कामयाब रहे। मुझे इस बात की जातीय जानकारी है। पंडित शुक्ल जी मेरे वालिद के साथ बहुत दिन तक वकालत में बहुत साथ रहे, और मैंने भी बहुत से केसेज में उनके साथ और उनके खिलाफ रहकर काम किया। मैंने हमेशा यह देखा है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। वे कभी किसी आदमी से 'तुम' कहकर बात नहीं करते थे चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो या कोई बच्चा ही हो। वे हर एक के प्रति 'आप' शब्द का ही प्रयोग करते थे। इस प्रकार वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फकरे आलम--]

अपने लोगों से मिलते थे । उनके मरने से बहुत बड़ी कमी हो गयी है और मैं समझता हूं कि बहुत अर्से तक वह कमी पूरी नहीं हो सकेगी । मैं उन तमाम विचारों से, जो माननीय उप नेता सदन, उप नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं की ओर से व्यक्त किये गये हैं, अपने को और अपने दल के सदस्यों को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री ऊदल--

स्वर्गीय उमाशंकर शुक्ल जी के बारे में जो विचार माननीय वित्त मन्त्री तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल के माननीय सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं । माननीय उमा शंकर शुक्ल का एक अर्से से वहां के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और उसी तरह का प्यार जनता का भी उनको मिला । वे स्वयं लोगों को प्यार करते थे और जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा कि उनके सामने कोई भेदभाव नहीं रहता था कि अमुक व्यक्ति विरोधी पक्ष का है या सत्ता पक्ष का, इस प्रकार का सम्मान उन्होंने वहां के लोगों को दिया था । 19 जनवरी को भी जो मजदूरों की ओर से 'बन्द' का आह्वान किया गया था उसमें भी उनको संघर्ष करने में जेल जाना पड़ा था । उनकी पूरी-पूरी जिन्दगी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लगी रही । उनके उठने से शाहजहांपुर और आस-पास के क्षेत्र में एक रिक्तता आ गई है ।

मेरा अनुरोध है कि आप मेरी और मेरे दल की ओर से हमारी संवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री, उप नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदनाएं माननीय उमा शंकर शुक्ल के सन्तप्त परिवार को भिजवाने की कृपा करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय उमाशंकर शुक्ल के प्रति जो शोकोद्गार माननीय वित्त मन्त्री एवं अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भी संवेदनाएं उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

स्वर्गीय उमा शंकर शुक्ल जी के निधन के सम्बन्ध में जो माननीय वित्त मन्त्री तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । शुक्ल जी एक योग्य वकील, समर्पित समाजसेवी और एक अच्छे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्तित्व के व्यक्ति थे । उनकी कार्य-प्रणाली ऐसी थी जिससे हमको काफी सीखने को मिल सकता है । राजनीतिक जीवन में सैद्धान्तिक विरोध तो बहुत हो सकते हैं लेकिन व्यक्तित्व का पूर्ण होना और सबके प्रति अच्छे भाव प्रदर्शित करना यह राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल के जीवन को ऊंचा उठाता है, उनमें ऐसे गुण थे । ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से सबको शोक होगा ।

मैं अपने आपको, इस आदरणीय सदन के द्वारा व्यक्त भावनाओं से सम्बद्ध करके इस सदन की सम्वेदना उनके परिवार को भेज दूंगा ।

अब हम 2 मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

जौनपुर जनपद में शारदा नहर के मड़ियाहू केराकत रजबहा की जल निकासों से भूमि का कटान व राष्ट्रीय इन्टर कालेजों के खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 40 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूं ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । शारदा नहर के मड़ियाहू केराकत राजबहा का अतिरिक्त जल निकालने के लिए सीतम सराय स्थान पर स्थित नाले में उसे गिरा दिया जाता है । यह नाला राजकीय इन्टर कालेज महादेव पूरब, जौनपुर के पूरब एवं दक्षिण से सट कर बहता है । नहर के अतिरिक्त जल निकासी से यह नाला अनवरत प्रभावित होता रहता है । इस नाले के लगातार बहने से उक्त राष्ट्रीय इन्टर कालेज की भूमि दक्षिण और पूरब दिशा में लगातार कटती जा रही है और अब पूरब दिशा में नाले के ऊपर स्थित विद्यालय के भवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है । नाले के पानी से छीजन भी इस क्षेत्र में व्याप्त हो गई है । हजारों छात्रों के पठन-पाठन में व्यवधान उपस्थित होने की आशंका व्याप्त है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त नाले को पक्का कराया जाय । भूमि क्षरण को रोकने के लिए गांव महरेव में ठोकर बनाया जाये । राष्ट्रीय इन्टर कालेज की भूमि पूरब और दक्षिण दिशा में पाट कर ऊंची की जाये । छात्रों, शिक्षकों एवं क्षेत्रीय जनता को सुगमता-पूर्वक आवागमन हेतु कालेज के दक्षिण में इस नाले पर एक चौड़ा पुल निर्मित कराया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांदा जनपद में मोरंग व पत्थरधारी पहाड़ों एवं खानों की नीलामी रोक दिये जाने से मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बांदा जनपद में गत डेढ़ वर्ष से मोरंग व पत्थर धारी पहाड़ों एवं खानों की नीलामी नहीं की गई है। जिसके कारण स्टोन क्रेशरों एवं उससे सम्बन्धित अन्य लघु गृह उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति न हो पाने से वे बन्द हो गये हैं जिसके फलस्वरूप उनमें कार्यरत पचासों हजार मजदूर एक-दम बेकार, दाने-दाने को मोहताज हो गया है। इस सम्बन्ध में आप मुख्य मंत्री जी को बांदा जनपद में उद्योग धन्धों की दृष्टि से बिल्कुल शून्य हो जाने की ओर ध्यान दिलाये जाने पर अपने दौरे के समय उन्होंने खानों की नीलामी अविलम्ब करवाने के आदेश दिये जाने का आश्वासन दिया था। परन्तु अभी तक उसका क्रियान्वयन न हो पाने से स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गई है और गरीब मजदूर काम की तलाश में मारा-मारा फिर रहा है। अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि पत्थरधारी पहाड़ों व खानों की नीलामी अविलम्ब की जाये अथवा मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था तुरन्त की जाय।

संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा बजरंग महाविद्यालय, कुण्डा के छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री राम विलास मिश्र की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हम आपके माध्यम से शासन का ध्यान बजरंग महाविद्यालय, कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ के छात्रसंघ के अध्यक्ष, श्री राम बिलास मिश्र की निर्मम हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विगत 21/22 जनवरी, 1982 की रात में संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ की पुलिस ने श्री रामबिलास मिश्र जो 25 वर्ष के क्रांतिकारी युवक छात्र नेता थे, उन्हें फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार डाला। उनकी विधवा पत्नी, श्रीमती जगतदुलारी मिश्रा ने मुझे पत्र लिखकर यह सूचना दी है कि 21 जनवरी, 1982 को दिन में करीब 3 बजे मूलचन्द नाम का खटिक उनके साथ उनके घरेलू 16 वर्षीय नौकर, नत्थू पासी के साथ बाहर लेकर गया और उसी खटिक ने दूसरे दिन करीब 4 बजे सायं श्री मिश्र की मां और उनके गांव वालों से यह बताया कि राम बिलास मिश्र को संग्रामगढ़ की पुलिस ने पकड़ लिया है। उनकी पत्नी ने मुझको लिखा है कि गांव सरायं के महन्त सिंह व भारत सिंह के ट्यूबवेल में संग्रामगढ़ की पुलिस ने स्व0 श्री मिश्र को बन्द कर रस्सी से बांध कर पहले उन्हें शराब पिलाया। उनकी गलमूछ बांधा गया, पिस्तौल लटकाई गई और करीब 11 बजे रात में बिजयामऊ गांव के बगल के बाग में संग्रामगढ़ की पुलिस ने श्री मिश्र को गोलियों से भून डाला। श्री महन्त सिंह जो वर्तमान समय में लखपेड़ा, भवानीगंज के किसी कालेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पुलिस से आग्रह भी किया कि मिश्र को छोड़ दिया जाय। श्री मिश्र ने स्वयं भी पुलिस से यह कहा कि हमारे विषय में जिले के गणमान्य नेताओं जैसे श्री रामनरेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद सरोज, श्री नियाज हसन, श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रमोद कुमार तिवारी से पूछा जा सकता है। लेकिन पुलिस ने उनके सभी बातों को अनसुनी कर दिया और एक गणमान्य प्रतिष्ठित युवक छात्र नेता की हत्या कर दी, जिसके खिलाफ न तो पुलिस में भी कभी एफ0 आई0 आर0 दर्ज थी और न शिक्षण संस्थाओं की ही ओर से कभी कोई शिकायत हुई थी। इतना ही काफी नहीं है बल्कि हत्या करने के बाद पुलिस ने समाचार पत्रों में यह प्रकाशित कराया कि एक अज्ञात डाकू मुठभेड़ में मारा गया।

इस घटना से सम्पूर्ण प्रदेश के छात्र आतंकित हैं और पुलिस के खूंखार रूप का भंडाफोड़ हो।

जनपद फैजाबाद के पत्रकारों पर पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा हमला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में पत्रकारों के विरुद्ध असामाजिक तत्वों और पुलिस ने मिला-जुला अभियान छेड़ रखा है। 27 जनवरी, 1982 को हिन्दुस्तान समाचार संवाद समिति प्रतिनिधि, श्री सरल जी पर हमला किया गया। नामजद रिपोर्ट लिखाई गई फिर भी कार्यवाही नहीं हुई। उल्टे नामजद अभियुक्त ने पुलिस से साठ-गांठ कर श्री सरल एवं 3 अन्य के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस रिपोर्ट में जागरण के प्रतिनिधि, श्री त्रियुगी नारायण तिवारी का नाम भी बाद में शामिल किया गया। श्री तिवारी का दोष इतना है कि उन्होंने अपने पत्र में कन्धारी बाजार हत्या काण्ड के सिलसिले में पुलिस की निष्क्रियता शहर में चोरियों की बाढ़, और तस्करी का धन्धा जोरों पर, अवैध शराब, कुटीर उद्योग बना, आदि समाचार प्रकाशित किये थे। पुलिस ने इन समाचारों के प्रकाशन के बाद ही श्री तिवारी एवं कुछ अन्य पत्रकारों के विरुद्ध अपनी जी0 डी0 के कागज रंगना शुरू कर दिया था।

पत्रकारों ने 30 जनवरी की बैठक में इन बातों पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए एस0 पी0 से जांच की मांग की थी।

इसके बाद ही साप्ताहिक पत्रों के सम्पादकों की पिटाई की गई। पत्रकार सर्वश्री पशुपति अग्रवाल एवं राजेन्द्र प्रकाश वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। जन मोर्चे के सहायक सम्पादक के घर चोरी कराई गई। जन मोर्चा के गोसाईगंज, बीकापुर तथा केदारनगर स्थित प्रतिनिधियों को पुलिस के विरुद्ध समाचार छापने के कारण परेशान किया जा रहा है।

पत्रकारों को विभिन्न रूपों में प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित करने की अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की घटना है। सदन को इससे अवगत कराते हुए शासन से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनाये रखने हेतु पत्र प्रतिनिधियों के विरुद्ध असामाजिक तत्वों एवं पुलिस की मिली-जुली साजिशों को रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा की मांग करता हूं।

शारदा सहायक खंड 23 आजमगढ़ की ठेकमा मेहनगर रजबाहा का पानी बेला खास माइनर में छोड़ दिये जाने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपू उर्फ दीप नारायण—

मान्यवर, शारदा सहायक खंड 23 आजमगढ़ की ठेकमा मेहनगर रजबाहा की सहायक बेला खास माइनर है जो बीच में ग्राम सिद्धीपुर के पश्चिम खोद कर छुटी हुई है। पता चला है कि कुछ लोग किसी विशेष कारण से न्यायालय से स्टे लिए हुए हैं, परन्तु उक्त नहर के सम्बन्धित सहायक इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर ने लोगों के स्टे लेने की नाराजगी से क्षुब्ध होकर उक्त रजबाहा का पानी बेलाखास माइनर में छोड़ दिया करते हैं। जिससे किसानों को अधूरी नहर होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटना कई बार हो चुकी है। हर बार तो लोगों को पानी खोलने का पता हो जाता था और नहर लोगों द्वारा बांध दी जाती थी। इस बार रात को पानी खुला और पानी की तेज धारा होने के कारण रात ही भर में काफी फसलों को नुकसान हो गया जिससे ग्राम सिद्धीपुर के हरिजनों की लगभग 75 प्रतिशत और ग्राम धनौली, ताजपुर, बेला आदि की फसलें आंशिक रूप से बर्बाद हो गई हैं जिससे किसानों एवं हरिजनों में क्षोभ का वातावरण हो गया है।

अतः हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन क्षति-ग्रस्त किसानों की फसलें जो नहर के पानी से बर्बाद हुई हैं, उसका मुआवजा दिलाया जाय और उन्हें, मालगुजारी तथा पानी इत्यादि की लगान एवं समस्त वसूली को स्थगित करते हुए सहायता पहुंचायी जाय। साथ ही उक्त नहर से सम्बन्धित दोषी सहायक इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर को दंडित किया जाय। किसानों के भविष्य को देखते हुए उन्हें अनुदान देने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982†

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 15 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिनांक 3 फरवरी, 1982 को श्री रघुवीर सिंह यादव पर लगाये गये आरोपों का उनके द्वारा स्पष्टीकरण

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मान्यवर, दिनांक 3-2-82 को लोक दल के सदस्य श्री मोहन सिंह ने सदन के समक्ष अपने भाषण के दौरान मेरा नाम लेकर आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी ने अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट में जिसे उन्होंने उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को लिखा था, हवाला दिया कि दिनांक 3/4-1-79 को पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गये अभियुक्तों को इंट्रोगेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्त अपने बयान में कहता है कि हमें कौन-कौन संरक्षण देकर मदद करते थे । वह कहते हैं कि उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 12 पर अभियुक्त के बयान में 12वां नाम है, रघुवीर निवासी हीरे का नगला वह कहते हैं कि यह भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर आये है ।

मान्यवर, इंट्रोगेशन रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी जो उन्होंने आपके समक्ष पेश की है उसे मैंने देखा है उसके 12वें पृष्ठ के 12वें नम्बर पर रघुवीर निवासी हीरे का नगला थाना घिरौर दर्ज है । मान्यवर, थाना-- घिरोर के अन्तर्गत हीरे का नगला घिरोर से जसराना कुसियारी जाने वाली सड़क पर सातवें किलोमीटर पर स्थित है जो मौजा कुसियारी का नगला है जो हमारे गांव नगला हार, मौजा चितई, थाना ओंछा से लगभग 21 किलोमीटर दूर है ।

मान्यवर, इस प्रकार श्री मोहन सिंह ने एक दूसरे व्यक्ति के चरित्र को मुझसे जोड़ने की कोशिश कर मेरी चरित्र हत्या का प्रयास किया है तथा इस प्रकार श्री मोहन सिंह ने मेरी तथा मेरे दल की चरित्र हत्या के इरादे से सदन के समक्ष गलत बयानी कर, सदन को गुमराह भी किया है ।

अतः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्री मोहन सिंह को आदेश दें कि वह अपने आरोपों को वापिस लें और सम्मानित सदन से क्षमा मांगें तथा उक्त गलत आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मान्यवर, यदि वह ऐसा न करें तो मुझे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को उठाने की अनुमति प्रदान की जाय और वह सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय । मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया ।

धन्यवाद ।

जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा आयोजित बैठकों की सूचना सरकार को दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री व नगर विकास मंत्री के वक्तव्य में विरोधाभास के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं एक औचित्य का प्रश्न सदन के सामने रखना चाहता हूं, मैंने कल भी इसका रिफेरेन्स दिया था किन्तु कल न हो सका, इसलिये लिखकर दिया है कि कल नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या 16 जिसको श्रीमती गौरा देवी ने किया था उसका उत्तर नगर विकास मंत्री ने दिया है कि "मान्यवर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण अक्सर बैठकें अपनी किया करते हैं, उन सब की जानकारी मुझे यहां पर नहीं है।" मान्यवर, जो भी जिलाधिकारी मीटिंगें करते हैं योजनाओं के सम्बन्ध में तो जो शासकीय आदेश जाता है उसके आधार पर मीटिंग बुलाते हैं। अब इसलिये इस समय प्रश्न और गम्भीर हो जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने समय-समय पर इस सदन में घोषणा की है और राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा गया है कि 33 प्रतिशत बजट का विकेन्द्रीकरण करके जिला स्तर पर ही बैठकर योजनायें बनायी जायेंगी। तो मुख्य मंत्री की यह घोषणा और नगर विकास मंत्री का यह कहना कि जो जिलाधिकारी अपनी बैठकें करते हैं, योजनायें बनाते हैं, उनकी हमें कुछ जानकारी नहीं है। इसलिये ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी होने के नाते यह कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब उनकी पूर्ति के लिये उन्होंने हर डिवीजन पर एक मंत्री को नियुक्त कर दिया है ताकि जिले की योजनायें जो आयें उनको शासन स्तर पर देखा जा सके। दूसरी तरफ नगर विकास मंत्री कहते हैं कि उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न रखा है कि यह विरोधाभास क्यों है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, औचित्य का जो प्रश्न उपस्थित किया गया है जिसमें विरोधाभास की चर्चा किया है उसमें यह भी गम्भीर बात है कि बजट आदरणीय सदन पास करता है जो विभाग के हेड, सचिव के नाम होता है और जब योजनायें आयेंगी तो उनकी अंतिम स्वीकृति और बजट सैंक्शन उस स्तर पर होगा, इसलिये मंत्री का कहना कि जानकारी नहीं है, यह असंगत बात है। इसलिये कि उनको जानकारी होनी चाहिये। जो योजनायें जैसे नलकूप की योजना नलकूप विभाग द्वारा तय होती हैं, रूरल इंजीनियरिंग की योजना उस विभाग द्वारा तय होती हैं, इसलिये किसी न किसी विभाग के तहत योजनायें तय हो रही हैं जिनका तालमेल शासन स्तर पर होना है। इसलिये जो 33 प्रतिशत बजट विकेन्द्रीकरण की बात की गयी है उसमें संशय और भ्रम पैदा हो गया है चूंकि संविधान में केन्द्र और राज्य के अलावा तीसरा सेक्टर नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने तीसरा सेक्टर तय किया है। हम स्टीयरिंग कमेटी के मेम्बर हैं। इसलिये जो भ्रम है उसमें सफाई होनी चाहिये और भ्रम दूर होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। जैसी बात माननीय रियासत हुसैन ने कही है, नगर विकास मंत्री ने जो शब्द कहे थे, वह कार्यवाही में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर हैं लेकिन उसका यह तात्पर्य नहीं था कि जो जिलाधिकारी स्तर पर कार्यवाही होती है, उससे हम अवगत नहीं हैं। इसलिये यह जो बात है वह बे आधार की बात है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन ने दो बातें कही हैं। एक जो माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में एक घोषणा की थी कि योजना का 33 परसेन्ट जिला केन्द्रों पर उसके सम्बन्ध में योजनायें बनाने के लिये किया गया है और विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गयी है और माननीय नगर विकास मंत्री गोयल जी ने यह कहा, वास्तविक शब्द इस प्रकार हैं "मान्यवर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण अक्सर बैठकें किया करते हैं, उन सबकी जानकारी मुझे यहां पर नहीं है।" यह गोयल जी ने कहा था। माननीय गुप्त जी ने एक दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि दो सेक्टर की योजना है एक केन्द्र का और एक प्रान्त का और एक तीसरा नियत हो गया है जिला स्तर पर, जहां तक तीसरे सेक्टर बनाने की बात है इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि तीसरा सेक्टर नहीं बना। प्रदेशीय प्रशासन अपना कार्य किस तरह से करता है, विकेन्द्रीकरण किया है या अन्य कोई तरीके से सब कुछ प्रदेशीय शासन कर रहा है। कहां किस स्तर पर योजना बन रही है, इससे कोई नया सेक्टर नहीं पैदा हो जाता है। जहां तक माननीय रियासत हुसैन जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें कोई विरोधाभास आपस में नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि विकेन्द्रीकरण किया है वहां पर बनायेंगे और गोयल जी ने कहा है कि "जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी अक्सर बैठकें किया करते हैं इन सबकी जानकारी मुझे यहां पर नहीं है।" यह वास्तविकता है कि सबकी जानकारी हर समय उनको नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि फलां विभाग की जानकारी है कि नहीं। किसी एक क्षण सबकी जानकारी उनको हो ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यह कोई विरोधाभास नहीं है इसलिये इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकर नहीं करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 3 सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं। माननीय श्री मसरूर जाफरी, श्री रास आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव, श्री खैरुल बशर, श्री गोपी नाथ वर्मा ने जनपद गोंडा में पुलिस दरोगा द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध मे सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने 21-22 जनवरी, 1982 को प्रतापगढ़ के महाविद्यालय कुंडा के छात्रसंघ के अध्यक्ष, श्री राम विलास की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री जसवंत सिंह विष्ट, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा श्री कुंवर सिंह नेगी की, प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों के हाई स्कूल तथा इंटर कालेजों में अध्यापकों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में है। इनमे से दूसरी सूचना नियम 301 में पढ़ी गयी है। यह सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है ।

(शोर)

श्री मित्रसेन--

महिला की इज्जत का सवाल है, उसके साथ बलात्कार हुआ है । उसके परिवार के लोग यहां पड़े हैं ।

श्री मसरूर जाफरी--

यह बहुत गंभीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना अस्वीकार हो गयी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, अल्पसंख्यक महिला की इज्जत का सवाल है ।

(शोर)

(श्री मित्रसेन, श्री मसरूर जाफरी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट तथा श्री राम आसरे वर्मा द्वारा एक साथ बोलते रहने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने अस्वीकार कर दिया, आप सब लोग बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह एक संवेदनशील मामला है, अल्पसंख्यक महिलाओं का प्रश्न है, इसको स्वीकार कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह एक महिला के साथ बलात्कार का प्रश्न है, यह तो स्वीकार किये जाने के योग्य है ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मेरा मामला भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था, जिसे आपने अस्वीकार कर दिया ।

अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइए, यह कार्य स्थगन का विषय नहीं था, अस्वीकार कर दिया गया ।

(पुनः कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर ।)

आप लोग बैठ जाइए । श्री मसरूर जाफरी जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री खैरुल बशर, श्री मित्रसेन तथा श्री राम आसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मैंने एक प्रश्न किया था 19 तारीख को प्रश्न संख्या 10 था । मैं उसे पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

सुन तो लीजिये ..

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

आप हमारी बात को सुनते नहीं हैं, मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री जसवंत सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये ।)

विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिये मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) †

(समय 1 बज कर 9 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि—"यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिये मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु व्यवस्था की जाय ।" इस पर बोलते समय माननीय सदस्य, श्री अग्निहोत्री जी को बधाई दूंगा कि ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प लाकर इस सदन में एक राष्ट्रीय प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है । यह विषय साफ तरीके से राज्य सरकार से सम्बद्ध नहीं है लेकिन इस सदन द्वारा केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के लिये इसमें प्राविधान किया गया है ।

---

†दिनांक 18 सितम्बर 1981 की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव होंगे तो उनके लिये मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। लेकिन इस संकल्प द्वारा यह बात रखी गयी है कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष करने हेतु व्यवस्था की जाय। इस पर राष्ट्रीय हित के लिये सोचने की बात है क्या हम मतदाताओं की नयूनतम आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करना चाहते हैं ? या क्या हम शासन में युवा वर्ग को भी भागीदार बनाना चाहते हैं ? यह सरकार के विचार करने की बात है। जिस समय जनता पार्टी का शासन था उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में बात थी और उसने फैसला कर दिया था कि क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी जाये। परन्तु यह सवाल इस विधान सभा का नहीं है, यह सवाल है लोकसभा का। इसलिए आज हम लोग सर्व सम्मत होकर इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसा कर दिया जाय ?

इसमें सबसे पहले मान्यवर, यह विचार करने की बात है कि यह विचार हो कि मतदाताओं को जो न्युनतम आयु 21 वर्ष तय हुई थी। यह बात उस समय की है जब भारत का संविधान बना था। उस समय बालिग मताधिकार की बात की गयी थी। कानून अब मानता है कि बच्चा 18 वर्ष की आयु के बाद बालिग हो जाता है। तो तर्क यह है कि जब हमारे देश में अशिक्षा अधिक थी तो लोग समझदार अधिक नहीं थे तो उस समय मतदाताओं की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी थी। एक बात पर मान्यवर, विचार करें कि हमारे यहां यह नियम है कि 18 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति बालिग हो जाता है लेन-देन के मामले के लिये या प्रापर्टी के बंटवारे के मामले के लिये, तो इसके लिये हम उसको मेच्योर मान लेते हैं लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि हम उसे जन प्रतिनिधि चुनने के लिये मेच्योर नहीं मानते हैं ?

18 से 21 वर्ष की आयु के बीच में एक गैप है। इसमें साक्षरता सब से ज्यादा है। 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति कम से कम इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त कर लेता है और वह स्नातक कक्षा का विद्यार्थी होता है तो क्या कारण है कि उसे यह अधिकार न दिया जाय कि वह 18 साल की आयु में जबकि वह अपना भला-बुरा अच्छी तरह से समझ सकता है उसे मत देने का या अपना जन प्रतिनिधि चुनने के लिये अधिकार न दिया जाय ? जबकि हमारे देश में अशिक्षित व्यक्ति जो कि अपना अच्छी तरह से भला-बुरा नहीं समझता है, 21 साल की आयु पूर्ण करने पर मत देने का अधिकारी हो जाता है।

जहां तक अन्य देशों का प्रश्न है, इस तरह के विचार वहां भी हुए हैं इंगलैण्ड में ग्रेट ब्रिटेन में प्रेसीडेन्ट लेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें कि कानूनी राय में बालिग व्यक्ति की आयु क्या होगी, इस पर विचार किया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने तय किया कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, और यह बात वहां इन ऐक्ट हो गयी। रूस ने 1936 में ही फैसला ले लिया कि हमारे यहां स्त्री, पुरुष की न्यूनतम आयु मत देने के लिये 18 वर्ष की होगी। लंका ने 1959 में फैसला ले लिया कि वहां पर मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त योरोप, अमेरिका, एशिया में भी सभी जगह 18 वर्ष को मतदाताओं की आयु मानी गयी है। रूमानिया, योगोस्लाविया, यू0 एस0 एस0 आर0, ईस्ट जर्मनी, नार्थ कोरिया तथा

साउथ अमेरिका के भी कई राष्ट्रों में जैसे सोमालिया, यू0 एस0 आर0, सूडान सभी ने तय किया है कि हमारे यहां मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी मैक्सिको में विवाहितों के लिये 18 वर्ष की आयु तय की गयी है और अविवाहितों के लिये 21 वर्ष की न्यूनतम आयु मत देने के लिये रखी गयी है सभी देश करीब-करीब इस बात पर सहमत हो गये हैं ।

(इज समय 1 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खानगुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

ईरान, स्वीडन, थाईलैण्ड, स्वीटजरलैण्ड ने बीच का रास्ता अपनाया है । वहां पर कहीं 19 वर्ष और कहीं-कहीं 20 वर्ष की आयु मतदाताओं के लिये तय की गयी है । वेस्ट जर्मनी में भी मतदाताओं की आयु को 18 वर्ष के करने की चर्चा हो रही है । यू0 एस0 ए0 में 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेसीडेन्ट निक्सन के हस्ताक्षर 18 साल की आयु को करने के लिये ले लिये थे । कि 18 साल न्यूनतम आयु हो जायेगी । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने इसे स्थगित कर दिया इस आधार पर कि वहां अलग-अलग स्टेट्स फैसला करेंगी । जार्लिया, केटका में 18 वर्ष गतवर्ष कर दी जबकि वहां 20 वर्ष थी । यह ला-रिफार्म कमेटी ने तय किया था । इस प्रकार से अधिकांश देश इस पर सहमत हैं कि 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी जाय ।

ग्रेट ब्रिटेन, जहां के बहुत कुछ नियम हम लेते हैं, वहां की हाई पावर कमेटी ने जो संस्तुति की थी, मान्यवर, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, उसने कहा है कि— आरसेंट एडिशन टु दि कन्ट्रीज विहच हेव एडाप्टेड एट्टीन एज दि मिनिमम वोटिंग एज इज ग्रेट ब्रिटेन, देयर, दि डिसिजन वाज टेकन आन दि बेसिस आफ दि स्टडी ऐन्ड रिपोर्ट्स आफ ए हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाई जस्टिस लेटली । व्हाइल दि कमेटी वाज ओनली कनसर्न्ड विद डिटरमिनिंग दि एज आफ लीगेल मेजोरिटी एन्ड डिड नाट डील विद दि वोटिंग एज ऐज सच, दि लेबर गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इफ दि एट्टीन इयर्स ओल्डस कुड बी कन्सीडर्ड एडल्ट्स इन ला, ऐन्ड सेल प्रापर्टी एन्ड इंटर इनटु वैलिड कनट्रैक्ट्स एन्ड मैरेजेजस, दे शुड ऐज वैल बी गिवेन दि राइट टु चूज देयर रिप्रेजेन्टेटिव्स इन पार्लियामेंट एन्ड लोकल बाडीज, दि लेबर गवर्नमेंट वाज कनविन्स्ड दैट रिडक्शन इन दि वोटिंग एज टु एट्टीन वुड लीड टु दि क्रीएशन आफ ए हेल्दी इन्ट्रेस्ट अमंग दि यूथ इन दि पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ डिमोक्रेसी ऐन्ड माइट आलसो गो ए लौंग वे इन चेकिंग दि ग्रोइंग युथ अनरेस्ट ।

मान्यवर, एक कमेटी बनी और उसने फैसला किया, यद्यपि यह उसका काम नहीं था लेकिन उसने सोचा कि एक आदमी जब प्रापर्टी खरीद सकता है, बेंच सकता है, विवाह कर सकता है, कानूनी मामलों में 18 साल माना जा सकता है तो यह उसके साथ अन्याय होगा कि उसे वोटिंग में हिस्सा न लेने दिया जाय । इसलिए उसने फैसला किया कि इसे घटा कर 18 साल कर दें और लोकल बाडीज में पार्लियामेंट में जनरल एलेक्शन में वोट डालने का अधिकार दे दिया कि वे अपने प्रतिनिधि तय करें ।

इसी प्रकार मान्यवर, अपने देश के विचारकों का मत भी देखें । आचार्य जय प्रकाश नारायण ने एक नान आफिशियल प्रयास किया और तारकुन्डे कमेटी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

का गठन किया। उसने चुनाव सुधार के मामले में बहुत सी सिफारिशें की हैं, उसने कहा है—

"इन मैनी फैमिलीज दि यंगर पीपुल आर बैटर एजूकेटेड एन्ड बैटर इनफार्म्ड दैन देयर एल्डर्स। इन रूरल एरियाज, व्हाइल दि ओल्डर पीपुल आर आफेन इल्लिटरेट, दि यंगर जनरेशन इज एबिल टु रीड एन्ड राइट। मोरओवर इन रिसेन्ट इयर्स, युथ आल ओवर दि कन्ट्री आर बिकमिंग दि वेनगार्ड एन्ड कैटेलिस्ट आफ सोशियल ट्रान्सफौरमेशन" कि बहुत सी फेसिलीज में छोटे लोग बड़ों से अच्छा पढ़े-लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं। ज्यादा योग्य युवक हैं, जिम्मेदार हैं। इट इज डिजाइरेबिल दैट देयर आइडियलिज्म शुड बी एडीक्वेटली रिफलेक्टेड इन दी लेजिस्लेचर्स। ये सुधार के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। इसलिए उनका मत है कि 18 वर्ष के ऊपर के युवक को वोट का अधिकार हो। अतः 18 साल की एज कर दी जाय।

मान्यवर, श्री एल0 के0 अडवानी जी ने भी बड़ा काम किया है। चुनाव सुधार के मामले में। उनका भी आर्टिकिल है "दि एलेक्शन आर्कीव्ज" में है, जुलाई/सितम्बर, 1976 में छपा है—

इट इज पेटेन्टली इल्लिगेल एन्ड एनोमालस टु रिगार्ड ऐन 18 इयर ओल्ड इन्डियन युथ ऐज मेच्योर एनफ टु ज्वाइन दि आर्मी, टु मैरी, टु बी ए कम्पनी डाइरेक्टर, टु इन्टर इनटू ए वैलिड कान्ट्रेक्ट, एसेक्ट्रा, बट नेवर दि लेस, डीम हिम आर हर अनफिट टु वोट। दि अनामली मस्ट बी रिमूव्ड। दि वोटिंग एज मस्ट बी रेडयूस्ड टु 18 इयर्स।

उन्होंने कहा कि 18 साल का एक आदमी, भरती युवक, आर्मी में जा सकता है, विवाह कर सकता है, कम्पनी डाइरेक्टर बन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, इसलिए वोटिंग के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसी तरह से मान्यवर, हमारी सोशिलिस्ट पार्टी के मृणाल गोरे ने कहा है, सी0 एम0 के0 के लीडर एरासीझियन ने कहा है। सी0 पी0 आई0 की तरफ से भी कहा गया है कि—

इन दि पोलिटिकल इकोनोमिक ऐन्ड सोशियल लाइफ आफ दि कन्ट्री, दि यंग पीपुल बिट्वीन दि एज आफ 18 ऐन्ड 21 प्ले ऐन इम्पार्टेन्ट पार्ट एन्ड देयर रोल इज ग्रोइंग स्टेडिली। बट दि मिनिमम वोटिंग एज इज 21 इयर्स।

देश के नागरिक आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो 18 साल के नवयुवक हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक दृष्टिकोण सब लोगों ने अपनाया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जब उधर से कुछ लोग बोले तो कहेंगे कि यह संशोधन गलत है तो उसका भी मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह कहा जा सकता है कि खर्चा अधिक होगा तो इस बात पर पहले ही विचार कर लिया गया था कि अगर यह संशोधन किया जाता है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। खर्चा तो सदन के बैठने पर भी होता है। आपका बहुमत है हर मामला पहले ही दिन आते-आते हाथ उठाकर तय कर लिया जाया करे। क्यों इतना खर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि यह जनतंत्र के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार जनतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि इसको 18 साल हम करें।

दूसरी बात यह कही जायेगी कि 21 साल के मुकाबले में 18 साल की उम्र अपरिपक्व होगी लेकिन यह तर्क अच्छा नहीं मालूम होता क्योंकि 18 और 21 साल के बीच का जो ग्रुप है, हर तरीके की शिक्षा इसी ग्रुप में है। ग्रेजुएट्स का चुनाव होता है, टीचर्स का चुनाव होता है, यह केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं है। यह लगन है कि जितनी चेतना नवयुवकों में है उतनी चेतना और किसी वर्ग में नहीं है।

यह बात भी कही जाती है कि इस वर्ग में अनुशासनहीनता है तो इसलिए इनको न लिया जाय, तो यदि अनुशासनहीनता है तो उसको जन्माया किसने है ? जब वोट लेना होगा तब वे अनुशासनहीन नहीं हैं लेकिन जब उनको मतदान का अधिकार देना होगा उस समय हमारे मन में यह तर्क पैदा होगा कि नहीं यह अनुशासनहीन हैं इसलिए इनको यह अधिकार देना गलत है। मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए एक ही बात पर जोर दूंगा कि यह प्रस्ताव बहुत ही सामयिक है और हर पार्टी और हर राजनैतिक दल इस मत के हैं कि नवयुवक हमारे सामने आयें इसलिए मैं पुनः यह बात कहूंगा कि इसको 18 साल कर दें। जब 18 साल के व्यक्ति को अन्य प्रकार के चुनावों में भाग लेने का मौका है तो एम0 एल0 ए0 के चुनाव के लिए वह अपरिपक्व होगा, यह कहना तो एक विसंगति है। इसको हटाना चाहिए। 21 साल की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है ? उसे 18 साल में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों के लिए कर दिया उसी तरह से इसको भी कर दें और यह एक अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए कि वह इस मामले में पहल करे और अगुवाई करे और नवयुवकों को भागीदार बनाये और संविधान में संशोधन करवायें और इसके लिए मैं अपने सब पक्ष और विपक्ष के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यह किसी खास दल और पार्टी का सवाल नहीं है। उनको इसकी युवा शक्ति को जिम्मेदारी देकर शासन में जिम्मेदारी देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस प्रकार की आवाज उठे और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार संशोधन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का अनुमोदन करता हूं।

श्री मुईद अहमद—

आपने मुझको राजेन्द्र अग्निहोत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस चर्चा में हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर एक बात यह बताई कि यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय मुद्दे का है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय मुद्दे का है और अगर यह पारित हो गया तो उसका बेजा असर हो जायेगा। उसके कई कारण हैं। इसके कुछ कारण तो माननीय सदस्य ने स्वयं बता दिये कि अपरिपक्वता है, खर्चा है। यह सारी बात उन्होंने बताई। मैं इतना कहना चाहता था कि आप शायद बड़े-बड़े साइकलोजिस्ट की बात भूल गए। उनका कहना है कि मनुष्य परिपक्व 40 वर्ष की उम्र में होता है। इससे कम की उम्र में वह किसी को मैच्योर नहीं मानते हैं।

श्री शंकर सिंह—

आपकी उम्र क्या है ?

श्री मुईद अहमद—

मेरी उम्र तो कम है लेकिन 22 साल से ज्यादा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुईद साहब आप छोटे होकर बड़ी बात कर रहे हैं ।

श्री मुईद अहमद—

मतदाता तो पूरी है वही चला रहा है । वही इस देश और प्रदेश की सरकारों को बनाता है और यह मतदाता के सोचने का काम है कि हम किस प्रत्याशी को बनायें और किसको न बनायें, जो चाहे संसद में जाये या विधान सभा में जाये । उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, उसका चरित्र कैसा है । यह सब मतदाता के सोचने की बात है और 18 वर्ष का मतदाता का निश्चित रूप से 22 वर्ष के मतदाता की अपेक्षाकृत ज्यादा भावावेश में निर्णय रहेगा और जब वह मतदान करने जायेगा तो भावावेश में जायेगा, नारों से जायेगा । इस तरह की तैयारी छोटी उम्र के लोग ही कर सकते हैं । अगर हमने 18 साल की उम्र में किसी को नौकरी दे दी, किसी को बैनामा के लिए मान लिया तो वह नौकरी कर सकता है, बैनामा ले सकता है परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन सब बातों को मतदान करने के साथ क्यों जोड़ दिया गया । क्योंकि मतदान ज्यादा महत्वपूर्ण काम है और ज्यादा सोचने और समझने की बात है । नौकरी करना, व्यवसाय करना आदि ज्यादा आसान काम है बजाय इसके कि वह अच्छे प्रत्याशी को चुन सके, मैच्योर्ड होकर चुने । यदि उसे 18 साल की उम्र में अधिकार दे दिया गया तो वह कैसे सदन में नियमों को बनायेगा । कैसे संशोधन को लायेगा, कैसे चर्चा करेगा ? मेरा ख्याल है कि जब मतदाता 18 वर्ष का हो जायेगा तो उसमें वह बात नहीं आयेगी, जो 22 वर्ष के मतदाता में होगी । जहां तक आपने देश प्रदेश और अन्य देशों का भी नाम लिया है, आस्ट्रेलिया का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, स्वीडेन का नाम लिया, यू0 एस0 ए0 का नाम लिया लेकिन मेरी जानकारी है कि वहां भी 18 वर्ष तक की उम्र वालों को मतदान करने का अधिकार नहीं है । विचार और चर्चा करना तो दूसरी बात है, विचाराधीन कोई प्रश्न होना दूसरी बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जिन देशों का नाम लिया, मैंने जोर देकर कहा कि मैं अपनी जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं । माननीय सदस्य के कहने से ऐसा लगता है कि मैंने गलत बयानी की है । लेकिन माननीय सदस्य पुस्तकालय में जाकर स्टडी कर सकते हैं । जिन देशों के नाम मैंने लिये, वहां के बारे में पढ़ कर जिम्मेदारी के साथ कहा कि वहां 18 वर्ष की उम्र है ।

श्री मुईद अहमद—

लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है । जो मेरी जानकारी है वह मैंने दी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्त जी, वे कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार यह है।

श्री मुईद अहमद—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उसका सबूत दे रहा हूं कि वे मेच्योर्ड नहीं हो सकते हैं।

(व्यवधान)

बहरहाल यह ऐसा संकल्प था, जिसके पक्ष और विपक्ष में कहने की बातें हो सकती हैं। यह सही है कि अभी भी जो नौजवान लोग हैं उनके मुकाबले में अधिक जानकार हैं देहात के अशिक्षित लोग हैं, या बुड्ढे लोग हैं, उनको सही जानकारी नहीं होती है, जो नौजवानों में वे थोड़ा बहुत पढ़े-लिखे हो सकते हैं, उनको सोचना पड़ता है लेकिन उनमें स्थायित्व नहीं हो सकता है क्योंकि जो मेडिकल फैक्टर हैं, उसके अन्तर्गत उनमें स्थायित्व नहीं हो सकता। उनमें गम्भीरता नहीं आ सकती है इसलिए कि 18 वर्ष की उम्र में वे कोई अच्छा फैसला नहीं ले सकते। जितना कि मेच्योर्ड उम्र वाला आदमी फैसला ले सकता है।

जहां तक 18 वर्ष की उम्र करने की बात है, उसमें गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं तो खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि 10 और 8 वर्ष के लड़कों का नाम मतदाता सूची के अन्दर दर्ज है और वे मत देते हैं। यह बड़ी गम्भीर बात है। जब वे 18 वर्ष की उम्र में सही गलत नहीं सोच सकते हैं तो उससे कम उम्र के बच्चे जाकर वोट देते हैं, उनको क्या पता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। किस पार्टी का क्या आधार है, किस पार्टी की क्या नीति है, किस पार्टी का जनतंत्र में विश्वास है, किस पार्टी का जनतंत्र में विश्वास नहीं है, यह मतदाता ही सोचेगा, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। जो आदमी पढ़ा-लिखा हो, मेच्योर्ड भी हो, इतनी उम्र भी हो कि वह देश और प्रदेश की विधान सभाओं में जा सके और वहां अपने सही विचार दे सके, ऐसा एक मेच्योर्ड आदमी ही हो सकता है। जहां तक इस संकल्प में खर्चे की बात की गयी है, तो खर्चे की परवाह इस सरकार को नहीं है। हर काम जो अच्छा हो उसके लिए खर्चा उठाया जा सकता है। लेकिन फैसला बढ़िया होना चाहिये और इसीलिए मेच्योर्ड मतदाता होना चाहिये। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, माननीय अग्निहोत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मताधिकार के लिए 18 वर्ष की उम्र बिल्कुल न्याय संगत है और यह होना चाहिये। क्योंकि किसी भी देश को बनाने के लिए नौजवानों की अगुवाई एक अहम भूमिका निभाती है। मान्यवर, आप जानते भी होंगे कि देश की आजादी की लड़ाई में भी देश के नौजवानों ने ही सबसे अधिक कुरबानी दी थी। देश उनकी कुरबानी से ही आजाद हुआ था। दूसरी बात यह है कि जब भी देश पर संकट पड़ा है, तब देश के नौजवानों को ही आगे आने को कहा गया है और श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो देश व्यापी आन्दोलन छेड़ा था, उसमें भी उन्होंने नौजवानों को ही अगुआ

[श्री राम गोविन्द--]

बनाने की बात कही थी। वह जानते थे कि नौजवान कार्य करने में दक्ष होते हैं। वह इस बात को महसूस करते थे कि नौजवान ही इस कार्य को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। नौजवानों में देश को बनाने के प्रति लालसा बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने इस देश के नौजवानों को अगुवाई करने की बात कही थी। अभी जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें भी आपको देखना होगा कि तथाकथित यूथ कांग्रेस, हुल्लड़बाज नौजवानों की अहम भूमिका थी। मैंने ये तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किये, देश की आजादी की, लोकतंत्र की पुनः स्थापना की और हुल्लड़बाज नौजवानों की इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने की। तो यह बात साबित कर दी है कि देश में नौजवानों की भूमिका ही अहम भूमिका है और निश्चित रूप से जो 18 वर्ष की उम्र के नौजवान हैं, वे ही देश को बना सकते हैं, जो देश में रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का काम कर सकते हैं। उनको मताधिकार का अधिकारी होना ही चाहिये।

श्रीमन्, दुनियां के अधिकांश देशों में 18 वर्ष की आयु का मताधिकार रखा गया है। अगर आप पुराणों को पढ़े तो 16 वर्ष की उम्र में ही अभिमन्यु ने एक बहुत बड़ी वीरता का काम किया था। उस समय अपने जमाने में उन्होंने यह साबित कर दिया था कि मैं इस उम्र में रह कर भी अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, सबसे अच्छी तरह से संचालित कर सकता हूं और उन्होंने यह कार्य कर दिखाया भी था। 16 वर्ष की उम्र में लोगों की जिम्मेदारी मान ली जाती है। 16 वर्ष की उम्र में ही राम चन्द्र जी ने अपने जमाने में ऐसे पुरुषार्थी काम किये जिनसे यह साबित हो गया कि नौजवान ही अधिक दृढ़ता और विश्वास से काम करने में अगुवाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि 18 वर्ष के मताधिकार की बात पर विरोध न करके उसे सर्व सम्मति से पास करें और केन्द्र सरकार से निवेदन करें कि वह संविधान में परिवर्तन कर 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार प्रदान करने का कष्ट करें।

श्रीमन्, जब 16 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष की उम्र के लोगों को खेतों पर नाम दर्ज कराने का अधिकार है, उनको अपने व्यवसाय करने का अधिकार है, उनको अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है तो कौन सा ऐसा कारण है जहां पर 18 वर्ष के मताधिकार से उनको वंचित किया जाय? श्रीमन्, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि उनमें मैच्युरिटी नहीं आयेगी। आप जानते हैं किसी भी देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि देश में शिक्षा का प्रबल प्रसार किया जाय और जब तक देश में सेन्ट-परसेन्ट लोग शिक्षित न हों, वहां पर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता।

हिन्दुस्तान में आप जानते हैं शिक्षा का जो स्तर है। अधिकांश लोग अनपढ़ हैं और वोट देते वक्त चाहे वह 80 वर्ष के हों, 50 वर्ष के हों, चाहे 45 वर्ष के हों, उनको मालूम ही नहीं रहता कि हम को क्या करना है, वोट क्या बला है, मुहर कागज टेबिल पर रख कर, दण्डवत प्रणाम करके, टेबिल से चले आते हैं और दूसरे आदमी मुहर लगाने का काम करते हैं। तो मेरा तो यह मत है कि जो 80 वर्ष, 45 वर्ष, 75 वर्ष की उम्र के बिना पढ़े-लिखे लोग वोट देने जाते हैं उनको वोट के माने मालूम नहीं रहते हैं कि हमको किसको वोट देना

है, यह भी ज्ञात नहीं होता है, किस पार्टी को वोट देना है, पार्टी क्या बला है, जनतंत्र में किसे विश्वास है, किसे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या नहीं है। जो बिलकुल पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं, उनसे निश्चित रूप से जो नौजवान हैं, 18 वर्ष के हैं अपने विवेक का प्रयोग करके लोकतंत्र और जनहित में कार्य कर सकते हैं।

श्री मुईद अहमद--

क्या आपका यह मतलब यह है कि 18 वर्ष के नौजवानों को मतदाता सूची में जोड़ दिया जाय और वृद्ध लोगों को वोट देने से हटा दिया जाय ?

श्री राम गोविन्द--

मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 वर्ष की उम्र वाले जब मतदाता सूची में रख दिये जायेंगे तो 50, 60, 70 वर्ष के लोगों से ज्यादा वह पढ़ा-लिखा तबका है जो कि देश को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है, उसको क्यों वंचित कर दिया गया है। देश के इतने बड़े काम में वह वोट नहीं दे सकता है। किसी देश के भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का काम लोक सभा और विधान सभाओं के माध्यम से होता है। देश की तकदीर विधान सभाओं और लोक सभा में कैद रहती है और जो देश को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है उसको वोट का अधिकार न देकर हम इसके लिये यहां अन्दर बैठकर कानून बनाये तो यह उनके प्रति अन्याय की बात होगी। इसलिये मैंने कहा कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है उनको सुनने में गड़बड़ी हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश की शिक्षा की दशा आज इस तरह की है कि 65 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं जिनको कि मताधिकार प्राप्त है और देश का पढ़ा-लिखा नौजवान जो कि 18 वर्ष का है उसको इस अधिकार से वंचित कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नौजवान जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिये इस विधेयक को आप सर्वसम्मति से पास कर लें और केन्द्र से अनुरोध करें कि संविधान में इस तरह का संशोधन कर दिया जाय कि वोट का अधिकार 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया जाय।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने सम्मानित सदस्य, माननीय अग्निहोत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे इस पर एक शेर याद आ गया--

मन की हविश तन को गुनाहगार बना देती है,
बात बीमार को बेजार बना देती है।
इन सूखी अंतड़ियों को देशभक्ति सिखाने वालों,
पेट की भूख हर इन्सान को गद्दार बना देती है।

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र—]

मान्यवर, मेरे लायक दोस्त कृष्ण से लेकर रामचन्द्र तक की दुहाई दे रहे थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इंसान में परिपक्वता न हो तब तक इस देश के मखौल करने वाले और इस देश को गुमराह करने वाले तथा 18 वर्ष वालों को मत अधिकार देने वालों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि सुभाष नौजवान थे तो क्या उनके पीछे महात्मा गांधी का हाथ नहीं था, यदि अर्जुन नौजवान थे तो क्या उनके पीछे श्रीकृष्ण का हाथ नहीं था ? मान्यवर, मैं कहूंगा कि करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि नौजवान निश्चित रूप से क्रान्तिकारी होता है और सत्ता परिवर्तन में अगर किसी भी मुल्क में लिया जाय तो यह सही है कि नौजवानों का उसमें योगदान होता है लेकिन उसके साथ-साथ मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि देश में बड़े-बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, बड़े-बड़े विद्वान पैदा हुए तो नौजवान हर आदमी होता है। इन्सान पहले नौजवान तब जवान और फिर वृद्ध होता है लेकिन यह कहना सच नहीं कि नौजवान ही सब कुछ होता है। मैं इस मत को मानने वाला नहीं हूं कि नौजवान ही पढ़ा-लिखा होता है।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने आंकड़े दिये कि कम से कम इस मुल्क में 80-85 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे नहीं है। मैं उनसे नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की पापुलेशन को अगर आपने सही ढंग से समझा है तो उस 85 परसेन्ट में बुड्ढे भी हैं, नौजवान भी हैं और जवान भी हैं। पढ़ने लिखने और स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर लेने मात्र से सारी चीजों की जानकारी नहीं हो जाती, विश्वविद्यालय से निकलने के बाद सारी जानकारी नहीं हो जाती। यह सही है कि हमें इस देश के निर्माण में नौजवानों का सहयोग चाहिये। लेकिन जब पूर्ण बुद्धि और विवेक की बात आती है, उसमें परिपक्व होना जरूरी है। (व्यवधान) हमारे साथी बहुत पढ़े-लिखे उधर बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि और विवेक की बात नहीं होती तो इस देश में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में जो निकलते हैं वे सीधे मजिस्ट्रेट नहीं बनते हैं। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई सीधा जज एपाइंट हो गया हो। इतिहास कभी इस बात का प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ हो। यह सत्य है कि 10, 15 साल वकालत करने के बाद ही एक मुन्सिफ होता है और फिर जज होता है। उसे न्याय करने के लिए अनुभव जरूरी होता है। आज जिस पहलू पर यहां विचार-विमर्श हो रहा है कि विधान सभा और लोक सभा के लिए वोट देने का अधिकार 18 साल के बालिग को होना चाहिये, मैं इसके विरुद्ध हूं। 18 साल में बच्चा जब अपनी जवानी की तरफ अग्रसर होता है। जहां तक बालिग और नाबालिग का सवाल है जूरिसप्रूडेंस के आधार पर 13 साल के बाद मेजर माना गया है। लेकिन बुद्धि और मेच्योरिटी में बड़ा अन्तर होता है। इसलिए माननीय अग्निहोत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका मैं इस लहजे के साथ विरोध कर रहा हूं कि निश्चित रूप से 18 साल में ज्ञान संचालन की क्षमता कम होती है, परिपक्वता कम होती है और विवेकशीलता कम होती है। इसलिए कम से कम 21 साल की अवधि में ही वोट देने का अधिकार देना उचित है।

[समय 1 बज कर 54 मिनट]

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे जो माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी के संकल्प का समर्थन करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे ट्रेजरी बेंचेज से डाक्टर साहब बोल रहे थे, वह भी खजाने के मोह में बोल रहे थे कि मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा 13 साल के बाद हर बालक हिन्दुस्तान में मैच्योर हो जाता है बच्चा पैदा करने के लिए तो वह मैच्योर हो जाता है, लेकिन वोट देने के लिए मैच्योर नहीं है। मिलेट्री में जाने के लिए तो वह 18 वर्ष में मैच्योर हो जाता है, लेकिन वोट देने के लिए मैच्योर नहीं होता है। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारा देश आज गुलाम नहीं है, अब हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी प्रतिभा के विकास का पूरा अवसर मिलना चाहिए। जब हम गुलाम थे तो प्रि-मैच्योर माने जाते थे और तरह-तरह से हमें मैच्योर नहीं बताया जाता था। लेकिन आजकल हम स्वतन्त्र भारत में हैं, ट्रांजिस्टर और टी0 वी0 के युग में रह रहे हैं, वैज्ञानिक विकास के युग में हैं तो हम 18 वर्ष की अवस्था में पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं। 18 वर्ष की अवस्था का नौजवान यहां मैच्योर हो जाता है और विवेक से निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। नौजवानी में वह बल होता है जो बराबर परिवर्तन करता है, देश और समाज को अच्छी दिशा में और परिवर्तन की दिशा में ले जाता है। लेकिन यहां इसका विरोध करने वाले ट्रेजरी बेंचेज में बैठे लोग तो वह लोग हैं जो इस देश में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो सत्ता पर कुंडली मारे बैठे लोग हैं वह 18 वर्ष के नौजवान को वोट का अधिकार देकर देश को परिवर्तन की दिशा में ले जाने का कैसे काम कर सकते हैं? यह आजादी के आन्दोलन में खूसठ लोगों के साथ रहे हैं, नौजवानों के साथ नहीं रहे हैं। जयप्रकाश जी की समग्र क्रान्ति में न के साथ नहीं रहे हैं केवल सत्ता से चिपके पुराने लोगों के साथ रहे हैं।

जब पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 का आदमी कम उम्र में जिला और तहसील चलाता है तो ऐसी उम्र के लोग अपना वोट देकर विधान सभा क्यों नहीं चला सकते हैं? आपकी सरकार ग्राम सभाओं में 18 वर्ष की उम्र को बालिग मानती है, नगरपालिकाओं और मेयर के चुनाव में 18 वर्ष को बालिग मताधिकार देती है, तो क्या कारण है कि इससे 21 के स्थान पर 18 वर्ष तक की उम्र वालों को मताधिकार न दिया जाए।

हमारे देश में पौराणिक युग के भी बहुत से उदाहरण हैं जब कि 18 और उससे भी कम उम्र के व्यक्तियों ने बड़े-बड़े काम कर दिखाए हैं। श्री रामचन्द्र जी धनुविद्या में पारगंत थे, उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही धनुभंग किया था जबकि उनके सामने बड़े-बड़े वीर हार मान गये थे। ताड़का और शुबाहु का वध भी रामचन्द्र जी ने 12 वर्ष की उम्र में किया था। अभिमन्यु ने 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह का भेदन किया था। ऐसे कुशल और पारंगत अभिमन्यु थे कि बिना उनके चक्रव्यूह का भेदन हो नहीं सकता था। इसलिए इस प्रदेश के इस महत्वपूर्ण सदन में, जो प्रदेश हमारे देश का एक प्रमुख प्रदेश है, इस संकल्प के रूप में श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी इसे लाए हैं। यह सदन इस संकल्प का पास करे और इस संकल्प को पास करके परिवर्तन करके, केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि वह मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यदुनाथ सिंह]

यह सदन ऐसा प्रयास करे कि 21 वर्ष के बजाए 18 साल उम्र कर दी जाय, जिससे हम परिवर्तन की धारा में आ जाएं और परिवर्तन की दिशा में जाकर उसका लाभ उठा सकें। जब तक हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पर बालिग मताधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से जो गैर-बराबरी है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रदेश की विधान सभा में पहले ज्यादा उम्र वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन यहां जून 80 के जो सदस्य हैं, उनमें नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा संख्या है। यदि 18 वर्ष वालों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए तो 50 परसेंट सदस्य विधान सभा में नौजवान आएंगे। जो देश में गैर बराबरी को दूर करने और आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर प्रदेश और देश को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। मेरा तो यह भी विचार है कि बहुत से ऐसे सदस्य जो 80 या उसके आसपास की उम्र के हैं, वह चाहे सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में, निश्चित रूप से यहां कुछ करने के लिए नहीं होते हैं। जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं आज वोट देते हैं और जब मुगलराय विधान सभा से मैं निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था तो केवल 428 वोट से उसमें हार गया था, जबकि मेरे क्षेत्र में कुल 900 अंगूठा-टेक वोटर्स थे। यह 900 अंगूठा टेक वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने मतपत्र पर अपना अंगूठा टेक दिया था, बजाए मोहर लगाने के। इन 900 वोटों के अवैध होने से मैं केवल 428 वोटों से हारा था। इन्टेंशन आफ वोटर्स टू चूज दि कैन्डीडेट वाज सेम में 428 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए हार गया था।

यदि 18 वर्ष की आयु वालों को मताधिकार दे दिया जाय तो वे अंगूठा-छाप न होंगे, उनमें वे ही लोग होंगे जो 60-80 साल से ऊपर के हैं, वे ही पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। तो यह निश्चय होना चाहिए कि 18 वर्ष की आयु वालों को मताधिकार दिया जाय और यदि वे जन प्रतिनिधियों को चुनने में अपना योगदान करेंगे तो हमारा प्रदेश अगुवाई का कार्य करेगा और जो संविधान में संशोधन करने का स्वरूप रखेगा उसमें हमारा प्रदेश देश भर में अगुआई करेगा। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि आपको मालूम है आज असरकारी दिवस है। रूलिंग पार्टी के लोग तो रोज छाये रहते हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर इधर से 4 लोग बोलें तो उधर से एक व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया जाय?

श्री अधिष्ठाता--

आपका यह तर्क न्यायसंगत नहीं है। जब उधर से कोई बात पेश होती है तो आपको एक और एक के हिसाब से बोलने का मौका दिया जाता है।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

चूंकि इस सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बोलते समय, समय का ध्यान रखें और बातों को रिपीट न करें बल्कि अगर तर्क का तर्क से जवाब दें तो उचित होगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प के सम्बन्ध में हम को बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दृष्टि अपनाने की जरूरत है। मान्यवर, इसके पहले भी मैंने माननीय सदन के सामने कहा था, किसी संदर्भ में, कि यह दुनिया जब बनी तो ऐसा नहीं था कि अकेले नौजवान ही रहेंगे और बुजुर्ग नहीं रहेंगे। यह दुनिया दोनों की है। और दोनों को एक दूसरे से सीखकर और सहयोग करके चलने की आवश्यकता है। अगर नौजवानों में जोशोखरोश है, आदर्श है, क्रान्तिकारी विचारधारा है तो दूसरे लोगों में अनुभव है, विजडम है और बुद्धि है, एक मयार है, एक स्टेन्डर्ड है। तो एक दूसरे के सहयोग से देश को और सारी दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। बहुत से माननीय सदस्य नौजवानों को बहुत ऊंचा उठाते हैं, वह एक सेन्टिमेंटल बात है। यह भी कहते हैं कि नौजवानों ने बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये हैं और आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान नौजवानों ने किया है परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह भी कहा गया कि नौजवानों को इसमें आगे क्यों नहीं ले जाना चाहिए। हर सरकम्सटान्सेज अलग-अलग होते हैं। आजाद हिन्द फौज ने बहुत योगदान किया और उनके सहयोगियों और साथियों ने बहुत त्याग किया लेकिन हमारे नेताओं ने यही सोचा कि उनको फिर से फौज में लेना उचित नहीं है क्योंकि वे एक ऐसी संस्था (इन्सटीट्युशन) के हैं, मिलिटरी के, जो राजनीति से प्रभावित रही है अतः उनको लेने से सारे इन्सटीट्युशन्स खराब होंगे। उन्होंने बदलाव किया है दूसरे देशों में लेकिन एक सरकम्सटान्स से बदल जाते हैं। परिवर्तनशील तो जगत है और रोज बरोज इसमें परिवर्तन होता रहता है। अपने भाई धरमपाल जी से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन तो इतना तक होता है कि अगर आपने शीशे में जो कल चेहरा देखा था, उसे आज देखें तो आज वह बदला हुआ होगा। तो परिवर्तन तो रोज होता रहता है, लेकिन उसका अहसास नहीं होता क्योंकि जो चीज रोज घटित होती रहती है उसको अहसास नहीं हो पाता। दुनिया में बड़े-बड़े क्रान्तिकारी हुये हैं जैसे लेनिन, स्टैलिन, माओत्सेतुंग आदि, उन्होंने जो कुछ किया वह दुनिया जानती है, मैं उन्हें पागलों की संज्ञा देता हूं। उन्होंने कोई अच्छी स्थिति को पैदा नहीं किया। आप अगर डा0 पस्टर्नक की नावेल डा0 जिव्रेको को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि रशा में क्या-क्या हुआ और उसको पढ़ कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। लेनिन ने आखिर 50 हजार आदमियों का कत्ल करके बालशेविक आन्दोलन किया और एक राज्य स्थापित किया

(व्यवधान)

हो सकता है मेरी बात गलत हो, पर मैंने जो पढ़ा है, उसे मैं आपको बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न करें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आप 'डा0 जिव्रेको' वाली नाविल को पढ़ें तो आपको सब पता चल जायेगा कि क्या-क्या वहां हुआ। जो अत्याचार का वर्णन उसमें किया गया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

है, उसको पढ़ कर रोंगटे खड़े हो जायेंगे । स्टेलिन का जो जमाना रहा है उसको आप पढ़िये ।

(व्यवधान)

इतिहास को पढ़कर आपको मालूम होगा कि किस तरह की जिन्दगी उस जमाने में थी । रशा में एक आदमी की क्या हालत है वह मैं बताना चाहता हूं । वहां पर "ए मैन इज ड्रीवेन बाई फीयर्स वैन हि शुड वि डिवेन बाई होप्स ।" वहां पर एक आदमी हर वक्त डरा रहता है, डर से उसे चलाया जाता है, जबकि उसे उम्मीदों से चलाना चाहिये । कम्युनिस्ट देशों में आदमी को स्वतन्त्रता नहीं है ।

जहां तक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की बात आपने कही है, मान्यवर, वह सेन्टीमेन्ट्स से नहीं लाई जा सकती है । सेन्टीमेन्ट्स से काम नहीं चला करता । यह प्रश्न बहुत ही जटिल है । और काम्पलेक्स है, उसके लिए आपको धीरे-धीरे सारी सामाजिक चीजों पर विचार करना होगा और उन पर विचार करते हुये समाज को आगे ले जाना होगा और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सफल होंगे । ह्यूमन नेचर को कन्सीडर करते हुए जब आप चलेंगे तब आप अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे ।

मान्यवर, लोक तंत्र एक बड़ा ही नाजुक पौधा है और इसे बहुत ही बुद्धिमानी से संवारने और सोचने की आवश्यकता है । अनुभवी लोगों में जो विजन होता है, जिसकी कि आवश्यकता है, उनमें जो विचार की शक्ति होती है वह आज के नौजवान में पैदा नहीं होती और वह पैदा होती है एक्सपीरियन्स से । बड़े बड़े विद्वानों ने और लेखकों ने जो कुछ अपने अनुभव से लिखा है, हर एक का अनुभव अलग-अलग होता है, उसको पढ़ने से हमें यही मिलता है कि सोचने और समझने की शक्ति अनुभव से ही आती है । इसलिए आपको प्रेक्टिकल व्यू लेने की जरूरत है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि राम चन्द्र और अभिमन्यु जी बहुत छोटी ही उम्र में काफी विद्वान और योग्य थे । तो मान्यवर, बहुत से लोग ऐसे हुए जो छोटी ही उम्र में काफी योग्य हो जाते हैं । तो यह तो एक्सेप्शन की बात है । बहुत से बालक ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कि किसी चीज को बहुत जल्दी ही समझ जाते हैं । कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो कि एक घंटे में कोई चीज समझ जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं काफी दिनों में समझ पाते हैं । बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जोकि गणित के सवाल को जल्दी समझ जाते हैं और बहुत से विद्यार्थी उसी सवाल को देर में समझ पाते हैं । तो राम चन्द्र जी और अभिमन्यु जी की जो बात कही, यह एक्सेप्शन की बात है ।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अनुभव की बात है, जिसके रास्ते से हम देश को आगे ले जा सकते हैं । हमारे पूर्वजों ने हमारे इस जीवन को 4 हिस्सों में तक्सीम किया और 100 साल की उम्र रखा । हमारे पूर्वजों ने इन 4 हिस्सों को 4 आश्रम कहा । 25 वर्ष की आयु तक हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, नालेज हासिल करना चाहिए और 25 वर्ष तक सभी को पूरी तरह से ज्ञान के मामले में निपुणता लाना है । उसके बाद गृहस्थ जीवन आता है और गृहस्थ आश्रम में जब वह आता है, तो वह अपने थ्योरिटिकल नालेज के आधार पर

इस दुनियां में घुस कर इस देश की सेवा करें और समाज को आगे ले जा सके। उसी सारी चीजों को देखते हुए 21 वर्ष की उम्र भी रखी गयी है। वह चीजों को डिस्इंटरेस्टड वे में इम्पैसेनेट वे में 21 साल के पहले सोचते हैं। 21 साल के बाद तब उसको कुछ अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष के बालकों को इस तरह के मेच्योर्ड अनुभव प्राप्त होने की बहुत कम सम्भावना है। तो इसीलिए हमारे फोरफादर ने सब सोचकर ही 21 वर्ष की आयु रखा। तो इसलिए उसको बहुत सोच समझ कर, एक प्रेक्टिकल व्यु, एक व्यवहारिक व्यु लेकर रखा। बहुत से इक्सपर्ट ने तो यह कहा है कि 50 से 70 साल की आयु राजनीति का बेस्ट पीरियड है और 70 साल उन्होंने बेस्ट पीरियड बताया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 21 साल रखा गया है, यह बहुत ही उचित है, सोच समझ कर रखा गया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से रखा गया है। यह जो अग्निहोत्री जी जो प्रोपोजल लाये हुए हैं, वह सिर्फ प्रोपोगन्डा के लिये लाये हैं। आज दुनिया में ऐसा हो गया है कि एजुकेशन का स्थान प्रोपोगन्डा ने ले लिया है। इन सारी चीजों के आधार पर यह इनका संकल्प रिजेक्ट हो जाने लायक है। वह जो 21 साल की बात है, वहीं रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इनके इस संकल्प का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह रिजेक्ट हो जाय।

*श्री खैरुल बशर—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अग्निहोत्री जी के इस संकल्प का हृदय से स्वागत करता हूं। मान्यवर, हमारे देश के अन्दर जमहूरियत है। लेकिन जमहूरियत ऐसी चलती है जैसे कोई बूढ़ा एड़ियां रगड़-रगड़ कर मर जाय। वही नमूना है इस इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का। लेकिन इसमें बहुत मुदब्बिल कठिनाई हो गई है। युवा शक्ति एक जनक्रांतिकारी शक्ति है। लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है रिवोल्यूशनरी सेन्टर है। आज हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों को जिनकी उम्र 18 साल की है, यह हमारे चुनाव में बहुत ही प्रभावकारी भूमिका अदा करते हैं लेकिन बाहर से। प्रत्यक्ष रूप से उनको आप भाग लेने का अवसर नहीं दे रहे हैं। अगर अवसर दिया जाय तो यह जो मरियल सरकार कांग्रेस राज्य की देन है।

एक सदस्य—

कांग्रेस की देन नहीं है, संविधान की देन है। मरियल या कुछ भी कहें।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, दुनियां में हमारा देश समाजवादी गणराज्य है। आप अगर बोलें तो मेरा उत्तर दे कौन सा देश है जो अपने को समाजवादी कहता है और 18 साल के उम्र वालों को वोटर नहीं मानता है? एक आपका देश है, समाजवादी बनते हैं लेकिन 18 साल के नौजवानों से भय खाते हैं। आप यह अधिकार दें या न दें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस धरती पर एक क्रान्ति फिर होगी जो आपको उखाड़कर फेंक देगी, आपकी सरकार दिवालिया हो चुकी है, उसको यहां का नौजवान उखाड़ कर फेंक देगा। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरूल बशर]

हूं मुगलिया सल्तनत में एक बादशाह औरंगजेब हुआ था, वह बहुत बड़ा कमान्डर, बहुत बड़ा शियासती कहा जाता है लेकिन उसके बाद उसकी सल्तनत का पतन हुआ। उसके पतन के कारण क्या थे, मौज्जम शाह 70 साल का था उसको औरंगजेब ने युवराज बनाया। यही उसके पतन का कारण था। हुमायूं का लड़का 12 साल का था। उस होनहार नौजवान ने मुगल सल्तनत में जान डाल दी। औरंगजेब अपने बाप को हटाकर गद्दी पर बैठा था इसलिए लड़कों से वह डरता था। मान्यवर, हिन्दुस्तान की शियासत की एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। एक कांग्रेसी नेता ने टिकट की दरख्वास्त दी थी और उनका हार्ट अटैक हो गया, वह अस्पताल में थे 80 साल की उम्र थी उनसे एक डेलीगेशन पूछने गया आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यह कहने में वह सक्षम नहीं थे, लड़ेंगे हां कहते-कहते उनकी सांस टूट गई। मान्यवर, एक मा0 सदस्य ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि 70 साल में रिटायर हो। लेकिन 80 साल के कितने पड़े हुए हैं आपका कहना है कि 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करना चाहिये। मैं कहता हूं कि 21 साल के लड़के, अधिष्ठाता महोदय तुर्की बीमार थी तुर्की को लड़खड़ाती सल्तनत को वहां के युवक तुर्क ने तलवार सम्भाल कर बीमार तुर्की को जानदार बना दिया। अगर आप नौजवानों से डरेंगे और उनको मतदान का अधिकार नहीं देंगे तो यहां का नौजवान आपको उखाड़ कर फेंक देगा।

*श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो संकल्प रखा गया है इसके सम्बन्ध में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, 47 के पहले हम गुलाम थे। 26 जनवरी, 1950 को हमारे यहां पूर्ण आजादी लागू हुई। जब 1950 में यह भारत गणराज्य में समाजवादी व्यवस्था चलाना था तो संविधान के निर्माताओं ने, जिसके ऊपर देश और प्रदेश की व्यवस्था चल रही है, उन्होंने जब विचार करना शुरू किया था तो उनके मन में था कि जो व्यवस्था हमारे देश में होगी वह मताधिकार के ऊपर बनेगी और उसको प्रयोग करने का अधिकार किसको दिया जाय, 18 साल की आयु रखी जाय या 21 साल की जो इस समय है, इस पर समय-समय पर विचार करना चाहिये। इस चीज पर आज बोलने का मौका मिला है, उसके लिये मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान डा0 भीमराव अम्बेडकर देश के संविधान निर्माताओं की खंड पीठ में थे। तो खंड-पीठ का मत था कि हम मताधिकार के प्रयोग करने का अधिकार, देश के युवा को देना चाहते हैं लेकिन सरकार बनाने का अधिकार किन के हाथों में होना चाहिये यह सवाल उसके सामने था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उन विद्वानों ने 21 साल की आयु को चुना, यह क्यों चुना इस पर विचार करने का प्रश्न है। इसलिये इसको चुना कि इसके पहले 25 साल का आदमी वयस्क माना जाता था और वह जो कहता था उसकी बात लोग मानते थे। लेकिन उसके बाद 21 साल की आयु को इसलिये चुना कि यह व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को, देश बनाने के सम्बन्ध में, समाज बनाने के सम्बन्ध में उसके विचार परिपक्व हो सकते हैं और जो भी उनका फैसला होगा उसका नतीजा अच्छा निकलेगा जिससे देश, प्रदेश और समाज बनेगा। यह सवाल हमारे सामने था। इसी को लेकर हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो व्यवस्था बनायी है उस पर हम आज चल रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन आज फिर विचार करना है कि 21 वर्ष की आयु को कम करके क्या 18 साल की आयु के युवा को मताधिकार दे दिया जाय। मान्यवर, इस पर हमने विचार सुने और कहा गया है कि युवा देश की रीढ़ हैं। इसको हम स्वीकार करते हैं और अपने देश की युवा पीढ़ी का हम आदर करते हैं क्योंकि देश को बनाने और क्रांति लाने की जिम्मेदारी, रचनात्मक कार्यों को करने और समाज बनाने की, जिम्मेदारी अदा करने में उसकी बड़ी जिम्मेदारी है।

मान्यवर, 1977 का दिन याद है जब हमारे देश के स्वर्गीय नेता जय प्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था कि "जाग उठी तरुड़ाई है" उससे देश के अन्दर क्रांति आयी। मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरुणाई और युवा शक्ति को हम देश के उत्पादन में, तरक्की में, देश को मजबूत बनाने में, समाज को नई दिशा देने में, शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में हम चिन्ता कर रहे हैं उनसे दिल से पूछा जाय तो वह कहेंगे कि हम मताधिकार के प्रयोग करने के अधिकारी नहीं हैं। वह अधिकार 21 साल के व्यक्ति को होना चाहिये, हमारे जिम्मे बहुत सारे काम हैं, पढ़ाई का काम है, देश और समाज के निर्माण का काम है। मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प विचार के लिए तो अच्छा है। युवा शक्ति और युवा पीढ़ी के लिये चिंतन तो करना चाहिये लेकिन उनके ऊपर मताधिकार का बोझ लादने के अवस्था उनकी नहीं है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि आपका संकल्प तो ठीक है लेकिन जो बोझ तरुणों पर डालना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी उनको देना चाहते हैं युवा वर्ग पर, वह उचित नहीं होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, हमारी जनतन्त्र की प्रक्रिया जो है वह और मजबूत हो, सत्ता में अधिक से अधिक लोग भागीदार हो सकें, इसके लिये मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा कम करनी होगी। केवल उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में 80 लाख लोग हैं जो मतदान से वंचित हो जाते हैं। जब हमारी आयु सीमा मतदान की रखी गयी थी उस समय हमें जनतांत्रिक प्रणाली का अनुभव नहीं था। बहुत दिनों से हम गुलाम थे। हम उतने जागरुक नहीं थे। शिक्षा में बहुत पीछे थे आज हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की सीमा 14 वर्ष है। हमारी जनता ने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। मतदान के सम्बन्ध में और जनतांत्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में। मतदान के समय बुजुर्ग से ज्यादा नौजवानों में सक्रियता होती है परन्तु ये मतदान नहीं कर पाते हैं। 18 वर्ष का नौजवान सरकारी सेवा में रखा जाता है। कानून की निगाह में जब यह मान लिया जाता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति अपना हित व अनहित सोचने के लिये सक्षम है तो फिर उसे मतदान करने से वंचित क्यों रखा जाय।

अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं तथा इस सदन से अनुरोध करती हूं कि यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि लोक सभा, विधान सभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जंग बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजेन्द्र अग्निहोत्री के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। आज हम देखें तो हमारे देश में 18 से 21 वर्ष के बीच के बहुत सारे लोग हैं जो मताधिकार से वंचित हैं। उनकी संख्या का पता लगाया जाय तो करोड़ों ऐसे नौजवान होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। आज 80 वर्ष के आदमी को वोट देने का अधिकार है जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं। सोचने की शक्ति भी उनमें नहीं है, वह ठीक से विचार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन 18 से 21 वर्ष तक के नौजवानों को वोट देने से वंचित रक्खा गया है जो बी0 एस0 सी0 हैं, बी0 ए0 और एम0 ए0 तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं ऐसे लोगों को मताधिकार के अधिकार से वंचित किये जाने को मैं उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर चाहे किसी का शासन रहा हो इस तरह ध्यान नहीं दिया गया। या किसी पीढ़ी की इसमें साजिश हो, या बड़े नेताओं की शाजिश हो, संभव है कि पिछड़ी नौजवानों को मताधिकार से वंचित किया गया है। आज हमारे देश के करोड़ों लोग जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, अगर संगठित हो जायं तो मैं समझता हूं कि देश के अन्दर उनकी बहुत बड़ी ताकत होगी और वह जो भी चाहेंगे अपनी आवाज बुलन्द कर अपने अधिकार को प्राप्त कर सकगे। कोई शासन उनकी आवाज को दबा नहीं सकेगा।

आज हमारे देश की पुरानी पीढ़ी के नेता चाहे श्री जगजीवन राम हों या मोरार जी देसाई हों या चौधरी साहब हों 82-79 वर्ष की उम्र में प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं जबकि सोचने की शक्ति उनकी समाप्त हो गई है और 18 से 21 वर्ष के बीच के लोगों को मताधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। और राजनीति में उन्हें अवसर नहीं देना चाहते। अगर वे समझते हैं कि उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, तो अपने लिए भी, जैसे सरकारी नौकरियों में अक्षमता के कारण रिटायरमेन्ट हो जाते हैं वैसे ही 60-62 वर्ष की उम्र के बाद अपने को सक्रिय राजनीति से रिटायर करें।

जहां तक यह तर्क दिया जाता है कि 18 साल और 20 साल के लोगों की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, हमारा इतिहास इसका साक्षी है, श्री शुकदेव मुनि की उम्र क्या थी, जो सबसे बड़े विद्वान ऋषि थे और बड़े से बड़े ऋषियों से सम्मान पाते थे। स्वामी शंकराचार्य जी को सभी जानते हैं, 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बड़े से बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और 5 देश में पीठ स्थापित किए। मैं तो समझता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा जाय तो केन्द्रीय सरकार भी इस पर विचार करे। 18 वर्ष की आयु के लोगों को कानून में पूरा अधिकार होता है, उन्हें बालिग समझा जाता है, वह सम्पत्ति क्रय कर सकते हैं और बेच सकते हैं। जब उनको इस प्रकार का अधिकार कानून में दिया गया है तो उन्हें मत देने के अधिकार से क्यों वंचित किया जाय।

*श्री फखरे आलम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के इस संकल्प पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस सशोपंज में था कि मैं इस पर बोलूं कि नहीं बोलूं इसलिए कि यह कहा जाता है कि ज्यादा उम्र के लोग यह चाहते हैं कि वोटर की उम्र ज्यादा हो और कम उम्र के लोग चाहते हैं कि कम हो। मैं नहीं समझता कि मेरी 52 वर्ष की उम्र है, मेरी किसमें शुमार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करें। यह व्यवस्था ऐसी है, जिस पर सोचने और समझने की जरूरत है। यह मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर बगैर सोचे समझे जजबात की रौ में बहते हुए चले जायं और कोई बात कह दें। वोटर चाहे पार्लियामेन्ट का हो या एसेम्बली का हो, उसको वह हक दिया जाता है कि उसको अपने नुमाइन्दे को मुन्तखिब करना होता है। हम जजबात में कह सकते हैं, हमारे भाई खैरुल बशर ने जोर-शोर के साथ एक बात कहीं, मैंने उनको गौर से सुना। श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें कहीं हैं और हवाला दिया। मुस्तकिल कुछ उन्होंने कहा। हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए, इस मुल्क की हालत को समझते हुए कि यही वोटर की एज क्य होनी चाहिए, जिसमें उनको बालिग समझा जाय, इस सम्बन्ध में इंडियन मैजोरिटी ऐक्ट में 18 साल बालिग होने की उम्र है। गार्जियन्स और वार्डर ऐक्ट में यह प्रोवोजन है कि अगर 18 साल की उम्र होने से पहले किसी नाबालिग का अदालत के जरिये कोई गार्जियन एप्वाइन्ट हो गया है तो उस गार्जियन को उसका वली रहने का अख्तियार उस वक्त तक होगा, जब तक वह लड़का या लड़की 21 वर्ष की उम्र न हासिल कर ले। इसके यह माने हुए कि नाबालिग की उम्र 21 साल तक रखी गयी थी। जब तक वह 21 साल की उम्र पूरी न कर ले, उसे बालिग करार नहीं दिया जा सकता था। अब अगर हमारी मंशा है कि उम्र वोटर्स को कम करके बहुत सारे वोट हासिल कर लें, वोटर्स की उम्र कम करके हमें बहुत सारे वोटर्स मिल जायेंगे, वोटर्स की लिस्ट बढ़ जायेगी, तो दूसरी बात है। जैसे कि जास्टिस आनन्द नारायण मुल्ला ने कहा था कि यह अवामी दौर है मुल्ला बेचारा क्या कहेगा जिसके हक में अन्धों की राहे हो गयी।

तो इसी तरह से अगर आप वोटर्स की गिनती बढ़ाना चाहते हैं तो आप 21 साल से 18 साल क्या 15 और 16 साल कर दीजिये। ब्रह्म दत्त जी होते तो वह वही कहते कि नहीं 14 साल होनी चाहिए वोटर्स की उम्र।

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

अभी माननीय गौरी शंकर भैय्या ने अपने आपको नौजवान कहा है तो कुछ तो उस बात का लिहाज कीजिये।

श्री फखरे आलम—

हमारी जवानी, ब्रह्मदत्त जी का नाम सुन कर आप चौक क्यों पड़ें? जो बातें मुझे मालूम हैं वह मैं किसी से बताऊंगा नहीं, यह यकीन रखिये। यह समझिये कि सना व राज का मकसद है। जो राज मालूम हो गया वह दफन हो गया।

तो मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि पहले सामाजिक, सियासती नागरिक भारतवर्ष का बनने के लिए, संविधान को यहां पर सही तौर से लागू करने के लिए, जो मांग यहां पर हमने की है, उसको अन्तिम रूप देने के लिए उसे सही दिशा पहुंचाने के लिए क्या यह जरूरी है कि इस बात का संकल्प लाय कि 18 साल के लड़के या लड़कों को वोटर बना दिया जाय। हमको क्या करना है, हमको

[श्री फरवरे आलम]

अपना वोट किस मामले में इस्तेमाल करने हैं, मुल्क में संविधान को कैसे लागू करना है, संविधान में कैसे तरमीम करनी है क्या 18 साल की उम्र के लड़के या लड़की को इस बात की तमीज हो सकती है, क्या वह इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्या उनमें इस बात की सलाहियत है कि वह समझें कि किस आदमी को वोट दिया जायेगा, किस आदमी को नहीं। किन बातों को गौरे नजर करके, किसी की मातहती में न आकर किसको वोट दें, क्या यह वो 18 साल की उम्र में समझ सकते हैं ?

इसलिए मान्यवर, मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि भाई राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो यह संकल्प रखा है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह मुल्क के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है कि 18 साल की उम्र में देश का लड़का या लड़की वोटर बना दिया जाय। मेरा निश्चित मत है कि वोटर की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, यू० पी० में म्यूनिसपलबोर्ड के चेयरमैन की उम्र, प्रेसीडेन्ट की उम्र 30 साल की रखी गयी है। ऐसे ही माननीय विधान सभा के मेम्बरों के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। उनकी उम्र इससे अधिक हो सकती है पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके माने यह हैं कि हमारे संविधान में हमारे संविधान के बनाने वालों ने इस बात को समझ लिया था कि 25 साल से कम का आदमी मैच्योर नहीं होगा। मेरा सुझाव तो यह है कि अगर हमारी बात मानी जाय तो हम यह कहेंगे कि 25 साल की उम्र होनी चाहिए जब आदमी को राइट आफ वोटिंग होना चाहिए, इससे पहले नहीं। हां शादी की उम्र लड़के की 25 साल और लड़की की 21 साल कर दी जाय और दूसरी तरफ कहते हैं कि 18 साल कर दी जाय वोटिंग की। तो इस पर हमें सोचना पड़ेगा। सेन्टीमेन्टल रूप में कोई काम नहीं करना है। उससे परे हमको सोचना होगा।

हमारे साथियों में कुछ लोगों ने हवाला दिया है ईरान, ईराक, टर्की, सूडान और गल्फ कन्ट्रीज का जहां तक सवाल है, वहां 24 साल से कम का आदमी वोटर नहीं हो सकता और जहां तक सऊदी अरेबिया का जिक्र किया गया तो वहां पर कोई जम्हूरियत ही नहीं है, एक ही आदमी के हाथ में सारी सत्ता है, सारी हुकूमत है, पाकिस्तान में कोई प्रजातन्त्र नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां पर भी 22 साल उम्र रखी गयी है और ग्रेट ब्रिटेन की बातों को कह रहे थे तो वहां पर 21 साल से ज्यादा वोटर की एज है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस संकल्प को अग्निहोत्री जी वापस ले लें और इस चर्चा को यहीं का यहीं समाप्त कर दिया जाये। अग्निहोत्री जी से मैं माफी चाहूंगा कि उनके संकल्प का मैंने विरोध किया, यह मेरी कान्शियस की बात थी और इस मुल्क में 12 साल से यही हालत होती रही है कि कांशियस के मुताबिक काम किया जाये। हमने यह देखा कि कम उम्र का विधायक, कम उम्र का वोटर बनाकर एक मुसीबत मोल ले ली है इसलिए इसको यहीं का यहीं समाप्त कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री सुरेन्द्र कपिल का नाम पुकारे जाने पर) चूंकि समय कम है इसलिए आप अपनी बात समय के अन्दर समाप्त कर दें।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जो प्रस्ताव श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने रखा है यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और भावनाओं को भड़काने के लिए रखा गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर हम यह देखें कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ सोच-समझ कर ही संविधान में यह व्यवस्था की थी कि और आज उसे हम खुर्द-बुर्द करें, तो यह इतिहास को झुठलाने की बात होगी। 18 वर्ष के बजाय 21 साल इसलिए उम्र रखी गयी थी कि यह उम्र एक युवक के लिए उसके भावी भविष्य को मजबूत करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए रखी गयी थी। 18 से 21 वर्ष के बीच में उसे राजनीति से दूर रखने के लिए रखा गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जिस भावना से इसे रखा है, 1977 के अन्दर वह चीज देखी है कि यहां के 18 साल के युवकों को सम्पूर्ण भ्राति, मैं भ्रांति ही कहूंगा उसे, श्री जयप्रकाश नारायण जी ने, उनको शिक्षा-दीक्षा में, सब चीजों से वंचित कर दिया था और उनका आवाहन किया था कि शिक्षा छोड़कर राजनीति में आ जायें, राजनीति में हिस्सा लें। राजनीति क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति और शैक्षिक क्रान्ति, ये जितनी भी क्रान्तियां हैं, कोई झुठला नहीं सकता कि इनमें युवकों का हाथ न रहा हो।

लेकिन शायद हमें इस सम्बन्ध में सोचना पड़े कि 21 से 30 वर्ष तक की आयु के युवकों को ही मत देने का अधिकार हो। एक तरह से आप इस संकल्प के द्वारा ऊपर की आयु वाले और कम आयु वाले लोगों में संघर्ष कराना चाहते हैं। क्योंकि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर पर सोचने विचारने की बुद्धि कम रखते हैं। इसमें दो राय नहीं कि जहां तक शिक्षा सम्बन्धी उनके स्तर की बात है, 18 से 21 साल तक शिक्षा ग्रहण करके उनका मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व होता है लेकिन राजनीतिकतौर पर उतना परिपक्व नहीं होता है। अगर हम 18 वर्ष तक की आयु वाले युवकों को मताधिकार दे देंगे तो उतनी ही दुर्दशा होगी जैसे किसी बन्दर के हाथ में माचिस देने से हो सकती है और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा न करें आयु के आधार पर। इस संकल्प का दुरुपयोग बहुत सी चीजों में हो सकता है। इसलिए आप इस संकल्प को वापस ले लें और दुर्भाग्यपूर्ण होने से बचावें।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी के इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अग्निहोत्री जी ने 18 वर्ष तक की आयु वाले युवकों को वोट का अधिकार देने का संकल्प रखा है। हमारे देश में 18 वर्ष का युवक बालिग हो जाता है। कानून में हर सर्विस में जाने का उसे अधिकार है। हर जगह उसे सेलेक्शन का अधिकार है। परन्तु उसे वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है। आज तो भारत के नवनिर्माण में, नव चेतना में, नयी दिशा देने के लिए नवयुवकों की जरूरत है। समाज को बदलने के लिए नवयुवकों में आशायें होती हैं। आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में स्वर्गीय भगत सिंह, आजाद तथा अन्य नवयुवकों ने देश के लिए जो कुरबानी दी, उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या आज वह होते तो नवयुवकों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते? हरगिज नहीं, कभी नहीं।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--]

परन्तु आज समाज में अगर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो वह नवयुवकों में ही है। उन नवयुवकों का इस्तेमाल हम इलेक्शन के मौके पर या अन्य नयी योजनाओं में करते हैं लेकिन उनको वोट देने के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है।

बालक हकीकत राय की मिसाल, गुरुगोविन्द सिंह के पुत्रों की मिसाल यह बतलाती है कि नवयुवकों में ही कुछ कर गुजरने की हिम्मत व कुरबानी की हिम्मत अधिक होती है। मान्यवर, आज जरूरत है समाज को बदलने की, आज जरूरत है इन्क्लाब लाने की और वह नवयुवक ही ला सकता है। आज जरूरत है शिक्षक समाज को यहां लाने की और शिक्षक समाज में 18 वर्ष की आयु वाले ही अधिक हैं बनिस्बत अधिक आयु वालों के। तो आज जो समस्यायें हैं, उनमें एक आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या पी० सी० एस० नवयुवक को शासन चलाने का पुरा अधिकार तो दे सकते हैं लेकिग वोट देने के अधिकार से उसको वंचित रखना चाहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय अग्निहोत्री जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को पारित किया जाय।

[समय 2 बजकर 50 मिनट]

न्याय त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--मं

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के समक्ष श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। हमारे जिन माननीय सदस्यों ने चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के जो अपनी राय जाहिर की है, श्रीमन्, उसका मकसद केवल राजनीतिक है। उसका जो प्रैक्टिकल, कानूनी पहलू या संविधानिक पहलू है, उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने कोई विचार नहीं किया। जैसा श्रीमन्, आप देख रहे हैं, इस समय जो दौर चल रहा है इस माननीय सदन में। विरोधी पक्ष के पास कोई कार्यक्रम रह नहीं गया है। बाहर इसकी हालत आप देख लें जैसे नर्क में ठेला-ठेली, इतने झगड़े होने के बाद भी आपस में कोई राय नहीं है। ये आये दिन चाहे हरिजनों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे जातियों में आपस में भेद फैलाने की बात हो, इस तरह की बातें इस माननीय सदन में की जाती हैं। यह भी उसी का एक हिस्सा मेरी समझ में आता है जो आज संकल्प द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

बड़ी जोरदारी से हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि 80 लाख आबादी यहां पर 18 वर्ष की उम्र के नौजवानों की है, और अगर उनको यह अधिकार दे दिया तो हमारे प्रदेश का बहुत कल्याण होगा। श्रीमन्, जहां तक बालिग होने का सवाल है, यहां पर उसका कोई आधार है। हमारे माननीय सदस्यों ने उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। 18 वर्ष भी बताया, 20 वर्ष भी कहा। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके मुताबिक बालिग की क्या उम्र है वे भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस देश और प्रदेश को तरक्की दिलानी है, उसे आगे बढ़ाना है, तो सब से बुनियादी चीज जो है....

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, ...व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगदीश प्रसाद--

मैं जोरदारी से कहना चाहूंगा कि अलगाववादी नीति से, इस तरह की बातों से इस देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल जी, जब तक माननीय मंत्री जी नहीं बैठेंगे, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आपको फिर मौका देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद--

तब तक इस देश को आगे बढ़ाना असम्भव है। हमारे माननीय सदस्य, सीतापुर बड़े ही विचारशील व्यक्ति हैं। मैं उनसे विशेषरूप से निवेदन करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश की सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक संकीर्ण विचारधारा की बात, परम्परावादी विचारधारा जो समाज में फैली हुई है, उसे दूर नहीं किया जायगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा, तब तक देश का कल्याण केवल 18 वर्ष के व्यक्तियों को वोट देने के द्वारा सम्भव नहीं है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। 18 वर्ष की वोट देने की जो बात कही गयी है, उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य गौर करेंगे। 21 वर्ष के मताधिकार का जो निर्णय हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है, आप गौर करेंगे, उससे केवल एम0 एल0 ए0 तक ही प्रभावित नहीं होते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति तक भी प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जो यह विचार पैदा किया गया है जैसे कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अभिमन्यु ने इस तरह की बात की थी आप देखेंगे पांच वर्ष के बच्चे ने भी बड़ी बहादुरी का काम किया है।

10 वर्ष के बच्चों ने भी किया है जिनको राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ है। केवल ये आंकड़े देकर के कि कितने किस उम्र में कितनी बहादुरी का काम किया है और उनको यह आधार बनाया जाय कि 18 वर्ष की उम्र वालों को मताधिकार प्रदान किया जाय, मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं है।

मान्यवर, मैं अधिक नहीं कहना चाहता। आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने इस देश को देखते हुये, यहां की परिस्थितियों को देखते हुए, इस देश की जलवायु को देखते हुए, अनेकानेक और विभिन्न धर्मों को देखते हुए यह निर्णय लिया कि मताधिकार 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को होना चाहिए। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, यह कानून और कायदों की बिना पर नहीं चलता। इसकी कुछ परम्परायें और ट्रेडिशन होते हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होते हैं, उनके आधार पर चलता है। अन्त में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अग्निहोत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो संकल्प उपस्थित किया है, उसे वे देश के हित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में वापस ले लें और इसको वे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनायें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। बातें सब कही जा चुकी हैं। माननीय अग्निहोत्री जी ने जो संकल्प रखा है और माननीय

[श्री जियाराम शुक्ल बिकल साकेती]

गुप्त जी ने उसका समर्थन किया है, ये अपने दल के विरोधाभास से ही पीड़ित हैं। मैं यह देख रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है और जिसके सिर पर बाल न हों, उसका नाम जटाशंकर।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प में बड़े महत्वपूर्ण ढंग से अपने विचारों को रखा है। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल एक थोथी बात कह कर कि इसमें मेरा कोई राजनैतिक उद्देश्य है, उन्होंने अपनी बात समाप्त की है। श्रीमन, ऐसी बात नहीं है। यदि इस देश के पिछले 10/15 सालों के युवकों के इतिहास को देखा जाय तो बहुत से ऐसे माननीय सदस्य जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, वे इस 18 साल की आयु के युवक को मतदाता सूची में शामिल किए जाने के मसले पर जेल गए हैं। आज यह सम्पूर्ण देश के युवकों की मांग है क्योंकि आज युवक कुंठित है और आज वह इस बात को समझ रहा है कि अगर देश के भाग्य के निर्माण के जिम्मेदार हम हैं और हम जिम्मेदारी के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का युवक हाई स्कूल से लेकर बी0 एस0 सी0, एम0 एस0 सी0 और एम0 ए0 तक की शिक्षा आज का युवक 18 से 20 साल तक की आयु में प्राप्त कर लेता है इसलिए आज यह कहना कि आज का युवक अपरिक्वत अवस्था में है, मैं यह नहीं मान सकता हूं। हमारा संविधान भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है इसी कारण से हमारे केन्द्र में जो कानून मन्त्री श्री पी0 शिव शंकर हैं, उन्होंने भी लोक सभा में ऐसे प्रस्ताव पर अपना मत देते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि मतदाता की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष करने पर हम विचार कर रहे हैं। यह उन्होंने लोक सभा में कहा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यहां पर जनता सरकार थी और ये लोग विरोध पक्ष में बैठते थे तो उस समय भी युवक दल के लोगों ने इस तरह की मांग की थी आज उनके नेता उनके बीच में नहीं हैं, इसलिए ऐसे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने खुद इस प्रकार की मांग की है कि 18 साल की आयु वालों का मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाय और केन्द्र सरकार इस पर विचार भी कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सर्वसम्मति से मेरे संकल्प को प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाय और केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय कि 18 साल की आयु वालों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाय।

एक सदस्य--

क्या यह समझते हैं कि टीन एजर्स सब उधर ही हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन, जैसा अग्निहोत्री जी ने पुनः दबाव दिया है तो सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है और जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया हुआ है वह बहुत रेशनल है, हर पहलू पर विचार करके ही किया गया है। जैसा मैंने कहा जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, उनके अनुसार यह बनाया है। इसका सीधा सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है, वह इस पर विचार कर सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इस संकल्प के विरुद्ध हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अग्निहोत्री जी आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

तो प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु व्यवस्था की जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में गरीबी की जीवन रेखा के नीचे बसर कर रहे तीन सौ रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को शासन द्वारा आरक्षित वर्ग की सुविधायें दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

[2 बजकर 57 मिनट]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में गरीबी की जीवन रेखा के नीचे बसर कर रहे उन सभी परिवारों को जिनकी मासिक आय 300 रु0 से कम है, शासन द्वारा वे सभी सुविधायें प्रदान की जायं जो आरक्षित वर्ग को दी जाती हैं ।"

मान्यवर, यह संकल्प प्रस्तुत करते समय कुछ हिचक और शंका हुई कि यह संकल्प भ्रांति पेश कर सकता है, इसके अर्थ का अनर्थ भी लगाया जा सकता है । लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका इस देश और प्रदेश के भविष्य के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिए मैंने उचित समझा कि यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा जाय । मान्यवर, जो आज बैकवर्ड है यह कोई जातिबोधक चीज नहीं है, यह एक इकोनामिक कंडीशन है, बैकवर्ड क्लास कोई जाति नहीं होती । मनुष्य की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, वह उसको इस स्तर तक गिरा देती हैं कि उनका सम्पूर्ण रहन-सहन का स्तर नीचे हो जाता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें यह कहा है कि जो आरक्षण की सुविधायें जिन वर्गों के लोगों को प्राप्त है, वह उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को उठाने के लिए दिया गया है और उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय देने के लिए आरक्षण दिया गया है । आज मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो तीन सौ रु0 से कम आय के लोग हैं वह चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों उनको मिलना चाहिए । आप देखेंगे कि इन सभी वर्गों के लोग जिनकी आय कम है होटलों में बर्तन साफ करने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं तथा रिक्शा चलाते हैं । उनके पास रहने के लिए झोपड़ियां तक नहीं हैं, उनके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आरक्षण की सुविधायें जिस प्रकार से आरक्षण प्राप्त लोगों को दी जा रही हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, उनको मिले लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक न्याय से पिछड़े हुए वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो यह सुविधा जिनकी 300 रुपया आमदनी से कम वाले आदमियों को भी दी जाय जो कि आज समाज में और सम्पूर्ण देश और प्रदेश में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसके सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी 300 रुपये मासिक से कम है, उनको दरिद्रनारायण के नाम से सम्बोधन करके उनकी पूजा की थी और कहा था कि जब तक उनकी दशा को ठीक नहीं किया जा सकता है तब तक देश और समाज की प्रगति नहीं हो सकती है, समाज के अन्दर आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है और इस कारण से यह आवश्यक है कि आप विचार कर लें। हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सुविधा प्रदान की गई है। बैकवर्ड में किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं है। अगर आप प्रदेश में 300 रुपया मासिक आय वाले लोगों को देखें तो यह पायेंगे कि समाज के अन्दर कितनी असमानता की खाई बढ़ रही है और ये लोग प्रदेश और समाज के निर्माण में बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इनको भी आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिए। आज उनके बच्चे स्कूलों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस संकल्प के लिए आधे दिन का समय निर्धारित है इसलिए इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी, परन्तु यदि आप चाहें तो 5 मिनट और बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

ठीक है मैं फिर बोल लूंगा।

[समय 3 बजकर 2 मिनट]

उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982†

*श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ?

मान्यवर, प्रदेश में हमारे स्थानीय निकायों के टाउन एरियाज के, म्युनिसिपैलिटीज के और नगर महापालिकाओं के पास नजूल के बड़े-बड़े भूखंड पड़े हुए हैं और प्रदेश के समस्त निकाय आय के साधनों से भी पीड़ित रहते हैं उनके पास अभाव रहता है। नजूल की जमीन अवश्य है जो उनके आय का साधन बन सकती है। नजूल की भूमि पट्टे पर उठाई जाती है। कुछ अर्से पहले जब नजूल की जमीन पट्टे पर उठा दी जाती थी तो पट्टेदार और पट्टेदाता के बीच में अनुबन्ध होता था उसमें कोई इस प्रकार की शर्त नहीं

† दिनांक 15 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगती थी कि यदि पट्टेदार नजूल की उस जमीन को किसी दूसरे के नाम हस्तान्तरण कर दे या बेंच दे तो इस सिलसिले में उसे कहीं से अनुमति लेने की आवश्यकता हो। उनके साथ पट्टे 90-90 और 99-99 साल के होते थे। परिणाम यह हुआ कि बड़े-बड़े लोगों ने अपना प्रभाव डालकर नजूल की जमीन को ले लिया और उनमें इमारतें खड़ी कर दीं। वे लोग खुद भी रहने लगे और दूसरे लोगों को भी किराये पर उठा दिया। नजूल की भूमि को सस्ते दामों पर लेकर उससे ज्यादा कमाई करने का एक रास्ता उन्होंने बना लिया है। इसके अलावा जो जमीन पट्टे पर 30 वर्ष के लिए दे दी गई है, उसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। वह जमीन उसी पट्टेदार के कब्जे में चली आ रही है जिसके नाम से वह पट्टा हुआ है। उसका नवीनीकरण नहीं होता है और न उसकी कोई चिन्ता करता है। प्रदेश के अन्दर हर निकाय में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि जमीन का नवीनीकरण हुआ ही नहीं है, लेकिन जमीन पट्टेदार के कब्जे में चली आ रही है। इससे एक तो स्थानीय निकायों का लास होता है, नुकसान होता है, दूसरे पट्टेदार जमीन को बेच भी देते हैं और उससे कमायी करते हैं। कम दामों पर लेकर भारी दामों में वे बेंच देते हैं। यद्यपि शासन ने बेचने पर रोक अब लगा दी है और यह कर दिया है कि जिलाधिकारी की आज्ञा के बिना कोई नहीं बेच सकता, लेकिन लोग बेच रहे हैं और शिकमी किरायेदार भी रख लेते हैं। उनको भी लाभ नहीं होता है। बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यक्ति अपना प्रभाव डालकर बड़े-बड़े भू-खण्ड ले लेते हैं, फिर उनको अधिक दामों पर बेचते हैं या किराये पर उठा देते हैं। नजूल की भूमि को लेकर आज सारे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है और निकायों को नुकसान भी हो रहा है। यह देखते हुये मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, इसको प्रस्तुत करते समय इसके एक वैधानिक पहलू पर भी विचार किया है। दीवानी प्रक्रिया के अन्तर्गत यह मान लिया गया है कि यदि किसी भूमि पर, किसी मकान पर किसी का 12 साल तक का कब्जा साबित हो जाता है तो वह उसका मालिक बना दिया जाता है। इस दृष्टि से भी विचार करना होगा कि नजूल की भूमि जो किसी के पास पट्टे पर रही है या उसमें कोई शिकमी किरायेदार रहा है तो उसका क्या अधिकार उसमें होगा। जो लोग किराये पर ले लेते हैं और उस मकान का रख-रखाव करते हैं उनको भी कुछ लाभ मिलना चाहिये या अवधि समाप्त होने पर उसे पट्टेदार को ही देना चाहिये। इन सब दृष्टि से मैंने इस विधेयक को रखा है। आशा है यह सदन इसे पास करेगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, अपनी बात कहने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 125 में दिया हुआ है कि--"विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति" इसमें मान्यवर, लिखा हुआ है कि--"विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जाय।" मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

पर इनके निर्देश जो म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज के जारी होते रहते हैं, उनको सदन के पटल पर रखा जाय, तो उससे सहूलियत होगी ।

मान्यवर, दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य सूची जारी की गई है, श्रीमन्, यह नियमों में व्यवस्था है कि अगर किसी भी माननीय सदस्य का कोई भी संशोधन मंजूर कर लिया जाता है, तो इस कार्यवाही में उसको शामिल किया जाता है । चूंकि मान्यवर, आज ही यह पुरःस्थापित किया गया है और यह संशोधन आपको पीठ से मंजूर कर लिया गया गया है । मान्यवर, इसको अगले दिन रख लिया जाय ताकि संशोधन छप जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आज ही आपका वह संशोधन प्रस्ताव आया, इसलिए वह लिया गया है । इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं है । अगर आपका संशोधन पहले आया होता, तो फिर यकीनी तौर पर यह कार्य छप जाता ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, इस विधेयक की जानकारी पहले हाउस को थी नहीं । जब कोई विधेयक पुरःस्थापित होता है, तभी तो संशोधन दिया जाता है । आपको मान्यवर, यह अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप भाषण दें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, यह नियमावली में दिया हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो ठीक है, चूंकि आज ही पेश हुआ और आज ही आपका संशोधन आया, इसलिए मैंने उसे ले लिया ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, यह प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है । 37 पेज पर नियम 125 है । इसमें लिखा हुआ है कि "विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति ।" मान्यवर, इसमें है कि "विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जाय ।"

श्री अधिष्ठाता--

यह असरकारी विधेयक है । इसकी जिम्मेदारी उस सदस्य पर होती है, जो यह विधेयक ला रहा है । इसलिए उनको इस प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रपत्र शासन रखता है। सदस्यों के पास प्रपत्र नहीं होता। मान्यवर, नजूल भूमि का तो कोई प्रपत्र था नहीं, तो माननीय सदस्य ने जो प्रपत्र की मांग की है सदस्य से, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको शासन रखता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज एक विधेयक पुरःस्थापित हुआ, चाहे वह प्रति पक्ष की ओर से आया हो, चाहे वह सत्ता पक्ष की ओर से आया हो, उसमें तो मान्यवर, कोई भेद है नहीं। असरकारी दिवस में संकल्प रखने का नियमावली में है। मान्यवर, व तो संकल्प पेश कर दिया, अगर उसके साथ रिफ्रेंस के कागजात नहीं मिलेंगे, तो हम भाषण क्या देंगे ? मेरा निवेदन यह है कि शासन को आप यह निर्देश दें कि इसके साथ जितने प्रपत्र हों, वह सदन के पटल पर रख दिये जायं। इसका मतलब यह है कि लाइब्रेरी में रख दिया जाय, ताकि उसे देखकर अच्छा सुझाव दिया जा सके। मान्यवर, चाहे आज इसको स्थगित कर दें। मैं समझता हूं कि इसमें नियम की असंगति नहीं है।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मान्यवर, भाई श्री राम आसरे वर्मा ने यह रखा है तो यह इसके बारे में जानकारी अपने सदस्यों को करा देते तो अच्छा रहता।

श्री राम आसरे वर्मा—

व्यवस्था का सवाल है मान्यवर, इनको आपने विधेयक पर बोलने का मौका दिया है या व्यवस्था पर बोलने के लिए ?

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था पर।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, विधेयक प्रस्तुत किया प्रगतिशील विधायक दल के नेता श्री राम आसरे वर्मा ने। लेकिन आपके बगल से यह बात उठाई गई कि इससे सम्बन्धित कागजात, पत्रावली और किस आशय से यह लाया गया है, इसकी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। तो यह दायित्व जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, उनकी थी कि वह अपने दल के लोगों को इसके सम्बन्ध में विदित करा देते तो अच्छा होता। इसलिए इसको इस समय टालना ठीक नहीं है। जब विस्तृत विवेचना हम करेंगे तब इस सम्बन्ध में बतायेंगे लेकिन इनका दायित्व था कि वह बताते।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो मंत्री जी ने कहा है उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि जो कहा "अपने दल को"। यह सदन की प्रापर्टी बन गई है इसलिए सदन को तथ्यों से अवगत करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा--

किसने विधेयक को प्रस्तुत किया है यह भी बात निहित है।

श्री अधिष्ठाता--

श्री गौरी शंकर भैया ने यह बात रखी तो वह महत्वपूर्ण है लेकिन श्री राम आसरे वर्मा ने जिस समय इसको पुरःस्थापित किया या विचार के लिए प्रस्ताव किया तो उसी समय यह बात उठती कि कुछ मैटेरियल इस सम्बन्ध में उपलब्ध हो तभी इसको रखें। इसलिए प्रस्ताव के पहले यह चीज उठा देते तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो कहा उसमें तथ्य था और नियम के अनुसार उत्तर दिलवाते। लेकिन जिस समय यह प्रश्न उठाया है वह समय इस प्रश्न के उठाने का नहीं था।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है। श्रीमन् नजूल की भूमि महानगरों और टाउन एरियाज में बिखरी हुई हैं, उसके सम्बन्ध में पहली बार यह विधेयक लाया गया है। इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही है। यह पहली बार लाया गया है, इसलिए इसमें कुछ भूलें हो सकती हैं इससे प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिए ताकि जो चीजें छूट गई हैं, वह शामिल की जा सकें।

मान्यवर, पहली बात यह है कि शहरों में जो नजूल की भूमि है उसके बारे में सभी माननीय सदस्य और मान्यवर, आप भी जानते हैं कि शहरों में जो नजूल भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में काम किये जाते हैं वह आपत्तिजनक और बड़े गड़बड़ होते हैं। कुछ तो पट्टे 99 वर्ष के कर दिये गये हैं। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने के पट्टे इंदिरा गांधी चला रही हैं, लार्ड कार्नवालिस के जमाने के पट्टे इंदिरा गांधी चला रही हैं लार्ड माउन्टबेटन के जमाने के पट्टे इंदिरा गांधी चला रही हैं। 99 वर्षों के पूर्व के पट्टे आज भी माने जा रहे हैं। यह पट्टे उस वक्त किये जाते थे, इनके मूल में यह था कि जो व्यक्ति शासन की तरफदारी करता था, दूसरे शब्दों में आज की परिभाषा में जो मुल्क के साथ गद्दारी करने का काम करते थे और शासन के हक में काम करते थे, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह पट्टे किये जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत को फायदा पंहुचाने वालों को, 2, 2, 5 रुपये सालाना पर दे दिये जाते थे। कानपुर में और बलिया जनपद में बहुत सी जमीन ऐसी है जो दी गई हैं। जो पुराने राय बहादुर, लाट साहब हुआ करते थे और जो हिन्दुस्तान की जनता की आवाज दबाने का काम करते थे और ब्रिटिश हुकूमत को उनके कामों में फायदा पंहुचाते थे, उनको यह जमीनें 99 वर्षों के पट्टे पर एलाट कर दी गई थीं और आज भी वह ज्यों के त्यों चल रही हैं। जहां आपने राजाओं के प्रिवीपर्स के लिए, 22 एकड़ स्टैंडर्ड से अधिक जमीनों का अधिग्रहण कर लिया देहातों में, वहीं पर शहरों में बहुत सी जमीनों को कम से कम पैसे पर गलत लोगों को आजादी के पहले एलाट कर दिया है। इनके एलाटमेंट का कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि स्पष्ट रूप से इसकी कोई व्यवस्था हो सके। आजादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री हुये तो ी जमीनों को बांटने का काम किया गया। दो तरह के लोगों को जमीनें दी गईं, एक तो वह थे जिन्होंने

आजादी के लिए कुरबानी दी थी। नैनीताल में [कुछ जमीन उन्हें दी है। कुछ ऐसे लोगों को जमीनें दी गयीं जो हुकूमत के चमचे थे। अगर यह शब्द असंसदीय हो तो दूसरा जोड़ लें। जो हुकूमत को फायदा पंहुचाने का काम करते हैं उनको आपने शहरों में एकड़ों जमीन एलाट कर दी है लेकिन जिनको जमीन मिलनी चाहिए थी उनको नहीं दी गई है। इस विधयक में इसकी व्यवस्था नहीं है कि लोगों का पता लगाकर उनके एलाटमेंट खारिज किये जायं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

दूसरी चीज यह मैं कहना चाहता हूं कि 2, 3 तरह के पट्टे किये जाते हैं। एक तो थोड़े समय के लिए एलाट कर देते हैं गरीब लोगों को फेरी लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए। दूसरी तरह की जमीनों को होटल वगैरह चलाने के लिए एलाट किया है 20, 30 वर्ष के लिए। आज भी यह हो रहा है कि आज 99 वर्षों के पट्टे किये जा रहे हैं। होता क्या है, एक आपने छूट दे रखी है मान लीजिये किसी को जमीन एलाट कर दी गई है तो 98 वर्ष तक वह एलाटमेंट का भोग भोगते हैं। जब एक वर्ष रह जाता है, मैं साफ कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी के यहां कुछ रिश्वत पहुंचा दी और जिलाधिकारी के परमीशन से दूसरे व्यक्ति को 99 वर्षों के लिए जमीन एलाट हो जाती है। पैसे का पहिया लगाकर गाड़ी चला दी जाती है और नया एलाटमेंट कर दिया जाता है। इसके कैंसिल करने का कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं है, इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जैसे 99 वर्ष का पट्टा होता है, 40 वर्ष का पट्टा होता है, 12 वर्ष का पट्टा होता है, तो लोग उस पर पक्का निर्माण कर लेते हैं। पक्के निर्माण के बाद 5 रु0 सालाना की जमीन पर 50 लाख रु0 का महल बना दिया जाता है, जब एलाटमेंट की स्थिति खत्म हो जाती है तो यह दिखाया जाता है कि पक्का निर्माण हो चुका है और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों से मिलकर, मैं बहुत गलत नहीं हूंगा तो नीचे के अधिकारियों से मिलकर उस पट्टे को फिर से रि-एलाट करा लेते हैं।

एक निर्देश बीच में जारी हुआ था, वह यह था कि जिलाधिकारी पट्टों की जमीन को जिलों में देखता था कि वह आदमी इस काबिल है या नहीं, लेकिन हुकूमत ने यह कर दिया कि अब जिलाधिकारी संस्तुति भेजेगा शासन के पास और शासन एलाट करेगा। मैं मन्त्रियों को ईमानदार समझता हूं लेकिन हैं या नहीं हैं, यह जनता के ऊपर छोड़ता हूं। जब वहां से प्रस्ताव आता है तो यह कह सकते हैं कि नेताओं के चमचे या मन्त्रियों के आगे पीछे चलने वाले लोग कहते हैं कि अमुक आदमी के नाम एलाट करवा दें। जो सीधे-सीधे सरकार एलाटमेंट का काम अपने हाथ में ले रही है, उसमें भी यह नहीं जानती कि आवेदक पात्र है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री गौरीशंकर भैय्या--

मान्यवर, दो मिनट और दे दें।

[श्री गौरी शंकर भैया--]

मैं यह कह रहा था कि हुकूमत न कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया है कि अमुक स्थिति में जो आदमी आयेगा, उसी को पट्टा एलाट करेंगे। इससे भी शासन में काफी भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है।

शहरों में एक हदबन्दी आपने लगा दी है और ग्रामों में जो ग्राम सभा की जमीन है, आप उस जमीन को बसने के लिए देने का काम करते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं जब ग्राम सभा की जमीन हरिजन और आदिवासियों को दी जा सकती है तो नगरों में जहां गधे बैठ रहे हैं, उस जमीन को हरिजन को वितरित करने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है ? यह पालिसी है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जायेगी तो यह नजूल की जमीन पड़ी हुई है। तो मैं यह मांग करता हूं कि पुराने पट्टे खारिज कर दिये जायं और यह बनाया जाय कि अमुक-अमुक स्थिति में जो होंगे उन्हीं को जमीन एलाट किया जायगा। मैं जोर देकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रस्ताव प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि माननीय सेहरा जी, जो हरिजन विभाग भी देखते हैं, ये लोग बैठकर तय कर सकें कि उचित रूप में किन-किन लोगों को जमीन एलाट की जाय।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैंने माननीय राम आसरे वर्मा जी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और माननीय गौरी भैया के विचारों को भी सुना। क्या इसका "हेड" है और क्या "टेल" है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय सदस्य ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्होंने विधेयक की प्रति देखी ही न हो।

श्री लाल प्रताप सिंह--

इनका क्या उद्देश्य है, यह भी नहीं बताते हैं। वर्मा जी ने कहा प्रति वर्ष अनाधिकार हो जाता है, वह भी गलत बात है। अब सरकार की जमीन पर कोई कब्जा हो ही नहीं सकता है। यह तो मेरा ख्याल है कि सिवाय प्रोपोगेण्डा के और कुछ नहीं है। मैंने दोनों माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मुझे यही लगा कि ये चाहते क्या हैं, कोई उद्देश्य बता ही नहीं सके।

एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं कि आपका मोशन मिसकन्सीव्ड है, जो बातें आपने कही हैं, वह कोई माने रखती ही नहीं हैं, न कोई इसका तथ्य ही निकलता है। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई विधेयक पास ही नहीं हो सकता है जैसा कि आपने रखा है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, जो वर्मा जी ने यहां पर विधेयक प्रस्तुत किया है, उस विधेयक के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे उधर से भाई साहब ने कहा कि इनको समझ में ही नहीं आया। मान्यवर, आज जो शहरों की जमीन है नजूल की, 10 दिन पहले ही 5 एकड़ जमीन, देवरिया शहर की नजूल की जो कि मंत्रि परिषद् ने प्रस्ताव पास करके प्रौढ़ शिक्षा को दी थी, उसे कानवेन्ट स्कूल

को दे दिया गया है । टाउन एरिया में शहरों की जमीन पड़ी हुई है । कुछ जमीन बिना एलाट कराये कोठियां बना ली गयी हैं । सारे बड़े लोगों ने टाउन एरिया में, नगरपालिकाओं में कब्जा कर रखा है । तो वर्मा जी ने जो विधेयक पेश किया है, बहुत ठीक किया है । इस विधेयक को जरूर पास करना चाहिए । जैसे गांव सभाओं का बंजर जमीन है, वह जमीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये दे दी गयी है । उसका कोई पट्टा नहीं है । जब तक उनके खानदान वालों का जीवन रहेगा, वह उसमें रहेंगे ।

आज टाउन एरिया में जो ऐसे लोग हैं, जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है, फुटपाथों पर अपना गुजर कर रहे हैं । आज शहरों में आप जानते हैं कि कानपुर–लखनऊ मार्ग पर सड़कों के किनारे फुटपाथों पर छोटी–छोटी गुमटियां बना करके अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जन–जाति के लोग अपना जीवन बसर करते हैं । सारी नगरपालिकाओं और टाउन एरिया में नजूल की जमीनों को जिन्होंने कब्जे में ले लिया है, उनको खत्म करके उनका फिर से ठीक तरह से बंटवारा करना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो जैसे देवरिया की जमीन को ले लिया गया, अभी तो 4 एकड़ ही लिया था, अब उसे 5 एकड़ और दे दिया गया है उस पर सरकार के गोदाम बने हुए हैं ।

जैसा अभी माननीय सदस्य गौरी शंकर भैया ने कहा है, उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये ताकि वह इस पर सुचारुरूप से विचार कर अपना मत दे सके ।

*श्री राज कुमार राय––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प रखा है, वह समझ–बूझ कर डेमोक्रेटिक सेट अप में विधेयकों को रखा जाता है । लेकिन अगर यही परम्परा रही कि ऐसे विधेयक रखें जायें जिसकी न पूंछ हो न सींग, जिसमें कोई व्याख्या न हो, कोई प्राविधान न हो, तो मेरी समझ में दिक्कत होगी और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इस असरकारी दिवस का दुरुपयोग नहीं हो सकता । अभी गौरी भैया ने, श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो बातें कहीं, क्या कुछ करना चाहते हैं, जायज आपत्तियां उठायीं, और जिस व्यक्ति ने इसे रखा है, देयर इज नो ग्राउन्ड एण्ड देयर इज नो रेमिडी, क्या इससे दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि उसका टेन्योर जो है, जैसा रूरल रैंक का भूतिधरी का, 1–2–3 डिफाइन है, वह चीज इसमें नहीं है इसलिए यह देश और प्रदेश के नागरिकों के हित में किस तरह से होगा । ऐसी कोई बात होती तब तो ठीक था। वरना केवल विधेयक को रखना, मेरी समझ से उचित नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी––

नगरपालिकाओं, महापालिकाओं को, अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकार होता है, परन्तु हमारे पर्वतीय क्षेत्र खास कर मेरे क्षेत्र, जिला चमोली में एक अजीब सी स्थिति है । इसे नोटीफाइड एरिया बनाया गया है । उनको किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र के अन्तर्गत नजूल पर भूमि पर पट्टे देने का अधिकार नहीं है ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी, आप किस पर बोल रहे हैं, विधेयक पर या प्रस्ताव पर ?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

प्रस्ताव पर बोल रहा हूं । जितनी भी भूमि दी जाती है गवर्नमेन्ट ग्राउण्ड के अन्तर्गत, जिलाधिकारी देते हैं । नोटीफाइड एरियाज को नजूल पर देने का कोई अधिकार नहीं है । जिससे जितनी भी नोटीफाइड एरियाज हैं, वे नजूल पर जमीन नहीं दे सकतीं और जो इससे आय हो सकती है उससे वह वंचित रह जाते हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दे कि वहां पर भी नोटीफाइड एरिया को नजूल पर भूमि देने का अधिकार दिया जाय । अभी तक वहां पर जितनी भी नोटीफाइड एरिया बनी हैं, उनमें किसी को भी उनके क्षेत्र की सीमा, उनमें निहित नहीं की गई है कि वह अपने क्षेत्र की जनता को साधारण सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकते हैं । यदि इन निकायों को यह अधिकार मिल जाये तो उनको एक आय का स्रोत मिल जाये । तो मेरा निवेदन है कि उनको भी नगर पालिकाओं, नगरमहापालिकाओं की तरह भूमि पट्टे पर देने का अधिकार दे दिया जाय । धन्यवाद ।

*श्री धरम पाल—

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । आशा करता था कि इस तरह का विधेयक सत्ता पक्ष की ओर से आया होता और इस विधेयक को आज से 20, 25 वर्ष पहले ही आ जाना चाहिये था । खेद इस बात का है कि हमारी ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले भाई इस विधेयक का तात्पर्य समझ ही नहीं पा रहे हैं । वे यह नहीं समझते कि यह विधेयक किस उद्देश्य से लाया गया है ।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, इस विधेयक की प्रतियां हम लोगों को दिला दी जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

विधेयक की प्रतियां सबको पिजन होल के माध्यम से बंटवा दी गयी हैं ।

श्री धरम पाल—

मैं कह रहा था कि करीब पौने चार सौ नगरपालिकायें 1916 के जमाने में थीं । 1916 में ब्रिटिश रिजीम थी । उनके पास जो नजूल भूमि थी, उनमें से बहुत सी जमीनें तो उन्होंने अपने चाटुकारिता करने वालों को दे दी । लेकिन 1947 के बाद जब कि देश आजाद हुआ, एक नयी पद्धति बनायी गयी । वह पद्धति यह थी कि नगरपालिकाओं को यह अधिकार प्राप्त था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, विरोध पक्ष के माननीय राम आसरे वर्मा ने जो विधेयक पेश किया है मेरी निश्चित सूचना है कि उस विधेयक की प्रतियां नहीं बंटी हैं, और किसी को मिल गयी हों तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे तो मिली नहीं है। इसलिये आप उसे कृपया दिलवा दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने पिजन होल्स से उनको निकलवा कर कहीं हटवा दिया हो ताकि सत्ता पक्ष वाले बहस में हिस्सा न ले सकें ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं अधिक नहीं जानता, आप पिजन होल में दिखवा लें।

श्री धरम पाल--

मैं कह रहा था कि 1948 के बाद नजूल भूमि का एलाटमेंट किस आधार पर होगा। 1916 के ऐक्ट में बिल्कुल क्लीयर है। 1916 से लेकर 1972 तक नजूल भूमि का एलाटमेंट नगरपालिकाओं के हाथ में था और बोर्ड के मेम्बरों द्वारा बहुमत के आधार पर अध्यक्ष के माध्यम से वह पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाता था। विकेन्द्रीकरण के बाद शासन की समझ में आया कि इसके जरिये नगरपालिकाओं के अध्यक्ष प्रभावशाली होते जा रहे हैं, इसलिये यह अधिकार उनके हाथ से छीन कर अपने पास कर लिया। अब जिलाधिकारी संस्तुति करता है और शासन उसका एलाटमेंट करता है। जब कि शासन को यह मालूम नहीं है कि वह जमीन कैसी है और न जिलाधिकारी से ही उसका कोई सम्बन्ध है। भूमि तो नगरपालिका की है और उसी को एलाटमेंट करना चाहिये। नगरपालिका के अन्दर एलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं वे ही जानते हैं कि उनके मुहल्ले में कौन गरीब है, और कौन आदमी नीडी है जमीन के लिये, उसी को जमीन देनी चाहिये। लेकिन शासन या उसके मंत्री जी जानते तो हैं नहीं कि बहराइच में कौन गरीब है, या देवरिया में कौन गरीब है और कौन नीडी है जिसे जमीन चाहिये। वहां तो शासन तक जिसकी पहुंच होती है, उसको जमीन दे दी जाती है। या माननीय मंत्री जी का डाइरेक्ट रिलेशन जिस आदमी से होता है उसे जमीन दे दी जाती है।

प्रत्यक्ष उदाहरण देवरिया का है जहां घपला करके नगरपालिका की जमीन ले ली गयी। घपला करके शासन ने उस जमीन का अधिग्रहण करके अपने पास कर लिया। जो जमीन है वह नगरपालिका की है लेकिन उसका एलाटमेंट करते हैं माननीय मंत्री जी। जब कि माननीय मंत्री जी का उस जनपद से कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी विधायक की सिफारिश पर ही वे एलाटमेंट करते हैं। यह प्रक्रिया हर तरह से गलत है जिसके जरिये लोग अपने बड़े-बड़े

[श्री धरम पाल---]

मारकेट खड़े कर लेते हैं। उदाहरणस्वरूप लखनऊ का हलवासिया मारकेट ही ले लें। लाखों रुपया किराये के रूप में प्रतिवर्ष मिलता है जिस बिल्डिंग को, कौड़ियों के दाम पर लिया गया था। 99 वर्ष का लीज है और उसमें रहने वाले किरायेदारों ने कीमत का हजारों गुना भुगतान कर दिया है लेकिन आज तक उनकी लीज कैंसिल नहीं की जा सकी है। शासन को चाहिये था कि वह पट्टे के लीज को कैंसिल करता और इस तरह का निर्देश देता कि नजूल का जो अधिकार आज शासन को मिला हुआ है, उसे फिर से नगरपालिका को वापस किया जाना चाहिए। सरकार की नीति यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। देखने में यह आ रहा है कि सत्ता एक ही जगह केन्द्रित होती जा रही है। नगरपालिका के पास एजूकेशन डिपार्टमेंट होता था किसी जमाने में, वह आप ने ले लिया, नजूल लैण्ड की पावर थी, वह ले ली, इसी तरह से वाटर वर्क्स लेने जा रहे हैं, कुछ नगरपालिकाओं के पास, जैसे नैनीताल, इलैक्ट्रिसिटी है, वह आप ले रहे हैं।

नजूल लैण्ड का एलाटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हो, इसका बंटवारा हो, इसलिए आवश्यक है कि विधेयक को पारित करने के साथ ही साथ शासन अपनी नीति के द्वारा पुराना जो तौर तरीका था, उसके तहत नगरपालिका को पुनः यह अधिकार दे दे कि एलाटमेंट वहां से करे। साथ ही साथ जिन लोगों ने जमीन एलाटमेंट कराने के बाद कांस्ट्रक्शन करा रखे हैं, उनको किराये पर उठा रखा है, उन्हें किरायेदारों को एलाट कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और वर्मा जी को बधाई देता हूं कि इस तरह का विधेयक उन्होंने रखा है।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह जो राम आसरे वर्मा जी ने विधेयक रखा है, इसमें ऐसा छुपाव रखा है, जरा इसकी भाषा देखें। भाषा में क्या उद्देश्य रखा गया है, परिलक्षित हो जाता है। श्रीमन्, विधेयक में जो दिया है।

श्री गौरी शंकर "भैय्या"--

माननीय अधिष्ठाता जी, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमने संशोधन दिया है, उसको भी ध्यान में रखें। एक लाइन का संशोधन है। सारे पट्टे खारिज करा के हरिजनों को एलाट कर दो। हरिजनों के अप हिमायती हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, माननीय गौरी भैय्या ने संशोधन दिया कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का उद्देश्य यह होता है कि बहुत कोई जटिल चीज हो, कम्प्लीकेटेड चीज हो, उस पर ऐसी चीजें हों जिन पर लोगों के विचार जानने की आवश्यकता हो, तब कोई संशोधन की बात आती है। जो उद्देश्य इस विधेयक का है, वह बहुत साफ है और किस नियत से राम आसरे वर्मा जी ने यह रखा है उसे आपको बतलाता हूं। वैसे वह प्रगतिशील दल के नेता हैं लेकिन इस विधेयक के देखने के बाद मुझे प्रगति नहीं नजर आती। मुझे तो यह लगा कि किसी

वर्ग विशेष के लोगों, 70, 80 वर्ष से काबिज जो हैं। फ्री होल्डिंग करा कर विदआउट किसी प्रिमियम के फिराकदिली के साथ जमीन उनको दे दीजिए।

श्रीमन्, भाषा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमि का वह भाग जिस पर पट्टेदार स्वयं निवसित हो तो पट्टेदार को और यदि पट्टेदार ने जमीन जिसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किराये पर उठा रखी हो तो ऐसे शिकमी किरायेदार को जो उस पर इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को निवसित हो, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर स्वतः पूर्ण स्वामित्वाधीन (फ्री होल्ड) सम्पत्ति के रूप में बिना किसी अधिमूल्य (प्रीमियम) की अपेक्षा किये हुये संक्रमित समझी जायेगी।" क्या बात है श्रीमन्, आप आश्चर्य करेंगे। नजूल की भूमि उन टाउन एरियाज की, उन नगरपालिकाओं की है, जिससे नगरपालिकायें चलती हैं। नगरपालिकाओं को पट्टे से आय होती है, जिससे नगरपालिका चलती है। श्रीमन्, ये क्या कहते हैं? जिससे ब्रिटिश टाइम में 1916 के बाद पट्टा ले लिया, राय बहादुरी का खिताब ले लिया, सर की उपाधि ले ली, उसको किराये पर पट्टे दिये गये हैं तो उसको उसका मालिक बना दिया जाय। ये यह चाहते हैं कि उनको उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाय। यह एक प्रगतिशील दल के नेता का विचार है जो कि इस विधेयक को लाये हैं जो कि केवल शब्दों में ही प्रगति चाहते हैं, वास्तव में प्रगति नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

प्रगति कैसे होगी, इसके बारे में आप बता दें।

श्री गुलाब सेहरा--

इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि रिन्युवल भी न किया जाय। इसके साथ ही यह ये भी चाहते हैं कि जिनको भूमि दी गई थी और जिन शर्तों पर दी गई थी, यदि उन्होंने वे शर्तें पूरी नहीं भी की हैं, तो भी उनको उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाय। यदि गायों के बांधने के लिये वह भूमि दी गई थी और उसने उस पर सिनेमा बना दिया, तो राम आसरे वर्मा जी कहते हैं कि उसको उस भूमि का मालिक बना दें, जिनको शिकमी बना रखा है, उनको उसका मालिक बना दें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील विधायक दल के नेता यदि कोई इस तरह का प्रस्ताव लाते कि जो गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे हैं, हरिजन हैं, वे लाभान्वित हो सकें, तो मैं समझता हूं कि वे एक प्रगतिशील कदम इस दिशा में उठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा न करके, जो विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसे मैं एक प्रतिक्रियावादी विधेयक मानता हूं।

श्रीमन्, नजूल की भूमि में जब रिन्युवल होता है तो उस पर जिस आधार पर और जिन शर्तों पर जमीन दी गई है, उसका मूल्यांकन होता है कि वह उद्देश्य पूरा किया गया अथवा नहीं। यदि वह उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो रिन्युवल नहीं मिलता है। श्रीमन्, यह एक

[श्री गुलाब सेहरा]

नियंत्रण है उन बेइमानों के विरुद्ध जो इस तरह से जमीन पट्टे पर ले लेते हैं। इस नियंत्रण को हटाने की बात हमारे प्रगतिशील विधायक दल के नेता, राम आसरे वर्मा जी करते हैं। श्रीमन्, आप देखें 1916 से लेकर 1948 तक, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जमीन का रिन्युवल हम इसलिये नहीं कर पाये हैं कि उसमें जो काबिज हैं उसमें बड़े-बड़े सरमायेदार लोग हैं और जिन उद्देश्यों के लिये वह जमीन ली गई थी, उसकी पूर्ति न करके अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य के उस हक को स्वामित्व में बदलने का काम माननीय राम आसरे वर्मा जी इस विधेयक के द्वारा करना चाहते हैं। श्रीमन्, हमारी जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, नगरपालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं, उसमें जो नजूल की जमीन हैं, उनसे उनको किराया तो मिलता ही है, दूसरे हमारे जितने विकास के कार्य हैं, जैसे हमको हास्पिटल बनवाने हैं, हरिजन छात्रावास बनवाने हैं, निराश्रित विधवाओं के लिये आश्रम टाइप स्कूल बनवाने हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्य चलाने हैं, यह सब उस जमीन के जरिये हम करते हैं कि पट्टेदारों से निकालकर हम ऐसी योजनायें उन पर चलायें।

मान्यवर, दूसरे शब्दों में प्रगति के इस युग में उन लोगों के लिये जो कि गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिये जो कार्य हम करना चाहते हैं, उनको इस विधेयक के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य रोड़ा लगाना चाहते हैं और वह भी प्रगतिशील विधायक दल के नेता। श्रीमन्, मुझे लज्जा आती है। मैं तो ऐसा महसूस करता था कि कोई ऐसा विधेयक आयेगा जो सर्वहारा के लिये, अनुसूचित जाति के लिये, गरीबों के लिये, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये हितकारी होगा। पहले तो यह कहा गया कि जिनको जमीन दी गई थी, उन्होंने वे शर्तें पूरी नहीं कीं जिन शर्तों पर उन्हें वह दी गई थीं।

अभी हाल में इलाहाबाद में 36 दुकानों का मामला आया था जिसमें वह बैठे थे, वे उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। जिन पर उनको दी गयी थी, शिकमी बैठा रहे थे। जो सब्जी बेचने वाला है या पकौड़ी बेचने वाला है उनको नजूल की जमीन पट्टे पर दे रखी है और उनका शोषण कर रहे हैं तो ऐसे पट्टेदारों को स्वामित्व में बदलने का काम करें तो इससे ज्यादा घिनौना काम कोई और हो नहीं सकता है। हमने 36 दुकानों का रिन्युवल नहीं किया तो वे हाईकोर्ट में चले गये। हमने विशेष रूप से कहा कि सार्वजनिक हित की जमीन का यह दुरुपयोग कर रहे हैं उन्होंने अपने पट्टे की जमीन दूसरे शिकमी को दे दी है।

एक सदस्य—

उन जमीन पर जिन्होंने महल बना दिये हैं उनका क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। माननीय जसवंत सिंह जी आपको बाद में मौका मिलेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

थोड़ा सा चुटकुला हो जाय । यह महल गरीबों के होते हैं या अमीरों के ?

श्री गुलाब सेहरा--

विधेयक का उद्देश्य बहुत साफ है कि कुछ पट्टेदारों को जिनके पास काफी वर्षों से वह हैं और जिनका रिन्युवल नहीं हो रहा है, जिन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया है उनका प्रतिनिधित्व राम आसरे जी कर रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज से 60 वर्ष पहले शासन का यह उद्देश्य रहा हो कि खाली ला-एण्ड आर्डर रहे और शासन रेवेन्यू कलेक्ट करे लेकिन आज शासन का यह उद्देश्य नहीं है । हम गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं । सरकार ने आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चलाये हैं आज हमें चिकित्सालयों, सड़कों और हरिजन छात्रावासों, विधवाओं के लिए आश्रमों को बनाने के लिए जमीन की शहरों में आवश्यकता है । आप जानते हैं जिस भूमि के दाम पहले 2 रु0 गज थे आज वह 2 सौ रु0 गज हो गयी है, उसके लिए इन जमीनों का प्रयोग करना है । इन योजनाओं का सीधा सम्बन्ध गरीबों से है तो उन सब के लिए नजूल की ही जमीन हमें मिल सकती है ।

आज मेरे विभाग के जितने छात्रावास बन रहे हैं चाहे वह महिलाओं के हों लड़कों के हों, उनके लिए सब नजूल की जमीन मिल रही है । उन बड़े-बड़े पट्टेदारों की जमीन जो सरमायेदार रखे हैं, उनके पट्टों का रिन्युवल न करके वह जमीन गरीबों के लिए ले रहे हैं । माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कुछ विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह विधेयक रखा है । इसमें संशोधन की भी कोई आवश्यकता नहीं है । मैं नम्रता के साथ कहूंगा वर्मा जी मेरे मित्र रहे हैं उन्होंने किसी के प्रभाव में आकर हो सकता है कि कुछ लोग उनके पास आ गये हों और जल्दी में यह विधेयक ले आये हों । इसमें प्रगतिशीलता की झलक कहीं नहीं दिखाई देती है । इसमें देखने से यह भावना दिखाई देती है किसी विशेष दबाव में आकर यह लाया गया है । मैं आपकी भावना का आदर करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को तुरन्त वापस ले लेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि बड़े-बड़े लोगों के पट्टों को कैंसिल कराकर हमें छात्रावासों के लिए जमीन दी गयी है....

श्री अधिष्ठाता--

जब दुबारा माननीय मंत्री जी का भाषण होगा तब आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे ।

[समय 4 बजे]

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम आसरे वर्मा ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन और विरोध में बहुत सी बातें यहां पर कही गयीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय--]

हैं । हमारे ही पक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने भी इस पर संशोधन का प्रस्ताव रखा है । माननीय मंत्री जी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इसकी व्याख्या की थी, एक्सरे करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उनकी कुछ बातों का मैं समर्थन भी करता हूं ।

जहां तक नजूल की जमीन के पट्टेदारों का सवाल है, इतना तक तो हमें सहमत नहीं होना चाहिए कि उनको उसका निजी स्वामित्व दे दिया जाय क्योंकि जब ये पट्टे दिए जा रहे थे तो किस ढंग से दिए गये थे, उसमें परिवर्तन हो गया है । हमारे यहां पर एक खरे साहब हैं । उन्होंने नजूल की बहुत जमीन ले रखी है, जिस पर कोठियां बना रखी हैं और एक-एक कोठी में 3-3 एकड़ जमीन उन कोठियों के चारों तरफ है । उन्हें कभी किसी अधिकारी को एलाट कर दिया जाता है और कभी किसी वकील को जो उस पर खेती करते हैं और इतनी उपज कर लेते हैं कि उतना किराया भी वे नहीं देते हैं । मैं इस पक्ष में हूं कि इसमें शिकमीदार भी हों और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन जमीनों को खाली कराकर जिनकी आमदनी 500 और 1000 रुपये प्रति मास के बीच में हैं, उनको दे दी जाय ताकि वे लोग भी अपने-अपने घर बनाकर उनमें रह सकें । मेरा सुझाव है कि आप तुरन्त सर्वेक्षण कराकर ऐसी जमीनें उनको दें जो कि शहर में छोटी सी दुकान चलाते हैं या कहीं पर, जिन्होंने अपने रहने के लिए झोपड़ी डाल रखी है ।

आपके पट्टेदार गरीबों का शोषण करते हैं । तो मैं इस बात का तो विरोध करता हूं कि पट्टेदारों को निजी स्वामित्व दिया जाय । लेकिन जो शिकमी हैं, जिनकी मासिक आय 300-400 रुपये के बीच में होती हैं, उनको स्वामित्व देने की बात शासन को मान लेनी चाहिए क्योंकि पेचीदियों के कारण आप उनको नजूल की जमीन नहीं दे पायेंगे । इसके अलावा जो पैसे वाले हैं वे एक न एक न्यायालय से स्टे लाकर उनको परेशान कर देंगे । तो जो शिकमी हैं जिनकी आय 300-500 रुपये मासिक के बीच में होगी उस नजूल की जमीन पर उनका स्वामित्व हो जायेगा और उसके लिए आप कोई किराया मुकर्रर कर दें । जिन लोगों ने अपने-अपने घर और कोठियां बना ली हैं, कैसे आप उनको गिरा देंगे क्योंकि उनको बने 20 साल से ज्यादा हो गये हैं ।

मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं है । खाली दिखावे के लिए माननीय मंत्री जी ने गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखा दी है । इन लोगों ने तो बड़े-बड़े लोगों से ही सांठ-गांठ कर रखी है । अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री जी कृपया आज ही इस बात की घोषणा करें कि बड़े-बड़े पट्टेदारों से जमीन खाली कराकर गरीबों और हरिजनों को दी जायेगी । जिनके पास घर नहीं हैं, उनको दी जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामगोविन्द--

मान्यवर, जो संशोधन इस विधेयक पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी बड़े ही नाटकीय ढंग से माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री जी ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये और यह कहा कि यह विधेयक प्रगतिशील नहीं है और इसका विरोध किया । जब हम लोगों की सरकार थी और माननीय गुलाब सेहरा जी विरोध पक्ष में कांग्रेस (आई) के उपनेता थे तो उस समय भी वे बड़े ही नाटकीय ढंग से

हरिजनों की बात किया करते थे । उस समय भी उनको उनकी बड़ी चिन्ता रहती थी, लेकिन मैं यह चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आपके दिल में हरिजनों के प्रति तनिक भी हमदर्दी नहीं है । अगर होती तो आज आप इस बात की घोषणा करते सदन में कि बड़े-बड़े पट्टेदारों के पास जो भूमि है, वह उनसे लेकर गरीब और भूमिहीन हरिजनों को दी जायेगी । माननीय मंत्री जी ने जो आज अपना नाटकीय ढंग से भाषण दिया, उससे उनका चेहरा बिलकुल साफ हो गया और यह सिद्ध हो गया कि वे हरिजन विरोधी हैं । उनकी स्थिति वैसी ही है जैसे किसी के मुंह में राम और बगल में छुरी हो । उनकी कथनी और है और करनी कुछ और है ।

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का कहना यही है कि जो लोग ऐसी (नूजूल) की भूमि पर वर्षों से किराये पर रह रहे हैं, वह उनके नाम कर दी जाये । उनका इतना ही कहना है । जो सम्पन्न लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनके कब्जे में वह जमीन हैं और वह किराये पर उठाये हुये हैं । वे इस तरह से दोहरा लाभ उठा रहे हैं । अब चूंकि यह मामला ऊहापोह की स्थिति में पड़ गया है, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय वर्मा जी इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें ताकि वहां पर सारी बातों पर विचार होकर एक अच्छे विधेयक के रूप में यह इस सदन के सामने आ सके । वैसे मैं माननीय वर्मा जी को इस बात के लिये राजी कर लूंगा कि वे अपना विधेयक वापस ले लें अगर माननीय मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि वे नजूल की भूमि को बड़े-बड़े लोगों से खाली कराकर गरीबों और हरिजनों को देने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं श्री वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, शासन से इस बात का अनुरोध करता हूं कि वह इस पर सही दृष्टि से विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । मुझे श्रीमन्, दो मिनट का समय मिला है, मैं दो मिनट में अपनी झांसी नगरपालिका के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसके क्षेत्र में जो भी नजूल भूमि है, उसके बारे में मैं यहां पर जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उस झांसी नगरपालिका की जमीन पर बड़े-बड़े सरमायेदारों और पैसे वालों लोगों ने आज उसका पट्टा कर दिया है, उसे उन्होंने पट्टे पर ले रखा है और उनके पास 5/5, 10/10 लाख की जो नजूल भूमि है, जो आज उनके अधीन है, वे लोग उस पर दुकानें बनाकर, छोटे-छोटे मकान बनवाकर फिर उन्हें किराये पर उठाकर उससे बहुत बड़ी-बड़ी आमदनी कर रहे हैं । तो जहां-जहां इस प्रकार की नगरपालिका क्षेत्र में नजूल की जमीनें हैं, उसका आज भारी दुरुपयोग हो रहा है ।

इसलिए यह आवश्यक है कि इन सब बातों पर आज गहराई से विचार हो जिससे उसका दुरुपयोग रुक सके । क्योंकि यह सम्पति वाकई में जनता की है, जो शासन में आते हैं उनकी नहीं है और जो जनता की सम्पति है, जनता के हित में उसका सही इस्तेमाल करने के लिए मेरा मत है कि उन पर जो छोटे-छोटे किरायेदार-मजदूर या 300 रुपये तक की आय वाले लोग हैं, उनको उन पर स्वामित्व प्रदान कर देना चाहिये और बाकी जो पट्टे पर या किराये पर दी गई है, उसको शासन को वापस ले लेना चाहिए । इसके अलावा और बहुत सी पेचीदी बातें हैं, उन सबके भी सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वर्मा जी के प्रस्ताव को उन्हें मान लेना चाहिये, क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई है ।

श्री गौरीशंकर भैया--

मान्यवर, मेरे संशोधन के प्रस्ताव पर माननीय लाल प्रताप सिंह, राय साहब और गुलाब सेहरा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनमें दो-तीन बातें ऐसी आई हैं, जिन पर मैं अपने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राय साहब ने कहा कि उद्देश्य और कारण इस विधेयक के उनको ज्ञात नहीं हैं । तो मैंने इसीलिए कहा था कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाए, उसमें इसके उद्देश्य और कारण और स्पष्ट हो जायेंगे । मैं सीधे-सीधे कहना चाहता हूं कि राय साहब ने कहा कि आपने बहुत गलत काम यह कर दिया है प्रस्ताव लाकर । होता यह है विपक्ष के माननीय सदस्य प्रस्ताव, संशोधन और विधेयक के जरिये जो मूल समस्या है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं । सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही उसे ले आते हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि सत्ता में रहने के कारण जो उनके चश्मा लग जाता है वह हटकर वास्तविक स्थिति उनके सामने आ जाय । हमारी उस भावना को ही राय साहब नहीं समझ पाये तो इसमें हमारा क्या दोष है ।

अब मैं सेहरा साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि वह जब इधर विरोध में बैठा करते थे, हमने संकल्प प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया था, उसका 75 प्रतिशत भाग वही है, जब वह विपक्ष में बैठकर ग्रामीण भूमि के बारे में यही कहा करते थे । अब यह हमारा सबका दुर्भाग्य है कि वह इधर से उधर चले गये तो वह उस भाषा में बोलने लगे जो हुकूमत बोलती है । उन्होंने वह वैधानिक बात कही, जब हमने प्रवर समिति में भेजने की बात कही । उन्होंने कहा कि उसमें क्यों भेजा जाता है । हमने तो यही समझा है कि उस विधेयक का दायरा यदि पूरे प्रदेश को छूता है और वह उसको समाहित नहीं करता है, तो वह उस चीज की मांग करता है । यदि वह सारे लोगों को टच नहीं करता है, तो कोई भी सदस्य प्रवर समिति की मांग कर सकता है और उससे प्रभावित होने वाले प्रदेश के सारे लोग हैं, तो भी इसमें यह भेजा जाता है । इसमें एक लाइन हमने दी है । मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि एलाटमेंट में गड़बड़ी हुई है । एलाटमेंट में भी और शर्तों के पालन में भी, तो मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं । एक लाइन का हमारा प्रस्ताव है । मान्यवर, सारे पट्टे जो आज इस प्रदेश के अन्दर किये गये हैं, वह वे सारे के सारे पट्टे एकदम से खारिज कर दिये जायें और जो गरीब हैं, हरिजन हैं, उनको मकान बनाने के लिए एलाट कर दिया जाय और मुझे उम्मीद है कि वर्मा जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे । मान्यवर, इसी से यह जाहिर हो जाता है कि सेहरा जी कितने हरिजनों के हिमायती हैं । मान्यवर, इसी के साथ में अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर यह विधेयक न आता तो माननीय सेहरा जी को प्रगतिशीलताकी परिभाषा भी पढ़ने की जरूरत न पड़ती । अब माननीय सेहरा जी की प्रगतिशीलता मैं बता दूं । सबसे पहले प्रगतिशीलता उनकी यह है कि जो विधेयक को तोड़-मरोड़ कर सदन के सामने रखा है, मान्यवर, अगर उनकी प्रगतिशीलता न होती तो जो पट्टेदार हैं, यह सही बात है कि पट्टेदार शोषण करते हैं और उन्हीं शोषण पर चोट करने की नियत से यह विधेयक लाया हूं । वह चोट माननीय सेहरा जी को बरदाश्त नहीं हो रही है । पट्टेदार पट्टा ले लेते हैं और उसमें तमाम आवासीय मकान बना लेते हैं और फिर उसको किराये पर उठा देते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम आसरे जी मालूम होता है कि प्रगतिशीलता की परिभाषा आप दोनों ही माननीय सदस्य अच्छी कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, किरायेदार वही होते हैं, जिनको रहने की कोई जगह नहीं होती । तो वह किराये पर लेता है और जो मकान मालिक होता है, वह किरायेदारों का शोषण करता है । अगर इस शोषण को माननीय मंत्री जी प्रगतिशीलता कहते हैं, तो वह उन्हीं को मुबारक हो । मान्यवर, यहां पर फ्री होल्ड बिना प्रिमियम की बात कही गई । तो यह भी प्रगतिशीलता की निशानी है । इस तरह से सदन को भी भ्रमित किया जा रहा है । यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि राम आसरे वर्मा या अन्य कोई सदस्य यहां यह विधेयक लाकर एक भीषण समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित न कर पाते और अगर इसमें हम रेट भी लिख देते, तब तो वह राष्ट्रपति के पास जाता और तब तो वह समस्या की समस्या बनी ही रहती। तो टेक्निकली मान्यवर, इसमें पैसे की बात लाना एवाइड किया जाता है ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि हम रिन्युवल इसीलिये नहीं कर रहे हैं । अब आप जरा सा देखें कि रिन्युवल तो कर नहीं रहे हैं । लेकिन उन बड़े-बड़े पट्टेदारों को आप इस बात की छूट दे रहे हैं कि जो जमीन पट्टेदार ने 10 रुपये में लिया है, उस जमीन को वह एक लाख रुपये में बेच रहे हैं । अब यह भी इनकी प्रगतिशीलता की डिक्सनरी में आता है कि किसी भी निहित स्वार्थी व्यक्ति को किसी जमीन का पट्टा 10 रुपये में दे दिया और उसको इस बात की छूट दे दी कि वह डेढ़ लाख, दो लाख में बेच दे । मान्यवर, मैं हरदोई की मिसाल देना चाहूंगा, जहां पर बहुत बड़ा भू-खण्ड 8 हजार रुपये में दिया गया और 3-4 साल उसमें बाकी रह गये हैं, मालिक (पट्टेदार) ने क्या किया कि दो लाख से ऊपर की जमीन तो वह बेच चुका है, बाकी हिस्सा भी वह बेचने जा रहा है । तो मान्यवर, मन्त्री जी अपनी प्रगतिशीलता की बात को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लें ।

मान्यवर, विधेयक का मकसद था कि जो किरायेदार हैं, जिन्होंने पट्टेदारों का शोषण बरदाश्त किया है, तो ऐसे शोषित लोगों को आपसे राहत मिलती । मैंने पहले ही कहा कि रिन्युवल के लिये जिनके पास पैसा है उनको कोई अड़चन नहीं आ रही है । आप इलाहाबाद का उदाहरण देंगे लेकिन उसके अलावा सारी नजूल की भूमि पर गड़बड़ियां हो रही हैं । मान्यवर, देवरिया के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले यहां चर्चा हुई थी । वहां जिस संस्था से ज्यादा पैसा मिल रहा था उसको जमीन एलाट नहीं किया बल्कि जिससे कम पैसा मिलेगा उसको एलाट कर दिया । इसलिये पट्टेदारों के हितों को कायम रखने और किरायदारों का शोषण करना यदि इनकी प्रगतिशीलता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मान्यवर, यह विधेयक चूंकि सदन के सामने पहली बार आ रहा है इसलिये स्वाभाविक है कि उसमें कुछ कमियां रह जायं । मान्यवर, जब चर्चा हुई और मैंने सदस्यों को सुना तो वह कमियां सामने आयीं और मुझे अहसास हुआ कि उन कमियों को दूर करने की शर्त अच्छी है । इसके पहले मन्त्री जी ने कहा कि ऐसा विधेयक आता कि हरिजनों और निर्बलों को नजूल भूमि

[श्री राम आसरे वर्मा—]

दिये जाने की बात उसमें होती तो मन्त्री जी खुश होते, इसलिये वह घोषणा कर दें कि जो नजूल भूमि के पट्टे अंग्रेजों के समय से और आपके समय से जो हैं, उन सब को निरस्त किया जाता है और उस जमीन का वितरण हरिजनों और निर्बल लोगों के बीच में किया जाता है, तो मैं विधेयक को वापस लेने के लिये तैयार हूं और माननीय सदस्य से कह सकता हूं कि अपना संशोधन वापस ले लें। लेकिन मन्त्री जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस प्रगतिशीलता की दिशा में कदम उठा सकें। लेकिन हरिजनों के खिलाफ जब बयान देना होता है तो शासन सेहरा जी को आगे ढाल की तरह कर देता है। तो उसी ढाल के रूप में यह काम कर रहे हैं। इसलिये मान्यवर, आपसे निवेदन किया कि चूंकि यह विधेयक पहली बार आया और चर्चा के दौरान कुछ बातें आयीं जिनकी पूर्ति आवश्यक है। अतः जो संशोधन का प्रस्ताव श्री गौरी शंकर भैया ने रखा है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर, उसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा, विधेयक पर बोलते समय जो उद्देश्य पीछे लिखे थे उसकी भाषा को पढ़ दिया था और वह सिद्ध करता था कि आपने यह विधेयक दबाव में पेश किया। संशोधन की बात श्री गौरी शंकर भैय्या ने उठायी और उससे ऐसा लगा कि या तो अल्पसूचित रहा है या पूरी सूचना उनको नहीं है कि प्रवर समिति को तब जाता है जब कोई चीज हो लेकिन इसमें तो स्पष्ट है कि पट्टेदारों को, फ्री, किरायदारों को फ्री। उद्देश्य पढ़ा और आपके भाषण को सुना। श्री राम आसरे वर्मा हमारे बड़े हमदर्द हैं और वह प्रगतिशील विधायक दल के नेता हैं। मान्यवर, मेरा केवल इतना ही कहना है कि शासन का आशय भी आपने समझ लिया है, हम विकास के कार्यों में नजूल की भूमि का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पट्टों का रिन्युवल हो रहा है, जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, उनके पट्टे कैंसिल करेंगे। राम आसरे जी मेरी बात मानते रहे हैं, आप भी मान लें। उद्देश्य जो विधेयक में आपने दिया है, वह आपकी प्रगतिशीलता और मा0 राम आसरे के नाम के साथ कुछ जंच नहीं रहा है। हमने आप की बात मानी है कि इस भूमि का इस्तेमाल विकास और गरीबों के हित में किया जायेगा। इसको आप वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री गौरी शंकर भैय्या से) आप वापस लेते हैं।

गौरी शंकर भैय्या—

हम तो कह रहे हैं कि हरिजनों को एलाट कर दिया जाय। मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा ख्याल है कि इसकी प्रक्रिया पूरी हो गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मन्त्री जी की बात का जवाब मैं दे दूं।

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर भाषण आपका हो चुका है, आप स्पष्टीकरण के नाम पर कुछ कहना चाहते हैं, तो कह दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मन्त्री जी ने अपेक्षा की है कि मैं इसको वापस ले लूं ।

श्री अधिष्ठाता—

वह बाद में कहियेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहता हूं । मन्त्री जी मेरी छोटी सी बात मानने के लिये तैयार नहीं है । मैं यह कहता हूं कि मन्त्री जी इसी सदन के समक्ष घोषणा कर दें कि नजूल की भूमि के सारे पट्टे अंग्रेजों के जमाने के और इस जमाने के निरस्त किये जाते हैं और वह भूमि हरिजनों तथा निर्बल वर्ग के लोगों को एलाट करने की घोषणा कर दें तो मैं वापस ले लूंगा । इतना ही नहीं, मैंने जो मन्त्री जी की प्रगतिशीलता के बारे में कहा है, उसको भी वापस ले लूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा ख्याल है कि राम आसरे जी को श्रीमन्, पता नहीं है कि हमारा जो आवास एवं विकास परिषद् है और विकास प्राधिकरण हैं जिले-जिले में हैं, वह जमीन अधिगृहीत कर रहे हैं । जिनके पास जमीन नहीं है, सर ढकने के लिये छत नहीं है, उनके लिये व्यवस्था कर रहे हैं ।

मैं तो राम आसरे जी से निवेदन करूंगा कि वह बगल के लोगों की बात न मानें, वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अब इसको प्रस्तुत करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी छोटे मन्त्री बनाये गये हैं लेकिन काम बड़ा लिया जाता है ।

एक सदस्य—

पद छोटा है लेकिन स्थान बहुत बड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई थीं । पहली सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, मित्रसेन, खैरुल बशर, कुंवर सिंह नेगी, गोपी नाथ वर्मा की दिनांक 7-1-82 को "करंट" पत्र के संवाददाता, श्री अनिल कुमार तथा भूतपूर्व विधायक, श्री दीप नारायण पाण्डेय पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में है, उसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया । बाकी जो 6 सूचनायें आयी थीं, वे अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इस पर वक्तव्य कब दिलवायेंगे शासन से, पूछ लें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी । वक्तव्य के लिये तारीख बता दें ।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

18 फरवरी को दे देंगे, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, 18 तारीख को वक्तव्य दे दें ।

विधान सभा के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की रहस्यमय ढंग से मौत तथा पोस्टमार्टम के बाद बिना छानबीन के पुलिस द्वारा शव दाह किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

दिनांक 4-2-82 को विधान सभा के सामने से पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति अथवा किसी हड़ताली को न हटाया गया और न ही किसी को अस्पताल ले जाया गया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-1-82 को सचिवालय के एक कर्मचारी द्वारा श्री शेर सिंह निवासी जनपद अल्मोड़ा जो विधान परिषद् के एक कर्मचारी थे और अब रिटायर हो चुके हैं, को बलरामपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया था । शेर सिंह लगभग 70 वर्ष के थे तथा काफी दिनों से बीमार थे और उनके परिवार में कोई व्यक्ति न होने के कारण खानाबदोश का जीवन बिता रहे थे । दिनांक 3-2-82 को उनकी मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गयी थी । चूंकि शेर सिंह का कोई वारिस नहीं था, पुलिस द्वारा उनका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम

करा कर विधिवत अंत्येष्टि-क्रिया कर दी गयी । ये सही नहीं है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु भूख एवं ठण्ड के कारण हुई ।

विधान भवन के समक्ष दारुलशफा के पूर्वी गेट पर दिनांक 30-1-82 से श्री नक्छेद लाल भारती निवासी जनपद वाराणसी हरिजनों के तथाकथित उत्पीड़न के विरोध में हड़ताल पर बैठे थे । श्री भारती ने अपना अनशन स्वेच्छा से दिनांक 3-2-82 को सायंकाल समाप्त कर दिया था ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि दिनांक 4 फरवरी, 1981 को विधान सभा के समक्ष हरिजन सत्याग्रही की मौत हुई । 4 फरवरी की बात है, इन्होंने उस 4 फरवरी की मौत के बारे में कोई तथ्य नहीं दिया सिर्फ कहा है कि 4 फरवरी को कोई सत्याग्रही नहीं हटाया गया, जबकि मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि 4 फरवरी को सिविल अस्पताल, लखनऊ में एक सत्याग्रही की मृत्यु हुई, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इस वक्तव्य के बारे में जो बातें आयी हैं, उस पर कहें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, रहस्यमयी बात हो गयी । 3-2-82 को, एक हरिजन था, यहां पर अचानक भूख हड़ताल छोड़ देता है और लापता हो जाता है और 3-2-82 को ही एक लावारिस आदमी मर जाता है । तो श्री नक्छेद लाल ने 3 तारीख को किस समय भूख हड़ताल खत्म की और शेर सिंह की जो मृत्यु बताते है सिविल अस्पताल में, उसकी मृत्यु किस समय हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

भूख हड़ताल 3-2-82 को सायंकाल समाप्त हुई ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

उनकी मृत्यु किस समय हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उनकी मृत्यु 3-2-82 को बलरामपुर अस्पताल में हो गयी ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गयी और उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया तो उस व्यक्ति को कौन अस्पताल में भर्ती कराने के लिये ले गया था ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सचिवालय के एक कर्मचारी मोहन सिंह द्वारा वह अस्पताल में भर्ती कराया गया था ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य के उत्तर के सन्दर्भ में यह बता दें कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हुई और उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया तो उसमें उसकी मौत का कारण क्या लिखा हुआ है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ड्यू टू प्लोरिसी क्रानिक डिजीज ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मौत का तो ये कोई न कोई बहाना निकाल ही लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पाण्डेय जी, हम आपको स्पष्टीकरण हो या वक्तव्य ही आपको पूरा मौका देंगे परन्तु इसकी कोई भाषा तो हो ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस शेर सिंह को उन्होंने मृतक बताया है, उसे यह भी बताया है कि वह अल्मोड़ा जनपद का निवासी था और सरकारी कर्मचारी था, तो क्या उसे पेन्शन मिलती थी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी, आप बैठिये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, उसे इन्होंने विधान परिषद् का कर्मचारी बताया है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति को पेन्शन मिलती थी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वह विधान परिषद् का चपरासी था परन्तु उसकी पेन्शन के बारे में मुझे पता नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, उसे मंत्री जी ने अल्मोड़ा जनपद का बताया है और साथ ही उसे लावारिस बताया है । चूंकि वह अल्मोड़ा जनपद का था तो यहां पर वहां के दो मंत्री हैं और एक मैं विधायक बैठा हुआ हूं तो क्या उस आदमी के बारे में इन्होंने हमको भी जानकारी दी थी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी , यह कोई सवाल नहीं बनता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्यों नहीं बनता है सवाल वक्तव्य में साफ लिखा है कि यह अल्मोड़ा जनपद का था और खानाबदोश था तथा विधान परिषद् का कर्मचारी था और अब रिटायर्ड हो चुका था। पेन्शन मिलती थी या नहीं ? यह इन्हें पता नहीं है। फिर इन्होंने उसे अल्मोड़ा जनपद का खानाबदोश बताया और लावारिस कहा। तो मैं कहता हूं कि अल्मोड़ा के दो मंत्री और तीसरा मैं एक विधायक हूं तो हमको भी तो उसकी सूचना मिलनी चाहिये थी, क्योंकि यह धर्म की बात है कि कोई आदमी मरता है तो उसे काठ या लकड़ी वगैरह दी जाती है।

श्री ऊबल—

मंत्री जी के वक्तव्य में जो आखिरी पैरा में लिखा है कि दारुलशफा के पूर्वी गेट पर दिनांक 30-1-82 से श्री नकछेद लाल भारती निवासी जनपद वाराणसी हरिजनों के तथाकथित उत्पीड़न के विरोध में हड़ताल पर बैठे थे। तो क्या उन्होंने अपनी मांग के सम्बन्ध में कोई मांगपत्र सरकार को दिया है हरिजनों के उत्पीड़न के बारे में कुछ बताया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कोई उन्होंने मांगपत्र दिया है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

तो फिर उत्तर देने के लिए लेकर क्या आये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

यही लेकर आये हैं जिसकी सूचना आपको दे दी है।

श्री ऊबल—

अधिष्ठाता जी, इसके बारे में मंत्री जी को कोई सूचना नहीं है।

अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो अनशनकारी था और स्वेच्छा से अनशन समाप्त किया था, उसने हरिजनों के उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायती-पत्र सरकार या हरिजन कल्याण मंत्री को लिखा था, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

दोनों ही चीजों की जांच करा लूंगा, जो उन्होंने कहा है, उसकी भी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, बिष्ट जी ने भी वही बात पूछी थी कि एक 70 वर्ष का आदमी मर जाता है, दो-दो मंत्री और एक विधायक विरासत के लिए बैठे थे, तो कम से कम उनको जानकारी देनी चाहिए थी।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने कहा कि यह करना चाहिए था। मैं देखूंगा कि क्या कोशिश की गयी और नहीं की गयी, तो क्यों।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

4-2 को भी सिविल अस्पताल में कोई मरा और उसका पोस्टमार्टम हुआ ? मेरा आशय यह है कि मिस्टर नकधेद लाल भारती थे, उनके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे, उनके ओहेयर एबाउट्स के बारे में ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इनकी मृत्यु नहीं हुई।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, जैसी कि इनके बारे में चर्चा है, इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि इनका पेट भरा था या खाली ? क्या इस बिन्दु पर जांच हुई ?

कई सदस्य—

विसरा लिया गया या नहीं, उसमें क्या निकला ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

पोस्टमार्टम में मृत्यु का संक्षिप्त कारण जो आया था, बताया है और जो आपने बताया कि विसरा प्रिजर्व किया गया या नहीं, तो यह जब जहर की शंका होती है तब लिया जाता है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री छत्तर सिंह—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के हर हिस्से का पोजीशन दिखाई जाता है, तो आमाशय खाली था या भरा था ? तो क्या इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आमाशय खाली था या भरा हुआ था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आप जरा वक्तव्य के विषय पर ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्तव्य में यह मांग की गयी थी कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया था कि शायद एक हरिजन की हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गयी थी और उसे पुलिस अस्पताल ले गयी थी। मैं आपके जरिये स्पष्ट रूप से यह बतला देना चाहता हूं कि यह बात नहीं थी। भ्रम निवारण के लिये मैं बतला दूं कि ठाकुर साहब की मृत्यु हो गयी थी जो सचिवालय के एक कर्मचारी थे उसका विवरण दे दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

हरिजन का पचड़ा तो यह सरकार ही पैदा करती है।

श्री अधिष्ठाता—

विषय से बाहर का यह सवाल है ।

(व्यवधान)

दिनांक 15 फरवरी, 1982 के कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं एक विशेष सूचना देता हूं।

दिनांक 15 फरवरी, 1982 को अपराह्न 5 बजे वित्तीय वर्ष 1981–82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण लिया जायेगा।

अब हम उठते हैं, 15 फरवरी को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 45 मिनट पर सोमवार 15 फरवरी, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ ।

12 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1249 पर)

सूची 'क'

98 व्यक्तियों की सूची जिन्हें गृह अनुदान वितरित किया गया।

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम जिसे गृह अनुदान दिया गया	नाम ग्राम	धन जो दिया गया
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
			रु0
1	भजन लाल पुत्र बदलू	ककवन	50
2	श्याम लाल पुत्र फुल्ला	,,	50
3	श्री बदलू पुत्र परभू	,,	50
4	देवी दयाल पुत्र तुलसी	,,	50
5	मौजी लाल पुत्र मटरू	,,	50
6	छोटे लाल पुत्र मक्का	,,	50
7	नन्हे पुत्र रुपन	,,	50
8	महाबीर पुत्र राम भरोसे	,,	50
9	सुन्दर पुत्र छेद्दा	,,	50
10	देवी दयाल पुत्र होरी लाल	,,	150
11	नन्हें पुत्र पन्नी	,,	50
12	रसीद पुत्र अजीमुल्ला	,,	50
13	प्यारे लाल पुत्र राम भरोसे	,,	100
14	खलील पुत्र करमुद्दीन	,,	100
15	मु0 चितारा बेवा बुलाकी	,,	50
16	बाबू लाल पुत्र सुखलाल	,,	50
17	राम अवतार पुत्र जिया लाल	,,	50
18	गयारो पुत्र बल्देव	,,	50
19	राम अवतार पुत्र होरी लाल	,,	50
20	बदलू पुत्र खन्ना	,,	50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	सर्वश्री—		रु0
21	फूलचन्द्र पुत्र प्रताप	ककवन	50
22	सद्दू पुत्र बदलू	,,	50
23	राम बाबू पुत्र मदारी	,,	50
24	श्रीराम पुत्र होरी लाल	,,	150
25	लोचन पुत्र बिन्दा	,,	50
26	रुकमिन बेवा आलम पालियाबांस	खेड़ा	200
27	रामेश्वर पुत्र बब्बू	,,	100
28	रूपनारायन पुत्र बुलाकी	ककवन	50
29	नन्हें पुत्र परमू	,,	50
30	मंगली पुत्र जस्सू	,,	100
31	भुपई पुत्र बुलाकी	,,	50
32	मुन्ना पुत्र चौथी	,,	100
33	होरी लाल पुत्र गुठ्ठा	,,	150
34	राम भरोसे पुत्र दुर्गा	,,	50
35	राम कृष्ण पुत्र मक्का	,,	50
36	हुकम सिंह पुत्र डिल्ला	,,	50
37	गजोधर पुत्र नन्हे	,,	50
38	बेचई पुत्र छेद्दू	,,	50
39	प्रीतम पुत्र बुल्ले	,,	100
40	रोहन पुत्र चन्दन	,,	100
41	छेदी लाल पुत्र द्वारिका	,,	50
42	अंगनू पुत्र नन्हका	,,	50
43	राम चन्द्र पुत्र विशेश्वर दयाल	,,	50
44	कल्लू पुत्र पच्चा	,,	100
45	उमराय पुत्र देवकी	,,	100
46	बांके पुत्र लोचन	,,	50

विधान सभा

1	2	3	4
	सर्वश्री--		
47	मुडू पुत्र भिखारी	ककवन	50
48	राम चन्द्र पुत्र रिक्खन	,,	100
49	भगवानदीन पुत्र धस्सा	,,	100
50	रसीद पुत्र करीम	,,	50
51	असगर अली पुत्र सुबराती	,,	50
52	तेज्जा पुत्र देब्बा	,,	50
53	बुद्धा पुत्र कुन्दन	,,	50
54	राम दुलारे पुत्र बबलू	,,	50
55	राम बाबू पुत्र बुद्धा	,,	50
56	काशी पुत्र दिनई	,,	50
57	बेचे लाल पुत्र परसा	,,	5
58	धुरई पुत्र निवाजी	,,	50
59	राम कुमार पुत्र शिव प्रसाद	,,	50
60	गोधान पुत्र बाबू लाल	,,	50
61	रामजीवन पुत्र दुल्ला	,,	50
62	मैकू पुत्र लक्ष्मिन	,,	50
63	राम आसरे पुत्र सोने लाल	,,	50
64	राम स्वरूप पुत्र रघुवर	,,	50
65	गौरी पुत्र दुज्जा	,,	50
66	रज्जन पुत्र प्रयाग नारायन	,,	50
67	श्री कृष्ण पुत्र विशेश्वरदयाल	,,	50
68	सफी पुत्र गुलजारी	,,	50
69	जुम्मन पुत्र लाला	,,	50
70	प्रेमनारायन पुत्र प्रयागनारायन	,,	50
71	राजेन्द्र सिंह पुत्र रविलाल सिंह	,,	50
72	अर्जुन पुत्र भज्जा	,,	50
73	मु0 नन्ही बेवा मंगली	,,	50

1	2	3	4
	सर्वश्री--		
			रु0
74	मु0 महरानी बेवा राम दयाल	ककवन	50
75	शिवराम पुत्र सुरजू	,,	100
76	मोहन लाल पुत्र मट्टू	,,	50
77	नोखे पुत्र पुतनी	,,	50
78	कैलाश पुत्र गयादीन	,,	50
79	मुंशी पुत्र बदलू	,,	100
80	राम शंकर पुत्र लछिमन प्रसाद	,,	50
81	मुंशी लाल पुत्र सुखलाल	,,	50
82	राजाराम पुत्र रामचरन	,	100
83	सुन्दर लाल पुत्र सुखलाल	,,	50
84	हरीशंकर पुत्र राम दयाल	,,	100
85	श्रीराम पुत्र दुर्गा	,,	50
86	अयाम बीबी बेवा	,,	50
87	छोटा पुत्र मनसुख	,,	50
88	धसीटे पुत्र बाबू लाल	,,	50
89	जगरानी पत्नी बच्चीलाल	,,	50
90	दुर्गा प्रसाद पुत्र देवीदीन	,,	100
91	राम आसरे पुत्र कालिका	,,	50
92	नन्हका पुत्र दुल्ला	,,	50
93	बशीर पुत्र सहादत	,,	50
94	शंकर पुत्र चुन्नी	,,	50
95	लाला पुत्र हरिचरन	,,	50
96	दुर्गा पुत्र जगन्नाथ	,,	50
97	नबाब पुत्र तुलसी	,,	50
98	नत्थू पुत्र नबाब	,,	100
		कुल योग . .	6,200

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1254 पर)

सूची–क

स्थायी अमीनों की ज्येष्ठता सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी	शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति का दिनांक	स्थायीकरण का दिनांक
	सर्वश्री:—			
1	गौरी शंकर सिंह	कक्षा 8	11–4–54	1–4–59
2	गिरीशचन्द्र गुप्ता	,,	12–4–54	,,
3	पारस नाथ लाल	,,	,,	,,
4	जुगुल किशोर	हाई स्कूल	,,	,,
5	रफीक हुसेन	,,	,,	,,
6	बिन सहाय गुप्ता	कक्षा 8	,,	,,
7	राम नाथ लाल	,,	,,	,,
8	सुरज नारायण सिंह	,,	,,	,,
9	राम नरेश पाण्डेय	हाई स्कूल	13–4–54	,,
10	हयात मुहम्मद	,,	9–1–54	1–4–60
11	तुफैल अहमद	,,	13–4–54	,,
12	शारदा प्रसाद	कक्षा 8	10–10–58	,,
13	दीनानाथ लाल	,,	11–4–54	8–3–62
14	मु0 अजीज	कक्षा 5	12–4–54	,,
15	एहसान अली	कक्षा 8	5–5–59	1–4–62
16	अभिनाश चन्द्र	हाई स्कूल	21–6–62	1–9–62
17	प्रेमदास	इन्टरमीडिएट	4–9–64	4–9–64
18	जगत नारायण	कक्षा 8	3–2–65	1–2–66
19	हीरा लाल	,,	1–3–65	,,
20	शिव पूजन लाल	,,	1–2–66	,,

सूची–ख

अस्थायी एवं सीजनल नियुक्ति हेतु वरिष्ठता–क्रम सूची जो 31–3–79 तक के सेवाकाल के आधार पर बनाई गई है :

क्रमांक	नाम अमीन	स्रोत	कृषि अनुभव	तहसील अनुभव	योग	विवरण
	सर्वश्री—					
1	मोहरम अली	कृषि	6–6–23	3–10–8	10–7–2	हाई स्कूल उत्तीर्ण
2	कृष्ण दास पाठक	,,	6–8–23	3–6–0	10–2–23	,,
3	फेकू यादव	,,	..	1–8–14	6–5–7	,,
4	त्रियुगी नाथ	,,	5–5–27	2–9–4	8–3–1	,,
5	गिरजा शंकर	तह/कृषि	6–4–27	1–8–13	8–1–0	,,
6	मोहर अली	कृषि	5–9–0	2–3–28	8–0–28	,,
7	गंग प्रसाद	,,	6–8–12	..	6–8–12	,,
8	शिव बालक	,,	3–8–9	2–2–4	5–10–23	,,
9	मासा अल्ला	,,	3–8–9	2–2–9	5–10–8	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	राम नेवास	तहसील	..	5-9-14	5-9-14	हाई स्कूल फेल
11	राम चन्द्र	,,	.	5-9-21	5-9-21	,,
12	रामाज्ञा	,,	..	4-9-10	4-9-10	हाई स्कूल उत्तीर्ण
13	कलीमुल्ला	कृषि	4-5-27	..	4-5-27	,,
14	सुदामा प्रसाद	,,	3-8 9	0-5-0	4-1-9	,,
15	झावर प्रसाद	,,	3-8-9	0-1-19	3-9-28	जू0 हा0 स्कूल
16	यज्ञवली	,,	3-8-10	..	3-8-10	हाई स्कूल
17	केशव प्रसाद	,,	,,	..	,,	,,
18	रामसरन	,,	,,	..		,,
19	सोहराब अली	,,	3-8-10	..		,,
20	धर्मराज	,,	3-8-10	..	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा